

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई, 2019 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019

## तारांकित प्रश्नोत्तर

लोक आयोग द्वारा पंजीबद्ध प्रकरणों में अनुशंसाओं पर कार्यवाही

1. (\*क्र. 309) **श्री विद्यारतन भसीन** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग में शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत प्रकरणों में लोक आयोग द्वारा अपनी अनुशंसाएँ राज्य शासन को भेजी जाती है ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है, कि लोक आयोग द्वारा समय-समय पर अपनी अनुशंसा पर कार्यवाही करने हेतु शासन को लेख किया गया है ? (ख) अप्रैल, 2016 से 19 जून, 2019 तक किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों में लोक आयोग द्वारा अनुशंसाएँ शासन को भेजी गई हैं ? इन अनुशंसाओं पर क्या कार्यवाही की गई है ? लंबित अनुशंसाओं पर कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है.

जिला जांजगीर-चांपा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का संचालन

2. (\*क्र. 932) **श्री रामकुमार यादव** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चाम्पा के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किनके-किनके द्वारा वर्तमान में दुकान संचालित की जा रही है ? (ख) वर्तमान में संचालित किन-किन दुकानों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई हैं ? (ग) कितने शिकायतों का निराकरण किया गया एवं कितने प्रकरण लंबित हैं ? कब तक निराकरण किया जावेगा ?

**खाद्य मंत्री** (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” अनुसार है. (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 में 05 जुलाई 2019 तक 18 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है. उचित मूल्य दुकानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” अनुसार है. (ग) प्राप्त सभी शिकायतों की जांच उपरांत 11 शिकायत सही नहीं पाई गयी. 07 शिकायतों की जांच उपरांत उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिनका निराकरण शीघ्र कर लिया जावेगा.

जिला जांजगीर चांपा में जिला खनिज न्यास मद से विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

3. (\*क्र. 400) **श्री नारायण चंदेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में अप्रैल, 2017 से मार्च, 2019 के बीच जिला खनिज न्यास मद के द्वारा विकास कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई ? (ख) जांजगीर-चांपा जिले में जिला खनिज न्यास मद से स्वीकृत कितने कार्य प्रारंभ हुए हैं और कितने कार्य अप्रारंभ है ? अप्रारंभ रहने का क्या कारण हैं ? कृपया बतायें ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में अप्रैल 2017 से मार्च 2019 के बीच जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से विकास कार्य हेतु 259.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है. (ख) जांजगीर-चांपा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्वीकृत 646 कार्य प्रारंभ हुए हैं और 130 कार्य अप्रारंभ है. कार्य अप्रारंभ रहने के कारण † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक 06 में दर्शित है.

सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों द्वारा प्रदूषण की प्राप्त शिकायतें

4. (\*क्र. 189) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के धरसीवा ब्लाक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं वृहद उद्योग से होने वाले प्रदूषण के संबंध में दिसम्बर, 2017 से मई, 2019 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? (ख) प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

**वन मंत्री** (मोहम्मद अकबर) : (क) रायपुर जिले के धरसीवा ब्लाक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं वृहद उद्योग से होने वाले प्रदूषण के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में प्रश्नाधीन अवधि में 04 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। (ख) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है।

जिला-बिलासपुर में अवैध नलकूप उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही

5. (\*क्र. 159) **श्रीमती रश्मि आशिष सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बिलासपुर जिले में पेयजल परीक्षण हेतु फरवरी, 2019 से नलकूप उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था ? (ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के बाद अवैध नलकूप उत्खनन के कितने प्रकरण बनाये गये ? संबंधितों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है।

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) जी हां, बिलासपुर जिले में पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत 22 फरवरी 2019 से कलेक्टर बिलासपुर द्वारा नलकूप उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। (ख) 22 फरवरी 2019 के बाद अवैध नलकूप उत्खनन के 09 प्रकरण कलेक्टर बिलासपुर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बनाये गए। संबंधितों के विरुद्ध की गई कार्यवाही †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

चिरमिरी जल आवर्धन योजना में व्यय राशि

6. (\*क्र. 934) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिरमिरी जल आवर्धन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी तथा इसकी लागत क्या थी ? (ख) उक्त योजना में 25 जून, 2019 तक क्या-क्या कार्य कराया गया तथा कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) उक्त योजनांतर्गत कौन-कौन से कार्य कराये जाने शेष हैं तथा योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) चिरमिरी जल आवर्धन योजना वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई है। योजना की लागत राशि रु. 3448.75 लाख एवं योजनांतर्गत एनीकट निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 516.83 लाख इस प्रकार योजना की कुल लागत 3965.58 लाख है। (ख) उक्त योजना अंतर्गत 25 जून, 2019 तक कराये गये कार्यों की जानकारी तथा कराये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि की जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है। (ग) उक्त योजना अंतर्गत लाई एनीकट के पास स्थित 33 के.व्ही. सब स्टेशन को चार्ज करने हेतु 500 के.व्ही.ए. उच्च दाब विद्युत कनेक्शन एवं जल शोधन संयंत्र के पास पोड़ी, वेस्ट चिरमिरी में स्थित 33 के.व्ही. सब स्टेशन को चार्ज करने हेतु 650 के.व्ही.ए. उच्च दाब, विद्युत खम्भे एवं तार बिछाने का कार्य प्रगतिरत है। विद्युत कनेक्शन का कार्य प्रगतिरत होने के कारण योजना के पूर्णता की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

जिला जांजगीर चांपा में गौण खनिज की संचालित खदानें एवं स्थापित क्रेशर

7. (\*क्र. 183) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में गौण खनिज की कितनी खदानें संचालित हैं ? खदान का स्थान, मालिक का नाम, जमीन का खसरा एवं रकबा, खदान की स्वीकृति की समय सीमा के साथ-साथ खनिज किस वर्ग के हैं खदानवार बतायें ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा में कितने क्रेशर संचालित हैं ? स्थापित क्रेशर का स्थान, मालिक का नाम एवं पता जमीन का खसरा एवं रकबा, स्वीकृति दिनांक पर्यावरण स्वीकृति दिनांक भण्डारण क्षमता क्रेशरवार बतायें ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर चांपा में गौण खनिज की कुल 194 खदानें संचालित हैं। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” पर दर्शित है। गौण खनिज में किसी प्रकार का वर्ग नहीं होता है। (ख) जिला जांजगीर-चांपा में कुल 128 क्रेशर संचालित हैं, जिसमें से स्वीकृत लीज के भीतर 94 क्रेशर एवं भण्डारण अनुज्ञापत्र प्राप्त कर 34 क्रेशर संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“दो” पर दर्शित है।

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित कोलवाशरी

8. (\*क्र. 757) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बेलतरा विधानसभा में संचालित कोलवाशरी की संख्या कितनी है ? कितनी कोलवाशरी प्रक्रिया में या प्रस्तावित हैं स्थान का नाम सहित बतायें ?

**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : बेलतरा विधान सभा में 03 कोलवाशरी संचालित है. मेसर्स तिवार्ता कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम-लिम्हा, तहसील-बिलासपुर, जिला-बिलासपुर में 01 कोलवाशरी प्रस्तावित है.

नलकूप खनन का लक्ष्य

9. (\*क्र. 606) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 में नलकूप खनन का जिलेवार लक्ष्य क्या है ? (ख) 25 जून, 2019 तक जिलेवार कितने नलकूपों का खनन पूर्ण किया जा चुका है ? सफल, असफल की जानकारी दें ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 में संभावित पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम हेतु नलकूप खनन का जिलेवार अंतरिम लक्ष्य की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है. (ख) 25 जून, 2019 तक जिलेवार खनिज नलकूपों, सफल, असफल की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार है.

फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच

10. (\*क्र. 808) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 25 जून, 2019 तक मंत्रालयीन सेवा के कितने अधिकारी/कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र की जांच की ? कितने प्रकरण में प्रमाण पत्र फर्जी करार दिया गया ? संबंधित के नाम, पदनाम सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध 25 जून, 2019 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ? (ग) कंडिका “क” के कितने अधिकारी/कर्मचारियों को उनके जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने के उपरांत भी उच्च पदों पर पदोन्नति का लाभ दिया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 25 जून, 2019 तक मंत्रालयीन सेवा के 57 अधिकारी/कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र की जांच की. 06 प्रकरण में प्रमाण पत्र फर्जी करार दिया गया. संबंधित के नाम पदनाम सहित ब्यौरा प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) प्रश्नांश (ख) की जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. (ग) प्रश्नांश कंडिका “क” के किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों को उनके प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने के उपरांत भी उच्च पदों पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है.

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भीमसेनडीह से भकुरा तक सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

11. (\*क्र. 214) **श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के वन परिक्षेत्र सारंगढ़ (सामान्य) के अंतर्गत सत्र 2018-19 में भीमसेनडीह से भकुरा तक 03 कि.मी. (WBM) सड़क निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि की स्वीकृति हुई थी ? (ख) उक्त निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? अगर निर्माण कार्य अधूरा है, तो कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

**वन मंत्री** (मोहम्मद अकबर) : (क) सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भीमसेनडीह से भकुरा तक सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि में वर्ष 2018-19 में भीमसेनडीह से भकुरा तक 03 कि.मी. (WBM) सड़क निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 45,30,000/- की स्वीकृति हुई थी. (ख) उक्त निर्माण कार्य मार्च, 2019 में पूर्ण कर लिया गया है. कार्य अधूरा होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

किरन्दुल आयरन डिपोजिट-13 में उत्खनन की प्रदत्त अनुमति

12. (\*क्र. 943) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दंतेवाड़ा जिले के किरन्दुल के नंदराज पहाड़ के आयरन डिपोजिट-13 को उत्खनन के लिए किस संस्थान/कंपनी को अनुमति मिली है, और कब ? क्या उक्त स्थल पर उत्खनन की कार्यवाही शुरू हुई है ? अगर हां, तो कब से ? (ख) क्या उत्खनन कार्य प्रारंभ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा अंतर्गत किरन्दुल के आयरन और “डिपोजिट-13” में मेसर्स नेशनल मिनरल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी) को खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा आदेश दिनांक 07-01-2017 द्वारा स्वीकृत किया गया। तदुपरांत राज्य शासन के आदेश दिनांक 06-11-2017 द्वारा उक्त खनिपट्टा मेसर्स एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) को हस्तांतरित होने के फलस्वरूप दिनांक 04-12-2017 को अनुबंध निष्पादन किया गया। खनिपट्टा में उत्खनन कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है। (ख) जी नहीं। आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण नहीं होने के कारण कार्य अनुमति जारी नहीं किया गया है।

जिला राजनांदगांव में बैगा बच्चों के लिए जूता चप्पल वितरण एवं कोचिंग की व्यवस्था

13. (\*क्र. 766) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खनिज विभाग के अंतर्गत खनिज न्यास मद के शिक्षा क्षेत्र के तहत राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 से 2018-19 में बैगा बच्चों के लिए जूता चप्पल वितरण एवं विभिन्न कक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? (ख) उक्त कार्य हेतु निविदा कब आमंत्रित की गयी, किन-किन संस्थाओं/फर्मों ने भाग लिया उन्हें कब कार्यादेश जारी किया ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में बैगा बच्चों के लिए जूता चप्पल वितरण एवं विभिन्न कक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। (ख) प्रश्नांक “क” की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बिलासपुर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का निरीक्षण

14. (\*क्र. 94) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर में स्थित उद्योगों के द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिये विभाग द्वारा पिछले 2 वर्षों में कितने निरीक्षण किये गये ? (ख) अत्याधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर क्या कार्यवाही की गई ?

**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 01-04-2017 से दिनांक 31-03-2019 तक जिला-बिलासपुर में स्थित प्रदूषणकारी प्रकृति के 362 उद्योगों के कुल 792 निरीक्षण किये गये हैं। (ख) उद्योगों में प्रदूषण की स्थिति पाये जाने पर उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में गौण खनिज उत्खनन हेतु जारी किए गए पट्टा/लीज

15. (\*क्र. 65) **सुश्री शकुन्तला साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत गौण खनिज उत्खनन हेतु किसके-किसके नाम से कहाँ-कहाँ पट्टा (लिज) जारी किया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संचालित गौण खनिजों के उत्खनिपट्टों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है।

जिला कोरबा में संचालित क्रेशर प्लांट

16. (\*क्र. 884) **श्री मोहित राम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोरबा में कितने क्रेशर यूनिट (मशीन) गिट्टी के लिये स्थापित है ? (ख) विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में किन-किन व्यक्तियों को क्रेशर यूनिट संचालन की अनुमति दी गई है ? (ग) विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में क्रेशर यूनिट के संचालन से खनिज विभाग को वर्ष 2017 एवं 2018 में कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला कोरबा में 04 क्रेशर यूनिट (मशीन) गिट्टी तोड़ने के लिए स्थापित है। (ख) विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा में श्री संदीप जाखड़ व श्री सुनील कुमार अग्रवाल को क्रेशर यूनिट संचालन हेतु भण्डारण अनुज्ञापत्र जारी किया गया है तथा श्री लक्ष्मी प्रसाद खैरवार द्वारा स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में क्रेशर संचालित किया जा रहा है। (ग) विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा में क्रेशर यूनिटों के संचालन से वर्ष 2017 में 1 लाख 33 हजार 600 रुपये तथा वर्ष 2018 में 57 हजार 80 रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है।

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में सौर ऊर्जा से संचालित लिफ्ट सिंचाई योजना

17. (\*क्र. 141) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्रेड़ा द्वारा अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में कितनी लागत से कहाँ-कहाँ पर किस-किस नहर पर कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा से संचालित लिफ्ट सिंचाई योजना के स्टेशन स्थापित किये गये हैं ? (ख) उपरोक्त कार्य कब आरंभ हुआ और कब समाप्त हुआ और निर्माण किस एजेन्सी द्वारा और कितनी लागत से किया गया ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) क्रेड़ा द्वारा अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में हसदेव दांयितट नहर पर ग्राम खिसोरा, ग्राम हरदी विशाल तथा ग्राम मधाईपुर में अलग-अलग 03 स्थलों पर सौर सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं जिनकी ग्रामवार, पंप की क्षमतावार परियोजना लागत की जानकारी परिशिष्ट “अ” में दर्शित है। (ख) वांछित जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

मिट्टी तेल का आवंटन एवं उठाव

18. (\*क्र. 73) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जिले को प्रतिमाह कितने लीटर मिट्टी तेल का आवंटन प्राप्त होता है एवं उठाव कितना लीटर हुआ 1-1-2019 से 30-06-2019 की जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” में विधान सभा क्षेत्र मस्तूरी में कितने लीटर मिट्टी तेल का आवंटन हुआ एवं उठाव कितने लीटर हुआ है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है।

सीमेंट कंपनी के ओव्हर लोड वाहनों पर कार्यवाही

19. (\*क्र. 299) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि माह मार्च व अप्रैल, 2019 में विभाग द्वारा श्री सीमेंट, ईमामी व अल्ट्राटेक तथा अन्य सीमेंट कंपनियों की व सीमेंट से भरी अन्य व्यक्तियों की ओव्हर लोड वाहन पकड़ी गई थी ? (ख) यदि हां, तो किस कंपनी व व्यक्ति की कौन-कौन सी वाहन कितने टन ओव्हर लोड पकड़ी गई थी ? (ग) प्रश्नांश “ख” के अनुसार क्या मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 के अनुसार उक्त वाहन मालिक/कंपनी पर कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किन-किन पर कार्यवाही की गई है ?

**वन मंत्री** (मोहम्मद अकबर) : (क) हां यह सही है। (ख) विस्तृत विवरण प्रपत्र “अ” पर ‡ संलग्न है। (ग) हां कार्यवाही की गई है। विस्तृत विवरण प्रपत्र “ब” पर ‡ संलग्न है।

जिला धमतरी में रेत खनन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

20. (\*क्र. 866) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय पर्यावरण समिति खनिज द्वारा रेत खनन हेतु 2015 से 25 जून, 2019 तक कितने स्थानों पर कितने वर्गमीटर खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है ? कृपया वर्षवार बताने का कष्ट करें ? (ख) क्या उक्त खदानों का पर्यावरण विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो अवैध खनन तथा नियमों का पालन नहीं करने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी है ? तथा कितने के ऊपर क्या कार्यवाही किया गया ?

**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) धमतरी जिले में राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ एवं जिला स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण, धमतरी द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति के स्थल एवं क्षेत्रफल की जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है। (ख) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं खनिज साधन विभाग के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त खदानों में से जिन खदानों का निरीक्षण किया गया, उनकी जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है। प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रपत्र “स” पर † संलग्न है।

#### जिला कोरिया में संचालित कोल माईन्स

21. (\*क्र. 3) **श्री गुलाब कमरो** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोरिया में एस.ई.सी.एल. के द्वारा किन-किन क्षेत्रों में कुल कितने क्षेत्रफल में कोल माईन्स संचालित हैं तथा उनकी लीज की अवधि कब तक की है ? विकासखंडवार जानकारी दें। (ख) उक्त विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितनी माईन्स संचालित हैं जिनकी लीज की अवधि समाप्त हो गई है किंतु वर्तमान में खनन का कार्य किया जा रहा है ? विकासखंडवार जानकारी दें ? (ग) शासन द्वारा खनन क्षेत्रों का सीमांकन 2018 से मई, 2019 तक कब-कब किनके-किनके द्वारा किया गया है तथा उनमें किन-किन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन अथवा अन्य अनियमितता पाई गई है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला कोरिया में एस.ई.सी.एल. बैकुण्ठपुर, हसदेव एवं चिरमिरी क्षेत्र अन्तर्गत 9 कोल माईन्स संचालित हैं। लीज अवधि, विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) कोरिया जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़ एवं भरतपुर-सोनहत में एस.ई.सी.एल. की 04 कोयला खानें, लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर संचालित है। विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ग) वर्ष 2018 से मई, 2019 की अवधि में खनिज साधन विभाग द्वारा उपर्युक्त किसी भी खान का सीमांकन नहीं कराया गया है, अपितु उक्त अवधि में एस.ई.सी.एल. द्वारा हसदेव क्षेत्र अन्तर्गत स्थित वेस्ट झगराखण्ड कॉलरी (खान) का डी.जी.पी.एस. सर्वे दिनांक 13-07-2018 को सी.एम.पी.डी.आई.एल., रांची के माध्यम से कराया गया है। किसी भी क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन अथवा अन्य अनियमितता का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

#### अंतागढ़ में वन विभाग के विद्यालय हेतु भवन निर्माण

22. (\*क्र. 726) **श्री अनूप नाग** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लामकन्हार में वन विभाग के विद्यालय भवन का भूमिपूजन कब एवं किसके द्वारा किया गया था ? क्या भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है ? यदि हां, तो भवन निर्माण कब तक पूर्ण होगा ?

**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : कांकेर वन वृत्त के पूर्व भानुप्रतापपुर वन मण्डल अंतर्गत अंतागढ़ के निकट ग्राम ईमलीपदर (लामकन्हार) में वन विद्यालय भवन निर्माण हेतु दिनांक 09-09-2013 को तत्कालीन वन मंत्री, छ.ग. शासन द्वारा भूमि पूजन किया गया था। भवन निर्माण के स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है।

#### जशपुर जिले अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के निर्माण में काटे गये वृक्षों की संख्या

23. (\*क्र. 56) **श्री यू. डी. मिंज** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के निर्माण के लिए जशपुर जिले में कितने वृक्षों की कटाई की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार काटे गए वृक्षों के बदले कितने-कितने वृक्ष कहां-कहां लगाये गये हैं ? (ग) प्रश्न “क” के अनुसार वृक्ष लगाने के लिए कितनी-कितनी राशि वन विभाग को प्राप्त हुई, कितनी राशि उपयोग/व्यय किया गया एवं कितनी राशि शेष है ?

**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जशपुर वनमण्डल अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में प्रभावित वनक्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र में कुल 12,023 वृक्षों के कटाई की अनुमति के विरुद्ध दिनांक 06-06-2019 तक 10,817 वृक्षों की कटाई की गई है। शेष 1206 वृक्षों के कटाई का कार्य प्रगति पर है। (ख) जशपुर वनमण्डल अंतर्गत राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत काटे जाने वाले 7863 वृक्षों के बदले तपकरा परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक RF 897 में 20 हेक्टेयर में 22,000 पौधे एवं कक्ष क्रमांक RF 898 में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में 22,000 पौधे कुल 44,000 पौधों का रोपण माह जून-जुलाई 2018 तक किया गया है। (ग) जशपुर जिले अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के निर्माण में काटे गये वृक्षों के एवज में वनक्षेत्र, राजस्व क्षेत्र एवं राजस्व

वनक्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए प्राप्त, व्यय एवं शेष राशि निम्नानुसार है :—

क्र.	मद का नाम	विदोहन क्षेत्र का प्रकार	प्राप्त राशि	कक्ष क्र.	रकबा हे. में	रोपित पौधे	व्यय राशि	शेष राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	एडहॉक कैम्पा	वनक्षेत्र एवं राजस्व वनक्षेत्र	3,06,11,322	—	—	—	—	3,06,11,322
2.	पी.डी. खाता	राजस्व क्षेत्र	4,03,25,000	897, 898	20 हे. 20 हे.	22,000 22,000	12,67,130	3,90,57,870
<b>योग</b>			<b>7,09,36,322</b>		<b>40 हे.</b>	<b>44,000</b>	<b>12,67,130</b>	<b>6,96,69,192</b>

जिला मुंगेली में कृषि कार्य हेतु विद्युत प्रदाय के प्राप्त आवेदन

24. (\*क्र. 634) **श्री पुन्नुलाल मोहले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली जिला अन्तर्गत जून, 2019 की स्थिति में विद्युत प्रदाय हेतु कृषि कार्य के लिए कितने आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं ? कितने लंबित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) लंबित होने का क्या कारण है ? आवेदनों का निराकरण कब तक किया जाएगा ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) मुंगेली जिला अन्तर्गत 30 जून 2019 की स्थिति में विद्युत प्रदाय हेतु कृषि पंप के लिए प्राप्त आवेदनों की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	30 जून 2019 की स्थिति में प्राप्त आवेदन		कनेक्शन हेतु लंबित आवेदनों की संख्या	
		ग्रिड	आफग्रिड	ग्रिड	आफग्रिड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुंगेली	789	912	774	62
2.	लोरमी	1,053	518	1,053	52
3.	पथरिया	534	638	507	80
<b>योग</b>		<b>2,376</b>	<b>2,068</b>	<b>2,334</b>	<b>194</b>

(ख) उत्तरांश (क) की तालिका में दर्शाये सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या एवं लंबित होने के कारण तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर पम्प कनेक्शन जारी करने हेतु लक्ष्य की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	ग्रिड के लंबित रहने का कारण			आफग्रिड से लंबित	सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु लक्ष्य
		विद्युत लाइनों के विस्तार हेतु	स्वीकृति हेतु	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मुंगेली	598	369	967	62	मार्च-2020 तक
2.	लोरमी	478	404	882	52	
3.	पथरिया	304	181	485	80	
<b>योग</b>		<b>1,380</b>	<b>954</b>	<b>2,334</b>	<b>194</b>	

जिला महासमुन्द में ओव्हर लोड वाहनों पर कार्यवाही

25. (\*क्र. 430) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुन्द में वर्ष जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2018 तक कितने वाहन ओव्हर लोड पाए गये ? वर्षवार वाहनों के प्रकार सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित भार क्षमता से अधिक भार पाये जाने पर कितनी राशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल की गई ? वर्ष एवं वाहन के प्रकार अनुसार बतावें ?

वन मंत्री ( श्री मोहम्मद अकबर ) : (क) महासमुन्द जिला अंतर्गत वर्ष जनवरी 2014 से दिसंबर 2018 तक कुल 406 मालवाहनों ओव्हरलोड पाये गये. वर्षवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित भारक्षमता से अधिक भार पाये जाने पर 57,46,200/-राशि अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क वसूल किया गया है. वर्ष एवं वाहन के प्रकार अनुसार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

-----

## नियम 46 ( 2 ) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

### विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ तथा सोनहत के ग्रामों में पेयजल समस्या का निराकरण

1. (क्र. 4) **श्री गुलाब कमरो** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में कितने ग्रामों में पेयजल समस्या होने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई/संज्ञान में आई विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम चनवारी डांड तथा नागपुर एवं विकासखंड सोनहत के ग्राम कटगोड़ी में नलजल आपूर्ति हेतु वर्तमान में क्या व्यवस्था है ? (ख) क्या उपरोक्त ग्रामों में नलजल/पेयजल योजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई है ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं तो उक्त पात्र ग्रामों में नलजल/पेयजल योजना कब तक स्वीकृत की जावेगी. (ग) क्या उक्त ग्रामों में इस ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या संबंधी प्रकरण विभाग के संज्ञान में आया है ? यदि हां तो उसके निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ( श्री गुरू रुद्रकुमार )** : (क) भरतपुर-सोनहत विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में 06 ग्रामों में पेयजल समस्या होने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है. विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम चनवारीडांड तथा नागपुर एवं विकासखण्ड सोनहत के ग्राम कटगोड़ी में पेयजल आपूर्ति हेतु वर्तमान में पेयजल व्यवस्था की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जी हां. विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम नागपुर की नलजल योजना स्वीकृति दिनांक 06-02-2015 तथा चनवीडांड की स्वीकृति दिनांक 04-12-2017 को हुई है. विकासखंड सोनहत के ग्राम कटगोड़ी की स्वीकृति दिनांक 04-04-2001 को हुई है. (ग) जी हां. विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम चनवारीडांड एवं विकासखण्ड सोनहत के ग्राम कटगोड़ी की नलजल योजना से सीधे पम्पिंग के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की जा रही है एवं विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम नागपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के कारण क्षतिग्रस्त पाईप लाईन की जगह नवीन पाईप बिछाकर पेयजल व्यवस्था की जा रही है.

### बैलाडिला में नंदिराज पर्वत पर लोहा अयस्क खनन

2. (क्र. 27) **श्री अजीत जोगी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैलाडिला (किरंदुल) में नंदिराज पर्वत पर डिपाजिट 13 खदान पर लोहा के खनन करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अडानी समूह को कंसेंट तो एस्टेब्लिश कब जारी किया गया था ? यह सहमति किन मुख्य शर्तों पर जारी हुई थी ? (ख) नंदिराज पर्वत पर खनन कार्य के लिए कितने पेड़ों की कटाई की जा चुकी है ? इन पेड़ों की कटाई का आदेश कब जारी हुआ था ?

**वन मंत्री ( श्री मोहम्मद अकबर )** : (क) बैलाडिला (किरंदुल) में नंदिराज पर्वत पर डिपाजिट 13 खदान पर लोहा के खनन करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अडानी समूह को स्थापना सम्मति जारी नहीं की गई है. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) दंतेवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत नंदिराज पर्वत पर खनन कार्य के लिए वृक्षों में से 680 नग काटे वृक्षों की गणना की जा चुकी है. क्षेत्र की संवेदनशीलता के कारण शेष काटे गये वृक्षों का गणना कार्य नहीं किया जा सका है. वृक्षों की कटाई हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन) छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 11-01-2018 को स्वीकृति दी गई थी.

### राज्य सरकार का छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी पर बकाया राशि

3. (क्र. 28) **श्री अजीत जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार का राज्य सरकार की छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी पर कितनी राशि का बकाया है ? (ख) छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी द्वारा जनवरी 2018 से आय तक तेलंगाना राज्य को कितनी बिजली किस दर पर सप्लाई की गई ? इसके एवज से तेलंगाना से राज्य की पावर कंपनी को कितनी राशि मिलना बकाया है ?

**मुख्यमंत्री ( श्री भूपेश बघेल )** : (क) महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के रिकार्ड अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति में राज्य शासन को ऋण के मद में भुगतान हेतु बकाया राशि 108.71 करोड़ है. (ख) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 1 जनवरी 2018 से 30 जून 2019 तक तेलंगाना राज्य को 7,537.2.68 मिलियन यूनिट्स बिजली बेची गई और उक्त बिजली हेतु देय भुगतान के आधार पर सप्लाई की दर रुपये 4.40 प्रति यूनिट आंकलित होती है. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा तेलंगाना राज्य को बेची गई बिजली के विरुद्ध 30 जून 2019 की स्थिति में रुपये 2,385.259 करोड़ मिलना बकाया है.

वन परिक्षेत्र कोरर के तारादूल में सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता

4. (क्र. 81) **श्री शिशुपाल सोरी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर वन मण्डल अन्तर्गत वन परिक्षेत्र कोरर के तरादूल क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में विभाग द्वारा कहां से कहां तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण किया गया है ? उक्त सड़क निर्माण हेतु किस मद से कितनी राशि स्वीकृत की गई, स्वीकृत राशि में से किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार सड़क निर्माण कार्य के दौरान क्या कोई वित्तीय अनियमितता की शिकायतें विभाग के संज्ञान में आई ? यदि हां तो इस संबंध में क्या कोई जांच संस्थित की गई है ? यदि हां तो जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा करायी गई तथा उक्त जांच में किसे दोषी पाया गया और उस पर दिनांक 20-06-2019 की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई ?

**वन मंत्री** ( श्री मोहम्मद अकबर ) : (क) कांकेर वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र कोरर के उप परिक्षेत्र तरादूल क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 में हाटकरा से बोड़ागांव वनमार्ग तक 08 कि.मी. क्षेत्र में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण किया है. उक्त सड़क निर्माण हेतु विभागीय बजट मद मांग संख्या 41-4406 (4342) सड़कें तथा मकान निर्माण, #97 निर्माण कार्य, 002 सड़क अंतर्गत राशि रु. 120.80 लाख की स्वीकृति प्रदाय की गई. स्वीकृत राशि में से उक्त मद में राशि रु. 120.75 लाख व्यय किया गया. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. वर्ष 2018-19 में विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है. (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी भुगतान के संबंध में विभिन्न माध्यम से 03 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. उक्त शिकायत की जांच हेतु वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डलाधिकारी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में पृथक-पृथक जांच समिति का गठन किया गया है. जांच समिति से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है. जांच पूर्ण होने के उपरांत गुणदोष के आधार पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर कार्यवाही की जावेगी. अतः दिनांक 20-06-2019 की स्थिति में कार्यवाही होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

बिलासपुर शहर में निर्मित पानी टंकियाँ

5. (क्र. 95) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल आवर्धन योजना के अंतर्गत शासन द्वारा बिलासपुर में वर्ष 2015 के बाद कितनी टंकियों का निर्माण कराया गया ? (ख) क्या सभी टंकियों का संचालन एवं नियंत्रण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** ( श्री गुरू रूद्रकुमार ) : (क) जल आवर्धन योजना के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बिलासपुर शहर में वर्ष 2015 के बाद किसी टंकी का निर्माण कार्य नहीं कराया गया. (ख) जी नहीं.

जिला कोण्डागांव में हितग्राहियों को मोबाइल वितरण

6. (क्र. 134) **श्री संतराम नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोन्डागांव अंतर्गत संचार क्रांति योजना के तहत किन-किन ग्राम पंचायतों के कितने हितग्राहियों को मोबाइल वितरण करने का लक्ष्य रखा गया था ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार उक्त योजना से 25 जून, 2019 तक किन-किन ग्राम पंचायतों के कितने हितग्राहियों को मोबाइल वितरण किया जा चुका है ? कितने को वितरण करना बाकी है ? कब तक वितरण कर दिया जायेगा ?

**मुख्यमंत्री** ( श्री भूपेश बघेल ) : (क) जिला कोन्डागांव अंतर्गत संचार क्रांति योजना के तहत 37.404 हितग्राहियों को मोबाइल वितरण करने का लक्ष्य रखा गया था. ग्राम पंचायतवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है. (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार उक्त योजना से 25 जून, 2019 तक 35021 हितग्राहियों को मोबाइल वितरण किया जा चुका है. 2383 हितग्राहियों को वितरण करना बाकी है. ग्राम पंचायतवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है. वितरण करने के संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा.

जिला कोरबा के विकासखण्ड करतला में छिदई नाला आधारित ग्रामीण समूह नल-जल प्रदाय योजना की स्वीकृति

7. (क्र. 184) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कोरबा के विकासखण्ड करतला में जल गुणवत्ता मद के अंतर्गत छिदई नाला आधारित ग्रामीण समूह नल-जल प्रदाय योजना स्वीकृत किया गया था ? यदि हां तो, कब एवं कितनी राशि का बतायें ? (ख) स्वीकृत योजना का कार्य कब प्रारंभ हुआ ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) :** (क) जी हां. जिला कोरबा के विकासखण्ड करतला में जल गुणवत्ता मद के अंतर्गत छिंदई नाला आधारित ग्रामीण समूह नल-जल प्रदाय योजना दिनांक 14-02-2008 को रु. 1088.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी. (ख) स्वीकृत योजना का कार्य अप्रारंभ है.

जिला रायगढ़ में पौध रोपण एवं वन्य अभ्यारण्यों में तालाब निर्माण

8. (क्र. 234) **श्री प्रकाश नायक :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वन विभाग के द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कैम्पा मद से कितनी मात्रा में पौधे रोपण किए गए ? (ख) रायगढ़ जिले के वन अभ्यारण्यों को सुरक्षित रखने एवं वन्य प्राणियों के जीवन-यापन हेतु वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कितने-कितने अभ्यारण्यों में कितने-कितने लागत के तालाब का निर्माण किया गया ?

**वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :** (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कैम्पा मद से कुल 542271 पौधों का रोपण किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	कैम्पा मद से रोपित किये गये पौधा संख्या		
		वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	रायगढ़	4000	385663	389663
	धरमजयगढ़	—	152608	152608
<b>योग</b>		<b>4000</b>	<b>538271</b>	<b>542271</b>

(ख) रायगढ़ जिले के अंतर्गत मात्र एक गोमर्डा अभ्यारण्य है, जिसको सुरक्षित रखने एवं वन्यप्राणियों के जीवन-यापन हेतु वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में निर्मित तालाबों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला जांजगीर-चांपा के पॉवर प्लांट्स में कुशल श्रमिकों एवं अकुशल श्रमिकों की संख्या

9. (क्र. 278) **श्रीमती इन्दू बंजारे :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिला के KSK नरीयरा, प्रकाश इन्डस्ट्रीज चांपा, मड़वा पॉवर प्लांट, डभरा के उच्च पिण्डा एवं अथेना पावर प्लांट में कार्यरत कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों की संख्या की जानकारी देवें. (ख) उक्त चारों प्लांट में निजी भूमि से प्रभावित कितने-कितने किसानों के परिवार को नौकरी दी गई है ? कितने को नहीं दी गई है ? (ग) उक्त चारों प्लांट में कितने एकड़ निजी एवं शासकीय भूमि अधिग्रहित की गयी है ?

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :** (क) जांजगीर-चांपा जिले में मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर लिमिटेड, मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स एथेना छत्तीसगढ़ पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित/संचालित पॉवर प्लांट्स में 3,937 कुशल श्रमिक एवं 7,083 अकुशल श्रमिक, कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम एवं स्थल	कुशल	अकुशल	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कम्पनी लिमिटेड, नरीयरा	1,272	1,137	2,409
2.	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, चांपा	1,200	4,658	5,858
3.	मेसर्स छ.ग. स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, मड़वा	1,044	539	1,583
4.	मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, उच्चपिण्डा	419	602	1,021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	मेसर्स एथेना छत्तीसगढ़ पावर प्राइवेट लिमिटेड, सिंघीतराई	02	147	149
<b>कुल</b>		<b>3,937</b>	<b>7,083</b>	<b>11,020</b>

(ख) उत्तरांश (क) की तालिका में दर्शित पावर प्लांट्स हेतु अधिग्रहित निजी भूमि से प्रभावित 3,946 किसानों के परिवार में से, 1,622 को नौकरी दी गई है तथा 2,324 को नौकरी दिया जाना शेष है, जिसका इकाईवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम	प्रभावित परिवार	प्रदत्त रोजगार	रोजगार हेतु शेष परिवार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड, नरियरा	645	247	398
2.	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, चांपा	65	15	50
3.	मेसर्स छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, मड़वा	2276	889	1,387
4.	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, उच्चपिण्डा	471	471	00
5.	मेसर्स एथेना छत्तीसगढ़ पावर प्राइवेट लिमिटेड, सिंघीतराई	489	00	489
<b>कुल</b>		<b>3,946</b>	<b>1,622</b>	<b>2,324</b>

(ग) उत्तरांश (ख) में दर्शित पावर प्लांट्स हेतु 2,375.92 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण एवं 1,543.55 एकड़ शासकीय भूमि का अंतरण, इस तरह कुल 3,919.47 एकड़ भूमि प्राप्त की गई है, जिसका इकाईवार विवरण निम्नानुसार है :—

(भूमि का रकबा एकड़ में)

क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम	अधिग्रहित निजी भूमि	अंतरित शासकीय भूमि	कुल प्राप्त भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड, नरियरा	600.50	512.64	1,113.14
2.	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, चांपा	13.74	101.06	114.80
3.	मेसर्स छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, मड़वा	977.66	752.58	1,730.24
4.	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, उच्चपिण्डा	10.69	147.95	158.64
5.	मेसर्स एथेना छत्तीसगढ़ पावर प्राइवेट लिमिटेड, सिंघीतराई	773.33	29.32	802.65
<b>कुल</b>		<b>2,375.92</b>	<b>1,543.55</b>	<b>3,919.47</b>

#### प्रदेश में चना एवं नमक प्रदाय योजना का संचालन

10. (क्र. 300) श्री धरमलाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2018-19 व 15 जून, 2019 की स्थिति में प्रदेश में रियायती दर पर चना व निःशुल्क नमक प्रदाय की योजना संचालित है ? यदि हां तो प्रदेश के किन-किन जिलों में नमक व चना का वितरण किया जा रहा है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार जिलों में माह अप्रैल, मई व जून 2019 हेतु चना व नमक का आबंटन कब-कब दिया गया ? यदि नहीं दिया गया है तो क्यों ? (ग) वर्ष 2019-20 हेतु चना व नमक का प्रदाय किन फर्मों के द्वारा किया जा रहा है ? इनकी निविदा कब स्वीकृत की गई है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री अमरजीत भगत) : (क) जी हां, वर्ष 2018-19 में नमक का वितरण प्रदेश के सभी जिलों में तथा चना का वितरण 85 अनुसूचित विकासखण्डों एवं माडा क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15 जून 2019 तक चना एवं नमक का आबंटन जारी नहीं किया गया है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में उपरोक्त दोनों योजनाओं की समीक्षा विचाराधीन होने के कारण चना एवं नमक का आबंटन जारी नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांकित अवधि हेतु चना एवं नमक की निविदा जारी नहीं की गई है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

विकासखण्ड बेमेतरा के ग्राम चोरभट्टी में बाक्साइड भण्डारण की प्रदत्त अनुमति

11. (क्र. 332) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विकासखण्ड के ग्राम चोरभट्टी में किस फर्म/संस्थान को बाक्साइड भण्डारण की अनुमति कितने क्षेत्रफल में कितनी अवधि के लिए किन-किन शर्तों के तहत कब दी गई है ? (ख) क्या संबंधित फर्म को अनुमति/अनुज्ञा देने के पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत अनुमति दी गई है ? यदि हां तो कब ? (ग) क्या संबंधित फर्म को बाक्साइड के क्रशिंग कार्य करने एवं प्लांट लगाने की भी अनुमति दी गई है ? यदि हां तो किन-किन शर्तों के तहत ? (घ) वर्ष 2017 से 20 जून 2019 की अवधि तक कुल कितनी मात्रा में संबंधित फर्म के द्वारा बाक्साइड का भण्डारण किया गया एवं कितनी मात्रा में क्रशिंग कार्य किया गया एवं उससे कितने राजस्व की प्राप्त हुई ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) बेमेतरा विकासखण्ड के ग्राम चोरभट्टी में खनिज बाक्साइट के लिये कोई भण्डारण अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किया गया है। (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बस्तर जिले में पेयजल व्यवस्था हेतु नलजल-पाईपलाईन विस्तार योजना का क्रियान्वयन

12. (क्र. 341) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में वर्ष 2015-16 से प्रश्नांकित तिथि तक किन-किन ग्रामों में नलजल योजना हेतु पाईप लाईन का विस्तार कर योजना का क्रियान्वयन किया गया है ? (ख) क्या प्रश्नांश "क" अंतर्गत पाईप लाईन विस्तारित ग्रामों में जल आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं तो किन कारणों से संलंबित है ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) बस्तर जिले में वर्ष 2015-16 से प्रश्नांकित तिथि तक विभाग द्वारा 05 ग्रामों क्रमशः पुसपाल, घाटपदमूर, नानगूर, मोगरापाल एवं छोटदेवड़ा में नलजल योजना हेतु पाईप लाईन विस्तार का कार्य स्वीकृत कर 04 ग्रामों में क्रियान्वयन किया गया एवं 01 ग्राम में कार्य प्रगति पर है। (ख) जी हाँ, 04 ग्रामों में जलपूर्ति की जा रही है एवं 01 ग्राम छोटदेवड़ा में पाईप लाईन विस्तार का कार्य प्रगतिरत है, जलापूर्ति नहीं हो रही है।

बस्तर जिले में हैण्ड पंप खनन, मरम्मत एवं सोलर हैण्ड पंप की स्थापना

13. (क्र. 342) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 30 मई, 2019 तक की स्थिति में कितने ग्रामों में हैण्डपंप खनन का कार्य किया गया ? वर्तमान में कितने बंद एवं कितने कार्यरत है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? उक्त अवधि में कितने पुराने हैण्ड पंप के रखरखाव हेतु कितनी राशि खर्च की गई ? (ख) बस्तर जिले के कितने ग्रामों में उक्त अवधि में कितने सोलर हैण्ड पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया था ? निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितने हैण्डपंप में सोलर पंप लगाये गये कितने शेष हैं ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी दें ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) बस्तर जिले के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 30 मई, 2019 तक की स्थिति में 308 ग्रामों में 476 नलकूप (हैण्डपम्प) खनन का कार्य किया गया। खनित 476 नलकूपों में से सफल 383 नलकूपों में हैण्डपंप स्थापित किया गया। वर्तमान में सभी हैण्डपंप कार्यरत है। विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। उक्त अवधि में पुराने 11380 हैण्डपम्पों के रखरखाव हेतु राशि रु. 220.15 लाख खर्च की गई। (ख) बस्तर जिले के 186 ग्रामों में उक्त अवधि में 257 सोलर हैण्डपम्प लगाने का लक्ष्य रखा

गया था. निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 257 हैण्डपम्प में सोलर पम्प लगाये गये हैं. लगाया जाना शेष नहीं है. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	विकासखण्ड (2)	लक्ष्य (3)	स्थापित (4)
1.	जगदलपुर	41	41
2.	बस्तर	75	75
3.	बकावण्ड	12	12
4.	तोकापाल	29	29
5.	बास्तानार	36	36
6.	दरभा	33	33
7.	लोहण्डीगुड़ा	31	31
<b>योग</b>		<b>257</b>	<b>257</b>

#### सामरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित नल जल योजना

14. (क्र. 389) **श्री चिन्तामणि महाराज** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सामरी अंतर्गत कितनी नल जल योजना कार्यरत हैं ? (ख) नगर पंचायत कुसमी एवं राजपुर में नल जल योजना की क्या स्थिति है ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) विधानसभा क्षेत्र सामरी अंतर्गत 18 नलजल योजना कार्यरत है. (ख) नगर पंचायत कुसमी आवर्धन जल प्रदाय योजना पूर्ण कर नगर पंचायत को हस्तांतरित एवं योजना चालू है. राजपुर आवर्धन जल प्रदाय योजना निर्माणाधीन है.

#### जिला जांजगीर-चांपा में स्व सहायता समूहों को गणवेश सिलाई का प्रदत्त कार्यादेश

15. (क्र. 401) **श्री नारायण चंदेल** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में सन् 2017-18 में छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या, रायपुर के द्वारा गणवेश सिलाई के लिये कितने स्व सहायता समूहों को गणवेश सिलाई का कार्य दिया गया है ? (ख) उक्त कार्य के लिये कितने-कितने नग का वर्क आर्डर कब-कब दिया गया है ? समूहवार जानकारी देवें ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में सन् 2017-18 में छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या, रायपुर के द्वारा गणवेश सिलाई के लिये 12 स्व सहायता समूहों को गणवेश सिलाई का कार्य आदेश दिया गया है. (ख) उक्त कार्य के लिये किये गये वर्क आर्डर की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

#### एन.एच. 53 सड़क निर्माण एजेंसी के विरुद्ध अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्यवाही

16. (क्र. 431) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुंद अंतर्गत एन.एच. 53 फोरलेन सड़क निर्माण एजेंसी के विरुद्ध वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? (ख) प्रश्नांश “क” में दर्ज प्रकरणों में कितनी राशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल की गई, कितनी राशि वसूली हेतु शेष है ? शेष राशि की वसूली हेतु जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला महासमुंद अंतर्गत एन.एच. 53 फोरलेन सड़क निर्माण एजेंसी के विरुद्ध वर्ष 2014 से 2016 तक अवैध उत्खनन के कुल 26 एवं अवैध परिवहन के कुल 39, प्रकरण दर्ज किये गये हैं. (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर में दर्शित वर्ष 2014

से 2016 तक दर्ज अवैध उत्खनन के प्रकरणों में कुल राशि रुपये 4 लाख 75 हजार तथा अवैध परिवहन के प्रकरणों में कुल राशि रुपये 10 लाख 68 हजार 425 समझौता राशि वसूल की गई. वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक अवैध परिवहन के दर्ज सभी प्रकरणों में सम्पूर्ण समझौता राशि वसूल की जा चुकी है तथा अवैध उत्खनन के समझौता राशि वसूली हेतु रुपये 6,45,55,940 शेष है. उक्त बकाया समझौता राशि की वसूली फोरलेन निर्माण एजेंसी कंपनी मे. बी.एस.सी.पी.एल.इंफ्रा. से करने हेतु आर.आर.सी. जारी की गई है. वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

सामरी विधानसभा क्षेत्र में विद्युतीकरण

17. (क्र. 462) **श्री चिन्तामणि महाराज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सामरी अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत कितने मजरे-टोले में विद्युतीकरण किया गया है ? (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार कितने टोले शेष हैं ? (ग) प्रश्नांक “क” अनुसार विद्युतीकरण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत जिला बलरामपुर के लिए स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार विधानसभा क्षेत्र सामरी में विद्युतीकृत मजराटोले की जानकारी निम्नवत है :-

क्रमांक (1)	विद्युतीकरण का विवरण			विद्युतीकरण हेतु शेष (5)
	योजना में स्वीकृत (2)	ग्रिड से पूर्ण (3)	आफग्रिड से पूर्ण (4)	
1	101 ग्रामों के 265 मजराटोला/बसाहट	62 ग्रामों के 159 मजराटोला/बसाहट	05 ग्रामों के 29 मजराटोला/बसाहट	34 ग्रामों के 77 मजराटोला/बसाहट

(ख) उत्तरांश “क” की तालिका अनुसार 34 ग्रामों के 77 मजराटोला/बसाहट में विद्युतीकरण के कार्य शेष थे. (ग) उत्तरांश “ख” में उल्लेखित विद्युतीकरण हेतु शेष 34 ग्रामों के 77 मजराटोला/बसाहट में विद्युतीकरण की जानकारी निम्नवत है :-

क्रमांक (1)	ग्रिड से पूर्ण (2)	आफग्रिड से पूर्ण (3)	ग्रिड/आफग्रिड से पूर्ण (4)
1.	65 मजराटोला/बसाहट	12 मजराटोला/बसाहट	34 ग्रामों के 77 मजराटोला/बसाहटें

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में पावर प्लांटों द्वारा क्षेत्रीय एवं अन्य राज्य के लोगों को दी गई नौकरी

18. (क्र. 550) **श्री रामकुमार यादव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित पावर प्लांटों में कितने स्थानीय एवं कितने अन्य राज्य के लोगों को नौकरी दी गई ? (ख) मालखरौदा एवं डभरा तहसील के कितने निवासियों को नौकरी दी गई है ? कम्पनीवार जानकारी प्रदान करें ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित पावर प्लांटों में 1780 स्थानीय एवं 548 अन्य राज्यों के लोगों को नौकरी दी गई है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	कंपनी का नाम (2)	राज्य के निवासी (3)	अन्य राज्य के निवासी (4)	कुल (5)
1.	मेसर्स डी.बी. पावर कंपनी लिमिटेड, बाड़ादरहा	784	310	1094
2.	मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, उच्चपिण्डा	861	210	1071
3.	मेसर्स एथेना छत्तीसगढ़ पावर प्राईवेट लिमिटेड, सिंघीतराई	135	28	163
<b>कुल</b>		<b>1780</b>	<b>548</b>	<b>2328</b>

(ख) मालखरौदा एवं डभरा तहसील के 774 निवासियों को नौकरी प्रदान की गई है. कंपनीवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	कंपनी का नाम (2)	मालखरौदा (3)	डभरा (4)	कुल (5)
1.	मेसर्स डी.बी. पॉवर कंपनी लिमिटेड, बाड़ादरहा	10	228	238
2.	मेसर्स आर. के. एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, उच्चपिण्डा	17	467	484
3.	मेसर्स एथेना छत्तीसगढ़ पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, सिंघीतराई	21	31	52
<b>कुल</b>		<b>48</b>	<b>726</b>	<b>774</b>

#### ई-रिक्शा का पंजीयन

19. (क्र. 555) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ई रिक्शा के पंजीयन के क्या नियम हैं ? 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक रायपुर जिले में कितने ई रिक्शों का पंजीकरण किया जाकर उन्हें पंजीयन क्रमांक प्रदान किये गये हैं ?

**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : ई रिक्शा के पंजीयन के प्रावधान तथा मार्गदर्शी सिद्धांत † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक रायपुर जिले में कुल 651 ई रिक्शा का पंजीकरण किया जाकर उन्हें पंजीयन क्रमांक प्रदान किया गया है.

#### जिला मुंगेली में सोलर पैनल पंप की स्थापना

20. (क्र. 635) **श्री पुनूलाल मोहले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुंगेली में वर्ष 2014 से जून 2019 तक क्रेडा द्वारा किसानों के लिए कहाँ-कहाँ किस-किस जगह सोलर पैनल पंप लगाया गया है ? लागत सहित स्थलवार अलग-अलग जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार कितने पूर्ण हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में मुंगेली जिले 1905 किसानों के लिए स्थापित सोलर पंप की स्थलवार, लागतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” की सूची में सम्मिलित सभी 1905 किसानों हेतु सोलर पंप स्थापना के कार्य पूर्ण हैं, अतः कितने पूर्ण है का प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

#### अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में नलकूप खनन

21. (क्र. 727) **श्री अनूप नाग** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2017 से 25 जून, 2019 तक कितने नवीन नलकूप स्वीकृत हुए एवं कितने में खनन कार्य हुआ है ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2017 से 25 जून, 2019 तक 172 नवीन नलकूप स्वीकृत हुए हैं एवं स्वीकृत में से 141 नलकूपों का खनन कार्य हुआ है.

#### जिला राजनांदागांव में खनिज न्यास मद से शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन हेतु व्यय राशि

22. (क्र. 767) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खनिज विभाग के अंतर्गत खनिज न्यास मद के तहत राजनांदागांव जिले में वर्ष 2016-17 से 2018-19 में हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन हेतु कितनी राशि व्यय की गयी ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : राजनांदगांव जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में हाई एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन हेतु राशि रुपये 252.40 लाख व्यय किया गया.

जिला खनिज न्यास निधि के अंतर्गत प्राप्त अंशदान

23. (क्र. 798) **श्री अरूण बोरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018-19 में जिला खनिज न्यास निधि के अंतर्गत कुल कितना अंशदान प्राप्त हुआ ? इनमें से कुल कितनी राशि खर्च की गई ? जिलेवार जानकारी दें ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 27 जिला खनिज संस्थान न्यासों की निधि में कुल राशि रुपये 1080.18 करोड़ अंशदान प्राप्त हुआ. उक्त अवधि में न्यासों द्वारा कुल राशि रुपये 845.64 करोड़ खर्च की गई. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

नंदराज पर्वत पर लोह उत्खनन की अनुमति

24. (क्र. 924) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नंदराज पर्वत पर लोहा उत्खनन के लिए खनिज विभाग द्वारा पर्यावरण मण्डल से स्वीकृति ली गई थी ? यदि हां तो कब ? (ख) क्या छत्तीसगढ़ शासन के राज्य स्तरीय पर्यावरण मंडल द्वारा “कंसेंट टू एस्टेब्लिश” प्रमाण पत्र दिया था ? यदि हां तो कब और किस आधार पर दिया गया था ? (ग) छ.ग. शासन द्वारा अडानी कंपनी को उत्खनन के लिए अंतिम स्वीकृति कब दी गई थी ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी नहीं. नंदराज पर्वत पर लोहा उत्खनन के लिए खनिज विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से स्वीकृति नहीं ली गई है. वस्तुतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला आयरन और प्रोजेक्ट डिपोजिट-13, ग्राम-किरंदुल, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) को पत्र दिनांक 17-10-2017 के द्वारा स्थापना सम्मति जारी की गई है. (ख) जी हां. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 07-05-2015 द्वारा मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला आयरन और प्रोजेक्ट डिपोजिट-13, ग्राम-किरंदुल, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला आयरन और प्रोजेक्ट डिपोजिट-13, ग्राम किरंदुल, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत किये गये आवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 17-10-2017 द्वारा स्थापना सम्मति जारी की गई है. (ग) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अडानी कंपनी को उत्खनन के लिए कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है.

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत नलजल एवं स्थलजल योजना/हैण्डपंप खनन की स्वीकृति

25. (क्र. 935) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 से 31 जून, 2019 तक कहां-कहां पर नलजल एवं स्थल जल योजना एवं हैण्डपंप खनन हेतु कुल कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गए ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) कंडिका “क” के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई ? स्वीकृत कार्यों की पूर्णता अवधि क्या थी ? कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कितने कार्य किन कारणों से अपूर्ण हैं ? (ग) कितने ग्राम/नगर में खारे/प्रदूषित पानी की समस्या है उक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? कितने ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है एवं कितने में नहीं ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 से 30 जून, 2019 की अवधि में कुल 11 नलजल योजना स्वीकृत लागत रु. 479.08 लाख, शून्य स्थलजल योजना एवं 248 नलकूप खनन कर हैण्डपंप स्थापना कार्य, लागत रुपये 249.79 लाख का कार्य स्वीकृत किये गये. विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दर्शित है. (ख) कंडिका “क” के स्वीकृत कार्यों की जारी प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दर्शित है. स्वीकृत कार्यों की पूर्णता अवधि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दर्शित है. कुल स्वीकृत 259 कार्यों में से 250 कार्य पूर्ण हुए एवं 09 कार्य अपूर्ण हैं, अपूर्ण कार्य प्रगतिरत हैं व निर्धारित पूर्णता अवधि की समय-सीमा में हैं. (ग) 18 ग्रामों में खारे पानी की समस्या है, नगर में खारे पानी की समस्या नहीं है. उक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय हेतु विभाग द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दर्शित है. सभी 18 ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था की जा चुकी है.

जिला बिलासपुर में आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण

26. (क्र. 940) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरक्षित वन क्षेत्र को राजस्व क्षेत्र या ग्राम बनाने के नियम व प्रक्रिया क्या है ? (ख) बिलासपुर जिले में कितने आरक्षित वन क्षेत्र हैं जहाँ अतिक्रमण कर बसाहट किया गया है ? अतिक्रमण वन क्षेत्र का नाम व जनसंख्या की जानकारी दें।

**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वन ग्रामों की वन भूमि की वैधानिक स्थिति पूर्ववत् वन भूमि ही रखते हुए वन ग्रामों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा 1 के खण्ड (ज) के अंतर्गत राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ”, प्रपत्र “ब” एवं प्रपत्र “स” पर दर्शित है।

तेन्दूपत्ता का संग्रहण

27. (क्र. 944) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रचलित वर्ष में तेन्दूपत्ता का संग्रहण कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी मात्रा में किया गया है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) कंडिका “क” के संग्रहण में लाभार्थियों के साथ भेदभाव किये जाने और अनियमितताओं की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या कंडिका “क” के संग्रहण का विपणन कर लिया गया है ? यदि हाँ तो कब और इसका कुल मूल्य कितना रहा है ? जिलावार जानकारी दें ?

**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रचलित वर्ष में 25 जिलों में कुल 1506347.195 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण किया गया है। जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) अनियमितताओं की कोई शिकायतें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। (ग) कंडिका “क” के कुल संग्रहण में से 935476.444 मानक बोरा विपणन कर लिया गया है, जिसका कुल विक्रय मूल्य 5,02,53,58,208.12 है।

-----

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### नगर पंचायत पलारी में जल आवर्धन प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति

1. (क्र. 37) **सुश्री शकुन्तला साहू** : क्या क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदा बाजार-भाटापारा जिले क नगर पंचायत पलारी में जल आवर्धन प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति कब एवं कितनी राशि की जारी की गई ? (ख) उक्त योजना का कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के नगर पंचायत पलारी की जल आवर्धन प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 30-03-2017 के द्वारा राशि रु. 1065.24 लाख की जारी की गई है. (ख) कार्य प्रारंभ होने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

### जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को डी एम एफ मद में प्राप्त राशि

2. (क्र. 38) **सुश्री शकुन्तला साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को डी एम एफ मद से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उक्त राशि से वर्षवार विकासखण्ड कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से कार्य कितनी लागत से स्वीकृत किये गए ? (ख) उक्त कार्यों की पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी उपलब्ध करावे.

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5106.19 लाख रुपये एवं वर्ष 2019-20 में (मई 2019 तक) 2179.38 लाख रुपये प्राप्त हुई है. उक्त राशि से स्वीकृत कार्यों की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के कालम क्रमांक 05 पर दर्शित है.

### बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को कैम्पामद में स्वीकृत राशि

3. (क्र. 39) **सुश्री शकुन्तला साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत कैम्पा मद में किन-किन वन मण्डलों में कौन-कौन से कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई ? (ख) वर्षवार एवं वन मण्डल अनुसार पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी उपलब्ध करावें.

**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-एक” में दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-दो” में दर्शित है.

### जिला जशपुर में गौण खनिज मद में प्राप्त राशि एवं स्वीकृत कार्य

4. (क्र. 57) **श्री यू. डी. मिंज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जशपुर जिले में वर्ष 2018-19 में गौण खनिज मद में कितनी-कितनी राशि किस-किस खदान में प्राप्त हुई ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्न “क” में वर्णित प्राप्त राशि में से किस-किस विकासखंड में कितनी-कितनी राशि के कार्यों की स्वीकृति दी गई है ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 में गौण खनिज से प्राप्त रॉयल्टी राशि का संचितरण पंचायतों/नगरीय निकायों को नहीं किया गया है, अतः कार्यों की स्वीकृति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

### जशपुर जिले में डी. एम. एफ. मद से कराये गये कार्यों की जांच

5. (क्र. 58) **श्री यू. डी. मिंज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जशपुर जिले में डी. एम. एफ. मद से 2016 से 2019

तक कितनी राशि के विकास एवं अन्य कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है ? (ख) क्या प्रश्नांश “क” के अनुसार कराये गये कार्यों की जांच हुई है ? यदि हां तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जशपुर जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से वर्ष 2016 से 2019 तक कुल 10474.75 लाख रुपये के विकास एवं अन्य कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है. (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार स्वीकृत कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्यों की जांच की जा रही है.

जिला जशपुर में सीपत रांची विद्युत लाईन हेतु वृक्षों की कटाई

6. (क्र. 59) **श्री यू. डी. मिंज** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीपत रांची विद्युत लाईन के विस्तार में जशपुर जिले अन्तर्गत कितने-कितने वृक्षों की कटाई की गई ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार काटे गये वृक्षों के बदले कितना हर्जाना विभाग को प्राप्त हुआ है ? (ग) काटे गए वृक्षों के बदले कितने वृक्ष लगाये गये हैं ? (घ) प्रश्न “ग” के अनुसार वृक्षारोपण में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है ? (ङ) कुनकुरी विधान सभा अन्तर्गत कितने वन बीट, रेंज आफिस है ?

**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जशपुर वनमण्डल अन्तर्गत सीपत से रांची विद्युत लाईन विस्तार के दो ट्रांसमिशन लाईन क्रमशः 765 के व्ही. एवं 400 के व्ही. स्वीकृत है. 765 के व्ही. ट्रांसमिशन लाईन अंतर्गत कुल 2559 वृक्ष एवं 400 के व्ही. अंतर्गत कुल 2399 वृक्षों की कटाई की गई है. (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार काटे गये वृक्षों के बदले विभाग को कोई हर्जाना प्राप्त नहीं हुआ. क्योंकि कोई उल्लंघन नहीं हुआ. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रात्यावर्तन के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं औषधि रोपण हेतु निम्नानुसार राशि विभाग को प्राप्त हुई है.

क्र.	ट्रांसमिशन लाईन	जमा की राशि (रु. में)			योग
		क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	प्रत्याशा मूल्य	औषधि रोपण	
1.	765 के व्ही. लाईन	4,67,44,941	5,43,65,368	7,42,378	10,18,52,687
2.	400 के व्ही. लाईन	47,27,004	2,74,18,440	0	3,21,45,444

(ग) जशपुर वनमण्डल अंतर्गत सीपत से रांची ट्रांसमिशन लाईन 765 के व्ही. विस्तार में काटे गये वृक्षों के बदले 146.146 हे. में वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव बनाया गया है स्वीकृति उपरांत वृक्षारोपण किया जाएगा. 400 के व्ही. सीपत से रांची ट्रांसमिशन लाईन के विरुद्ध 65.282 हे. में निम्नानुसार क्षतिपूर्ति रोपण कार्य किया गया है.

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	रोपण क्षेत्रफल का रकबा (हे.)	रोपित पौधों की संख्या
जशपुर	पत्थलगांव	P- 1022	25.282	27810
		P- 1014	40.000	44000

(घ) जशपुर वनमण्डल अन्तर्गत 400 के व्ही. ट्रांसमिशन लाईन हेतु कटाई के एवज में 65.282 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया गया, रोपण में कुल राशि 25.75 लाख रुपये का व्यय हुआ है. 765 के व्ही. ट्रांसमिशन लाईन हेतु वृक्ष कटाई उपरांत वृक्षारोपण का कार्य नहीं होने के कारण कोई व्यय नहीं किया गया है. (ङ) कुनकुरी विधानसभा अंतर्गत निम्नानुसार वन बीट एवं परिक्षेत्र ऑफिस है :-

क्रमांक	परिक्षेत्र	बीट की संख्या
1.	कुनकुरी	13
2.	दुलदुला	14
3.	तपकरा	21

जिला बिलासपुर में घरेलू गैस सिलेण्डर उपयोग करने वालों व्यवसायिक संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही

7. (क्र. 172) **श्रीमती रश्मि आशिष सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में वर्ष 2018 एवं 2019 में किन-किन संस्थानों से अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किया गया है ? डीलर तथा कम्पनी सहित जानकारी दी जाये ? (ख) उक्त गैस डीलरों के तथा संस्थानों/होटलों के मालिक के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री अमरजीत भगत) : (क) बिलासपुर जिले में वर्ष 2018 में 26 संस्थानों में अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर उपयोग का प्रकरण दर्ज कर 71 नग घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किया गया. वर्ष 2019 में अवैध गैस सिलेण्डर उपयोग के प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में नल-जल योजनाओं की स्वीकृति

8. (क्र. 246) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में नल-जल योजनांतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी लागत की नल-जल योजना के निर्माण की स्वीकृति दी गई है ? पूर्ण अपूर्ण की जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में उच्चस्तरीय नल-जल योजना संचालित है और शेष 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में नल जल योजना की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी ? (ग) कार्य पूर्ण होने के पश्चात ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने के बाद उसके रख-रखाव के लिए विभाग के द्वारा प्रति वर्ष कितनी राशि ग्राम पंचायत को किस माध्यम से भुगतान की जाती है.

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 4 ग्राम पंचायतों के 04 ग्राम में 04 नलजल योजना एवं वर्ष 2018-19 में 06 ग्राम पंचायतों के 08 ग्राम में 07 नलजल योजना के निर्माण की स्वीकृति दी गई है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 5 एवं 6 में दर्शित है. पूर्ण अपूर्ण की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 1000 से अधिक आबादी वाले 36 ग्रामों में उच्च स्तरीय टंकी युक्त नल-जल योजना संचालित है. शेष 1000 से अधिक आबादी वाले 16 ग्रामों में नलजल योजना की स्वीकृति का निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है. (ग) कार्य पूर्ण होने के पश्चात ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने के बाद नलजल योजनाओं के रख-रखाव के लिए विभाग द्वारा प्रति वर्ष रु. 15000.00 प्रति योजना अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत को उनके बैंक खातों में ई-ट्रान्सफर के द्वारा भुगतान की जाती है.

पामगढ़ क्षेत्र के ग्राम चोर भट्टी में संचालित पत्थर खदान

9. (क्र. 291) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम चोर भट्टी में निवोको कम्पनी के द्वारा कब से पत्थर खदान संचालित की जा रही है ? (ख) उक्त पत्थर खदान में कितने एकड़ किसानों की भूमि अधिग्रहित की गयी है ? (ग) प्रभावित किसानों की प्रति एकड़ कितनी कितनी मुआवजा राशि कब-कब प्रदान की गई है ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा के पामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चोरभट्टी में मेसर्स रेमण्ड सीमेन्ट वर्क्स लिमिटेड को वर्ष 2000 में आवंटित खनिज चूनापत्थर के खनिपट्टा का हस्तान्तरण शासन के आदेश दिनांक 08-12-2000 द्वारा मेसर्स लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. को किया गया. मेसर्स लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड (वर्तमान नाम मेसर्स न्यूवोको विस्त्यास कार्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा उक्त खनिपट्टा अक्टूबर, 2006 से संचालित की जा रही है. (ख) उक्त चूनापत्थर खदान में किसानों की 64.31 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है. (ग) प्रभावित किसानों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर-चांपा द्वारा पारित अवाई दिनांक 15-01-2001 में प्रति एकड़ रुपये 1,17,427.19 की दर से भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया. मुआवजा वितरण की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

प्रदेश में चिन्हित खदानें

10. (क्र. 305) **धरमलाल कौशिक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी रेत खदान चिन्हित की गई है ? 15 जून, 2019 की स्थिति में कितनी रेत खदानों से रेत उत्खनन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : प्रदेश में रेत के कुल 861 रेत खदान चिन्हित की गई है. 15 जून, 2019 की स्थिति में प्रदेश में कुल 242 रेत खदानों से रेत उत्खनन हेतु स्वीकृति प्राप्त है.

जिला-दंतेवाड़ा में डी. एम. एफ. फंड से स्वीकृत राशि के व्यय में अनियमितता की जांच

11. (क्र. 306) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में कोरबा व दंतेवाड़ा जिले में डीएमएफ फंड से स्वीकृत राशियों के व्यय में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ तो उन पर क्या कार्यवाई की गई है ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : जी हाँ. विगत दो वर्षों से जिला कोरबा व दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्वीकृत राशियों के व्यय में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

दुर्ग व बिलासपुर जिले में नल जल योजना के संचालन हेतु जल की व्यवस्था

12. (क्र. 313) **श्री विद्यारतन भसीन** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग व बिलासपुर जिले में 1 जनवरी, 2019 से 20 जून, 2019 के मध्य कितने हैण्डपंप व नल जल योजना के स्रोत सुख गए हैं ? इन नल जल योजनाओं के संचालन हेतु पानी की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें. (ख) प्रश्नांश “क” अवधि में उक्त दोनों जिलों में कितने नवीन हैण्डपंप उत्खनन का लक्ष्य था व कितने हैण्डपंप स्थापित किए गए और उनमें कितने सफल हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दें.

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जनवरी 2019 से 20 जून 2019 के मध्य 112 हैण्डपंप के स्रोत सूख गये तथा नलजल योजना के स्रोत नहीं सूखे हैं. बिलासपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जनवरी 2019 से 20 जून 2019 के मध्य 691 हैण्डपंप के स्रोत (जलस्तर नीचे जाने से) व 01 नलजल योजना के स्रोत सूख गये थे, जहाँ स्थापित 02 हैण्डपम्पों, 02 सिंगल फेस पॉवर पंप, 01 सोलर पंप एवं 50 व्यक्तिगत निजी पम्प से पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है. (ख) कैलेण्डर वर्ष एवं विधानसभा क्षेत्रवार नलकूप खनन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है. जिले हेतु वर्ष 2018-19 व 2019-20 में नलकूप खनन हेतु निर्धारित लक्ष्य में से प्रश्नांश “क” अवधि में जिला दुर्ग में 142 नलकूप खनन किये गये खनित नलकूपों में से 90 नलकूप सफल रहे. बिलासपुर में 148 नलकूप खनन किये गये खनित नलकूपों में से 138 नलकूप सफल रहे. विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी †† संलग्न “ब” में दर्शित अनुसार है.

मरवाही विधानसभा में विद्युत कटौती या बिजली बंद होने की प्राप्त शिकायतें

13. (क्र. 326) **श्री अजीत जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2019 से 31 मई, 2019 तक मरवाही विधानसभा क्षेत्र में विद्युत कटौती या बिजली बंद होने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? (ख) क्या बिजली बंद होने के अधिकतर प्रकरणों का कारण ट्रांसफार्मरों का पुराना होना या खराब होना था ? (ग) यदि हाँ तो ट्रांसफार्मर के रख रखाव या आधुनिकरण के लिए क्या कार्य किये जा रहे हैं ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में मरवाही विधानसभा क्षेत्र में विद्युत बंद होने की 16 एवं ट्रांसफार्मर विफल होने के संबंध में 52 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. (ख) बिजली बंद होने की अधिकांश शिकायतें ट्रांसफार्मर फेल होने के कारण प्राप्त हुई हैं. सामान्यतः विद्युत लाईनों में फॉल्ट करंट, आकाशीय बिजली तथा ट्रांसफार्मर में उत्पन्न तकनीकी त्रुटि के कारण ट्रांसफार्मर विफल होते हैं जिन्हें ट्रांसफार्मर एवं संसाधनों की उपलब्धता अनुसार यथाशीघ्र बदल दिया जाता है. (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

कोटा विधानसभा में विद्युत कटौती या बिजली बंद होने की प्राप्त शिकायतें

14. (क्र. 331) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2019 से 31 मई,

† परिशिष्ट “उन्तीस”

†† परिशिष्ट “तीस”

2019 तक कोटा विधानसभा क्षेत्र में विद्युत कटौती या बिजली बंद होने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? (ख) क्या बिजली बंद होने के अधिकतर प्रकरणों का कारण ट्रांसफार्मरों का पुराना होना या खराब होना था ? (ग) यदि हां तो ट्रांसफार्मर के रख रखाव या आधुनिकरण के लिए क्या कार्य किये जा रहे हैं ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में मरवाही विधानसभा क्षेत्र में विद्युत बंद होने की 11 एंव ट्रांसफार्मर विफल होने के संबंध में 72 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। (ख) बिजली बंद होने की अधिकांश शिकायतें ट्रांसफार्मर फेल होने के कारण प्राप्त हुई हैं। सामान्यतः विद्युत लाईनों में फॉल्ट करंट, आकाशीय बिजली तथा ट्रांसफार्मर में उत्पन्न तकनीकी त्रुटि के कारण ट्रांसफार्मर विफल होते हैं जिन्हें ट्रांसफार्मर एवं संसाधनों की उपलब्धता अनुसार यथाशीघ्र बदल दिया जाता है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिपेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

बस्तर जिला में फ्लोराईड एवं आर्सेनिक से प्रभावित ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

15. (क्र. 343) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिला अंतर्गत मार्च 2019 की स्थिति में किन-किन गांवों में फ्लोराईड एवं आर्सेनिक युक्त जल पाया गया ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) उक्त प्रभावित गांवों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने की क्या व्यवस्था की गई ? (ग) विगत पांच वर्षों में फ्लोराईड एवं आर्सेनिक युक्त जल के दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की शिकायत कहां-कहां दर्ज की गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) बस्तर जिला अंतर्गत मार्च 2019 की स्थिति में पेयजल स्रोतों में फ्लोराईड की अधिकता पाई गई, कि विकासखण्डवार एवं ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। बस्तर जिले के किसी भी ग्राम में आर्सेनिक युक्त जल नहीं पाया गया। (ख) उक्त फ्लोराईड प्रभावित गांवों में विभाग द्वारा पेयजल उपलब्ध कराये जाने की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ग) विगत 05 वर्षों में जिला बस्तर में फ्लोराईड एवं आर्सेनिक युक्त जल के दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की शिकायतें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को प्राप्त नहीं हुई हैं।

बस्तर संभाग में नलकूप खनन

16. (क्र. 344) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में विगत 03 वर्षों में पेयजल हेतु कितने विभागीय नलकूप खनन की कार्यवाही की गई ? (ख) कितने नलकूपों की मांग प्राप्त हुई थी ? कितने नलकूप खनन कार्य शेष है ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) बस्तर संभाग में विगत 03 वर्षों में पेयजल हेतु 3447 विभागीय नलकूप खनन की कार्यवाही की गई। (ख) बस्तर संभाग में विगत 03 वर्षों में पेयजल हेतु 12,338 नलकूपों की मांग प्राप्त हुई थी। प्राप्त नलकूप खनन की मांग के परीक्षण उपरांत विभागीय मापदंड के अनुरूप 2892 नलकूप खनन कार्य स्वीकृत किये गये स्वीकृत नलकूप खनन कार्य में से 2882 नलकूप खनन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 10 नलकूप खनन कार्य शेष है।

महासमुन्द विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन

17. (क्र. 440) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में किन-किन ग्रामों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित उचित मूल्य की दुकानों में कितनी दुकानें सहकारी समिति (सोसायटी) अथवा निजी व्यक्ति द्वारा संचालित की जा रही है पृथक-पृथक जानकारी दें ?

**खाद्य मंत्री** (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित उचित मूल्य दुकानों में से सभी 104 उचित मूल्य दुकानें सहकारी समितियों द्वारा संचालित की जा रही हैं। निजी व्यक्ति द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालित नहीं की जा रही है।

महासमुन्द विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत हैण्ड पम्प खनन

18. (क्र. 441) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर** : क्या क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2014 से 25 जून, 2019 तक कितने हैण्डपंप खनन किये गये ? (ख) कितने हैण्डपंप चालू हैं, कितने हैंडपंप

बंद है ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** ( श्री गुरु रूद्रकुमार ) : (क) महासमुन्द विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2014 से 25 जून 2019 तक 347 नलकूप/हैण्डपंप खनन किये गये है. (ख) विधानसभा क्षेत्र में 2392 हैण्डपम्प चालू है तथा 94 हैण्डपम्प बंद है.

जिला बलौदा बाजार -भाटापारा में जारी ट्रांसपोर्ट परमिट

19. (क्र. 454) **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ सहित बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में विगत 03 वर्षों में कितने ट्रांसपोर्ट परमिट जारी किए गए.

**वन मंत्री** ( श्री मोहम्मद अकबर ) : विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ सहित बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में विगत 03 वर्षों में 643 परिवहन वाहनों को परमिट जारी किए गए.

जिला गरियाबंद में विद्युत विहीन ग्राम/माजरा टोलों का विद्युतीकरण

20. (क्र. 534) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला गरियाबंद में कितने ग्राम/माजरा टोला विद्युत विहीन है ? कब तक पूर्ण विद्युतकृत कर लिया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** ( श्री भूपेश बघेल ) : जिला गरियाबंद में विद्युत विहीन ग्राम एवं मजराटोला की संख्या निरंक है. अतः कब तक ग्राम/मजराटोला/बसाहटों को पूर्ण विद्युतीकृत कर लिया जावेगा का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में जल आवर्धन योजना की स्वीकृति

21. (क्र. 642) **श्री पुनूलाल मोहले** : क्या क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016 से जून 2019 तक जल आवर्धन योजना के तहत कहां कहां कितनी कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) क्या उक्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं यदि नहीं तो कब तक पूर्ण होंगे ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** ( श्री गुरु रूद्रकुमार ) : (क) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016 से जून 2019 तक जल आवर्धन योजना के तहत नवीन आवर्धन योजना की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है. (ख) जी नहीं प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बस्तर जिले के विकासखण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों में संचालित जल आवर्धन योजना

22. (क्र. 672) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला-बस्तर में वर्ष 2017-18, 2018-19 में किन-किन विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में एवं जिले के नगरीय क्षेत्रों एवं नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में जल आवर्धन योजना संचालित है ? (ख) जिले में संचालित नल-जल योजना कहां-कहां बंद एवं किन-किन स्थानों पर चालू हालत में संचालित है ? पृथक-पृथक जानकारी देवें. (ग) कितनी योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति के बाद निविदा आमंत्रित हो चुकी है ? तथा कितने कार्य प्रारंभ हो चुके है ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** ( श्री गुरु रूद्रकुमार ) : (क) जिला बस्तर में वर्ष 2017-18, 2018-19 में किसी भी विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आवर्धन योजना संचालित नहीं की गयी है. प्रश्नाधीन अवधि में जिला बस्तर के जगदलपुर नगर निगम की जगदलपुर आवर्धन जल प्रदाय योजना तथा नगर पंचायत बस्तर की बस्तर आवर्धन जल प्रदाय योजना संचालित है. (ख) जिले में संचालित 113 ग्रामीण नल जल योजनाओं में से बंद योजना निरंक है. 113 ग्रामीण नल जल योजना चालू हालत में संचालित है, योजनावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में जिला बस्तर की 28 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. स्वीकृति पश्चात् सभी 28 योजनाओं में प्रस्तावित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित हो चुकी है. 18 योजनाओं के कार्य प्रारंभ हो चुके है.

तमोर, पिंगला अभ्यारण्य में हाथियों हेतु सुरक्षा व्यवस्था

23. (क्र. 706) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तैमौर, पिंगला अभ्यारण्य में हाथी के विकास, सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?

**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : तमोर पिंगला अभ्यारण्य में हाथियों के विकास एवं सुरक्षा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :-

1. तमोर पिंगला अभ्यारण्य में वर्ष 2018-19 में हाथियों के पेयजल एवं चारा हेतु 16 एनीकट, 11 स्टॉप डेम, 10 तालाब एवं 475 हेक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास कार्य कराया गया है।
2. हाथी प्रभावित क्षेत्रों के वन कर्मचारियों द्वारा गश्त कर सतत निगरानी रखी जा रही है।
3. हाथी प्रभावित गांवों में गीतों/नुक्कड़ नाटकों द्वार-द्वार प्रचार रैली, कार्यशाला, इत्यादि के माध्यम से हाथी मानव द्वंद्व को कम करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रभावित गांवों में संयुक्त वन प्रबंध समिति/हाथी मित्र दल को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्हें विभिन्न तकनीकी का उपयोग कर हाथी-मानव द्वंद्व कम करने हेतु संसाधन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. हाथी बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र, पिंगला का निर्माण सूरजपुर जिले के रमकोला बीट में किया गया है, जिसमें समस्या मूलक हाथी को पकड़कर सुधार हेतु रखे जाने की व्यवस्था है।
5. आकाशावाणी केन्द्र के माध्यम से हाथी के विचरण की जानकारी प्रतिदिन प्रसारित की जा रही है ताकि जिन क्षेत्रों में हाथी विचरण कर रहे हैं, वहां के ग्रामवासियों को उसकी सूचना पूर्व से ही प्राप्त हो जाये तथा हाथी से बचाव की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।
6. हाथी द्वारा की जा रही जन हानि प्रकरणों में प्रभावित परिवार को दी जा रही सहायता राशि 4.00 लाख में वृद्धि करते हुए छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा दिनांक 01-06-2019 से राशि रु. 6.00 लाख किया गया है। उचित मुआवजा राशि मिलने के कारण लोगों में वन्यप्राणियों के प्रति बदले की भावना को कम किया जा रहा है।
7. भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के विशेषज्ञों के दल द्वारा दिनांक 05-07-2017 से हाथी-मानव द्वंद्व को नियंत्रित करने हेतु शोध का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जो आगामी 03 वर्षों तक जारी रहेगा। इस दल द्वारा शोध आधारित क्षमता विकास का कार्य भी किया जा रहा है।
8. जंगली हाथियों को रंडियो कॉलर कर सेटलाईट के माध्यम से उनके विचरण की निगरानी।
9. चलित हाथी सुरक्षा दस्ता का गठन किया गया है।
10. मानव-हाथी द्वंद्व को देखते हुये अन्तर्राज्यीय पहल के लिये प्रभावित राज्यों के मध्य समझौता करने के लिए एम. ओ. यू. करने का प्रारूप छत्तीसगढ़ शासन की ओर से भारत शासन, नई दिल्ली को दिनांक 03-04-2018 को भेजा गया है।

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में उज्जवला योजना से लाभान्वित हितग्राही

24. (क्र. 719) **श्री सौरभ सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में उज्जवला योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में दिनांक 15-06-2019 तक किस किस ग्राम पंचायत और नगरी क्षेत्र में कितने हितग्राहियों को लाभ दिया गया है ? (ख) इस वर्ष में कितना लक्ष्य रखा गया है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

सिमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया खनिज पट्टा

25. (क्र. 720) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चाम्पा जिले में अकलतरा तहसील के अंतर्गत सिमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को किस किस गांव में कितनी भूमि पर चूना पत्थर खनन के लिए खनिज पट्टा कितनी अवधि के लिए कब दिया गया था ? (ख) उपरोक्त खनिज पट्टा का अंतिम नवीनीकरण कब किया गया है ? (ग) उपरोक्त पट्टे पर दिनांक 20-06-2019 की स्थिति में कितना खनिज राजस्व वसूली बकाया है ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा तहसील के अंतर्गत मेसर्स सिमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को ग्राम तरौद, रकबा 770.92 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 05-03-1974 से 04-03-1994 तक तथा रकबा 221.59 एकड़ क्षेत्र में दिनांक 15-12-1977 से 14-12-1997 तक की अवधि के लिये खनिज चूनापत्थर के 02 खनिजपट्टे स्वीकृत थे। (ख) उक्त खनिजपट्टों का नवीनीकरण नहीं किया

गया है, अपितु उपरोक्त दोनों खनिपट्टे शासन के आदेश दिनांक 20-03-2018 द्वारा व्यपगत घोषित किये गये हैं। मेसर्स सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा उक्त खनिपट्टों को पुर्नजीवित करने हेतु राज्य शासन के समक्ष दिनांक 17-09-2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। (ग) उपरोक्त खनिपट्टों पर दिनांक 20-06-2019 की स्थिति में खनिज राजस्व बकाया वसूली हेतु शेष नहीं है।

#### केशकाल विधानसभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की राशन की दुकानें

26. (क्र. 743) **श्री संतराम नेताम** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018-19 में कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? (ख) कितनी राशन दुकान महिला स्वसहायता समूह एवं सेवा समिति द्वारा संचालित है।

**खाद्य मंत्री** (श्री अमरजीत भगत) : (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में 156 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित थीं। (ख) केशकाल विधानसभा क्षेत्र में 31 शासकीय उचित मूल्य दुकानें महिला स्वसहायता समूहों द्वारा तथा 23 शासकीय उचित मूल्य दुकानें आदिम जाति सहकारी समितियों द्वारा संचालित की जा रही हैं।

#### जिला राजनांदगांव में विकास यात्रा कार्यक्रम में व्यय राशि

27. (क्र. 773) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक राजनांदगांव जिले में विकास यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित विभागों ने अपने किन-किन शीर्ष मदों से राशि व्यय की ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत जिला राजनांदगांव में वर्ष 2017-18 में विकास यात्रा कार्यक्रम में कोई राशि व्यय नहीं की गई है। जिले में वर्ष 2018-19 में विकास यात्रा कार्यक्रम में राशि रुपये 12,05,02,332/- लाख (रुपये बारह करोड़ पांच लाख दो हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) व्यय किया गया है। विभागवार एवं मदवार व्यय की जानकारी †संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है।

#### जिला राजनांदगांव में विद्युत पम्पों हेतु स्थायी कनेक्शन

28. (क्र. 778) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्तमान में किस-किस विकासखंड में कितनी-कितनी संख्या में विद्युत पंपों के अस्थायी कनेक्शन दिये गये हैं ? (ख) अस्थायी विद्युत पंप कनेक्शन किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी संख्या में लंबित है ? इन्हें कब तक स्थायी कनेक्शन किया जायेगा बतावें ? (ग) प्रश्नांक “क” अनुसार किये गये अस्थायी विद्युत कनेक्शन में से स्थाईकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 30 जून 2019 तक की कालावधि में 7,272 अस्थाई सिंचाई पम्प कनेक्शन दिये गये हैं, जिनकी विकासखण्डवार संख्या की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) राजनांदगांव जिले में किसी भी वर्ष में अस्थाई विद्युत पम्प कनेक्शन हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी में सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करने हेतु प्रचलित नियमों के अधीन अस्थाई पम्प कनेक्शन उपभोक्ता के आवेदन पर उन्हें स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित किये जाने का नियम है। अतः अस्थाई कनेक्शन को कब तक स्थाई कनेक्शन दिया जायेगा की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (क) में दर्शाये 7,272 अस्थाई पम्प कनेक्शन उपभोक्ताओं में से 3,688 उपभोक्ताओं द्वारा अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

#### खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वृक्षारोपण

29. (क्र. 779) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में हरिहर योजना सहित वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य समस्त योजनाओं के तहत 2016-17 से 2018-19 तक कितने पौधों का रोपण किया गया एवं कितनी राशि व्यय की गई वन परिक्षेत्रवार जानकारी बतावें ? (ख) कुल रोपित पौधों में से 25 जून 2019 में कितने पौधे जीवित हैं एवं पौधों की देख-रेख में कितनी राशि व्यय हुई वर्षवार बतावें ?

**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में हरिहर योजना सहित वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य समस्त योजनाओं के तहत वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में रोपित पौधों एवं रोपण पर व्यय की वर्षवार, परिक्षेत्रवार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	रोपित पौधा संख्या	व्यय राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-17	बाघनदी	533460	24203043
	खुज्जी	476320	20711536
	चौकी	198585	3146020
	<b>योग</b>	<b>1208365</b>	<b>48060599</b>
2017-18	बाघनदी	570352	27529436
	खुज्जी	319350	13236348
	चौकी	116990	4320788
	<b>योग</b>	<b>1006692</b>	<b>45086572</b>
2018-19	बाघनदी	191509	19319497
	खुज्जी	116670	9401620
	चौकी	75492	4045867
	<b>योग</b>	<b>383671</b>	<b>32766984</b>

(ख) कुल रोपित पौधों में से 25 जून, 2019 की स्थिति में वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में जीवित पौधों एवं पौधों की देखरेख में व्यय राशि की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	जीवित पौधों की संख्या	देख-रेख पर व्यय राशि (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-17	बाघनदी	276463	974180
	खुज्जी	228716	740566
	चौकी	120808	-
	<b>योग</b>	<b>625987</b>	<b>1714746</b>
2017-18	बाघनदी	324131	953267
	खुज्जी	173909	465510
	चौकी	96506	212263
	<b>योग</b>	<b>594546</b>	<b>1631040</b>
2018-19	बाघनदी	165521	690707
	खुज्जी	106527	338454
	चौकी	63644	97200
	<b>योग</b>	<b>335692</b>	<b>1126361</b>

बस्तर संभाग में तेंदूपत्ता बोनस भुगतान हेतु स्वीकृत राशि

30. (क्र. 802) **श्री अरूण चोरा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में वर्ष 2016-17, 17-18 एवं 18-19 में तेंदूपत्ता बोनस भुगतान हेतु कुल कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? स्वीकृत राशि में से कितना भुगतान शेष है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) तेंदूपत्ता बोनस भुगतान की शेष लंबित राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

**वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर)** : (क) बस्तर संभाग की वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक भुगतान की वर्षवार स्वीकृत, भुगतान (वितरित) तथा शेष राशि की जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) तेंदूपत्ता संग्रहकों को वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का बोनस भुगतान लंबित नहीं है.

प्रदेश में वाहन लायसेंस एवं नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन

31. (क्र. 835) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 में दिनांक 1 अप्रैल 2018 से दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्रदेश में वाहन लायसेंस जारी करने, नवीनीकरण करने हेतु कितने आवेदन प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में प्राप्त हुए ? (ख) इनमें से कितने आवेदन पत्रों का निराकरण कर लायसेंस जारी अथवा नवीनीकरण किया गया है ? (ग) कितने आवेदन लंबित हैं ?

**वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर)** : (क) प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में वर्ष 2018-19 में दिनांक 01 अप्रैल 2018 से दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्रदेश में वाहन लायसेंस जारी करने, नवीनीकरण करने के निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुए-

स. क्र.	आवेदन का प्रकार	आवेदन संख्या
1.	शिक्षार्थी चालक लायसेंस	201625
2.	स्थायी चालक लायसेंस	203862
3.	चालक लायसेंस नवीनीकरण	83990

(ख) प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में वर्ष 2018-19 में दिनांक 01 अप्रैल 2018 से दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्रदेश में वाहन लायसेंस जारी करने, नवीनीकरण करने के प्राप्त आवेदन पत्रों में से उक्त अवधि में निराकृत आवेदन निम्नानुसार है -

स. क्र.	आवेदन का प्रकार	आवेदन संख्या
1.	शिक्षार्थी चालक लायसेंस	195512
2.	स्थायी चालक लायसेंस	200339
3.	चालक लायसेंस नवीनीकरण	83662

(ग) प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में वर्ष 2018-19 में दिनांक 01 अप्रैल 2018 से दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्रदेश में वाहन लायसेंस जारी करने, नवीनीकरण करने के प्राप्त आवेदन पत्रों में से उक्त अवधि में लंबित आवेदन निम्नानुसार है -

स. क्र.	आवेदन का प्रकार	कार्यालय स्तर पर लंबित	आवेदक स्तर पर लंबित	निरस्त आवेदन
1.	शिक्षार्थी चालक लायसेंस	987	5013	113
2.	स्थायी चालक लायसेंस	335	3095	93
3.	चालक लायसेंस नवीनीकरण	58	222	48

मेसर्स बाल्को द्वारा राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की भूमि पर रेल लाईन बिछाने का मुआवजा

32. (क्र. 875) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मेसर्स बाल्को कंपनी ने सरकार की विद्युत उत्पादन कंपनी के जमीन पर रेल लाईन बिछा दी है ? यदि हाँ तो इस जमीन का कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है ? (ख) बाल्को कंपनी के इस अवैधानिक कृत्य के लिए सरकार द्वारा मेसर्स बाल्को पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हाँ. लेकिन बाल्को द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की जिस भूमि पर, अतिरिक्त रेल लाइन निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य प्रारंभ किये गये थे, उक्त भूमि का नियमानुसार अंतरण बाल्को को नहीं किया गया था. तदनुसार जिस भूमि पर प्रारंभिक कार्य प्रारंभ किये गये थे, को बंद कराया गया. वर्तमान में उक्त भूमि का स्वतन्त्र, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के पास है अतः बाल्को से मुआवजा भुगतान की प्राप्ति का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है. (ख) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की भूमि पर बाल्को द्वारा रेल लाइन के निर्माण की अनुमति हेतु बाल्को के साथ दिनांक 29-12-2011 को एग्रीमेंट का निष्पादन करने वाले अधिकारी इस हेतु सक्षम नहीं थे, अतः अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने हेतु प्रारंभिक कार्यों को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के पत्र क्रमांक 20-19/3225 कोरबा, दिनांक 12-10-2012 द्वारा बंद कराया गया और उक्त एग्रीमेंट को पत्र क्रमांक 04-04/1198 रायपुर, दिनांक 20-09-2017 द्वारा निरस्त किया गया.

जिला जांजगीर चाम्पा में स्थापित नल जल योजना एवं हैण्डपम्प

33. (क्र. 907) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में कितनी नलजल योजना एवं हैण्डपम्प स्थापित है ? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? वर्तमान में कितने चालू एवं कितने बंद हैं ? (ख) जिला जांजगीर-चाम्पा को वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 से दिनांक 15-6-19 तक हैण्डपम्प खनन एवं स्थापना का कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ था ? लक्ष्य के विरुद्ध कितना खनन किया गया, विधान सभा क्षेत्र वार जानकारी बतायें ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में 256 नलजल योजना एवं 12693 हैण्डपंप स्थापित है. विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” के कॉलम 3 एवं 6 में दर्शित है. वर्तमान में 249 नलजल योजनाएं चालू व 7 नलजल योजनाएं बंद हैं तथा 12509 हैण्डपंप चालू व 184 हैण्डपंप बंद हैं. (ख) जिला जांजगीर-चांपा को वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 से दिनांक 15-06-2019 तक कुल 1209 नलकूप खनन एवं हैण्डपंप स्थापना का लक्ष्य प्राप्त हुआ था. प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 965 नलकूप खनन किया गया. विधानसभा क्षेत्रवार नलकूप खनन का लक्ष्य नहीं दिया जाता है अपितु जिले को नलकूप खनन का लक्ष्य आवंटित किया जाता है. विधानसभारार खनित कराये गये नलकूप खनन की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

जिला जांजगीर चाम्पा में स्वीकृत नवीन नलजल योजना

34. (क्र. 908) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर चाम्पा में वर्तमान में कितनी नवीन नलजल योजना स्वीकृत की गई है ? स्वीकृत योजना का निर्माण किस स्तर पर है ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** (श्री गुरु रूद्रकुमार) : जिला जांजगीर चाम्पा में वर्तमान में कोई नलजल योजना स्वीकृत नहीं की गई है. स्वीकृत योजना के निर्माण कार्य का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज मामलों पर कार्यवाही

35. (क्र. 929) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2019 से 25 जून 2019 की अवधि में अवैध उत्खनन परिवहन के कितने-कितने मामले दर्ज किए गए, जिलेवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के मामलों में दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की, कितने वाहनों की जप्ती बनाई गई ? (ग) क्या कंडिका “क” के मामलों में अर्थदण्ड की वसूली भी की गई ? यदि हां तो अवैध उत्खनन एवं परिवहन से प्राप्त राशि का ब्यौरा पृथक-पृथक दें ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) 1 जनवरी, 2019 से 25 जून 2019 की अवधि में अवैध उत्खनन के कुल 309 प्रकरण तथा अवैध परिवहन के कुल 3,167 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) कंडिका “क” के मामलों में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार अवैध उत्खनन/परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। अवैध उत्खनन/परिवहन में सल्लिप्त कुल 3328 वाहनों का जप्ती बनाया गया है। (ग) अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों में प्रश्न से प्राप्त समझौता राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के क्रमशः कॉलम “4” एवं “6” पर दर्शित है।

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि पंपों हेतु विद्युत कनेक्शन

36. (क्र. 936) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 से दिनांक जून 2019 तक कितने किसानों द्वारा सिंचाई पम्प हेतु विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया ? प्राप्त आवेदन में से कितने किसानों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया ? कितने प्रकरण कब-कब से किन कारणों से लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ? विकासखण्डवार, जानकारी प्रदान करें ? (ख) क्या विभाग द्वारा आवेदक किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां तो कितनी ? (ग) क्या सिंचाई पंपों हेतु कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत छूट प्रदान करने का प्रावधान है यदि हां तो क्या-क्या एवं कितनी-कितनी ? योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें ?

**मुख्यमंत्री** (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि पम्पों हेतु विद्युत कनेक्शन के लिए 8,666 प्राप्त हुए हैं जिसमें वर्ष 2015-16 के अंत में लंबित 44 आवेदन सम्मिलित करने पर पंप कनेक्शन हेतु लंबित आवेदनों की कुल संख्या 8,710 आंकलित है। उक्त लंबित आवेदनों में से 6,381 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। तदनुसार विकासखंडवार प्राप्त आवेदनों की संख्या 30 जून 2019 तक कार्य पूर्ण प्रकरण तथा लाइन विस्तार हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है। पंप कनेक्शन के लंबित आवेदनों की विकासखण्डवार लंबित होने की अवधि सहित विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर लंबित आवेदनों का निराकरण मार्च 2020 तक करने का लक्ष्य है। (ख) जी हां। जानकारी निम्नवत है :-

विवरण	कनेक्शन जारी करने की अवधि
खेत में पहुंच उपलब्ध होने पर	लाइन विस्तार के कार्य की पूर्णता एवं आवेदक द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने की तारीख से 90 दिवस में।
खेत में पहुंच उपलब्ध होने पर	लाइन विस्तार के कार्य की पूर्णता तथा आवेदक द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने की तारीख से 180 दिवस में।

(ग) जी हां। राज्य शासन द्वारा 05 एच. पी. तक के सिंचाई पम्प ऊर्जीकरण की योजना अंतर्गत पम्प कनेक्शन के लिये लाइन विस्तार कार्य के लिये अनुदान/छूट का प्रावधान निम्नवत है:-

विवरण	अनुदान की सीमा
प्रत्येक पम्प कनेक्शन की अनुदान की दर संभाग हेतु स्वीकृत लक्ष्य की सीमा में पम्प कनेक्शन जारी करने के उपरांत राशि बचत होने पर	01 लाख की सीमा तक लाइन विस्तार हेतु अनुदान बचत की राशि से प्रति पम्प कनेक्शन अधिकतम 1.50 लाख के व्यय पर लाइन विस्तार हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

जिला दन्तेवाड़ा एवं बीजापुर में खनिज संस्थान न्यास से स्वीकृत राशि एवं कार्य

37. (क्र. 938) **श्री विक्रम शाह मण्डावी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खनिज संस्थान न्यास से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में वर्ष 2018-19 में कितने कार्य स्वीकृत किये गए हैं ? (ख) जिला खनिज संस्थान न्यास से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में वर्ष 2018-19 में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ? (ग) जिला खनिज संस्थान न्यास से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कार्य में कितने पूर्ण, अपूर्ण तथा प्रगतिरत है ?

**मुख्यमंत्री** ( श्री भूपेश बघेल ) : ( क ) वर्ष 2018-19 में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से दंतेवाड़ा जिले में 915 एवं बीजापुर जिले में 137 कार्य स्वीकृत किये गये हैं. ( ख ) वर्ष 2018-19 में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से दंतेवाड़ा जिले को राशि 166.91 करोड़ रुपये एवं बीजापुर जिले को राशि 62.22 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है. ( ग ) जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कार्य से पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	दंतेवाड़ा		योग	बीजापुर		योग
		पूर्ण	अपूर्ण/ प्रगतिरत		पूर्ण	अपूर्ण/ प्रगतिरत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2018-19	239	676	915	23	114	137

जिला बीजापुर में हैण्डपम्पों के रख-रखाव हेतु स्वीकृत राशि

38. (क्र. 939) **श्री विक्रम मण्डावी** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ( क ) बीजापुर जिले में कुल कितने हैण्डपंप हैं एवं हैण्डपम्पों के रखरखाव की क्या व्यवस्था है ? ( ख ) हैण्डपम्पों के खनन हेतु वर्ष 2016-17, 2017-2018 एवं 2018-2019 में कितनी राशि विभाग को उपलब्ध करायी गई है ? ( ग ) बीजापुर जिले में हैण्डपम्पों के सुधार एवं मरम्मत के लिए वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में कितनी राशि उपलब्ध करायी गई है.

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** ( श्री गुरु रूद्रकुमार ) : ( क ) जिला बीजापुर में कुल 7490 हैण्डपंप स्थापित है. हैण्डपंपों का रख-रखाव हैण्डपंप तकनीशियनों, हेलपर्स व संधारण वाहन के माध्यम से किया जाता है. ( ख ) हैण्डपंपों के खनन हेतु जिला बीजापुर को निम्नानुसार राशि उपलब्ध करायी गई है :-

वर्ष	राशि ( रु. लाख में )
2016-17	186.20
2017-18	141.10
2018-19	209.18

( ग ) बीजापुर जिले को हैण्डपंपों के सुधार एवं मरम्मत के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	राशि ( रु. लाख में )
2016-17	71.18
2017-18	61.84
2018-19	68.695

बेलतरा वि. स. क्षेत्र में संचालित नल जल योजना

39. (क्र. 941) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ( क ) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्रामों में नल जल योजना संचालित है ? ग्राम का नाम व योजना प्रारंभ की तिथिवार जानकारी दें. ( ख ) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 20 जून, 2019 तक कुल कितने हैण्डपंप हैं ग्राम का नाम व उस ग्राम में हैण्डपम्प की संख्या बतावें ? 20 जून 2019 तक कितने हैण्डपंप क्रियाशील हैं और कितने अक्रियाशील हैं ? संख्या सहित बतावें.

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** ( श्री गुरु रूद्रकुमार ) : ( क ) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 40 ग्रामों में नलजल योजना संचालित है. ग्राम का नाम व योजना प्रारंभ की तिथिवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है. ( ख ) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र में 20 जून 2019 तक कुल 1192 हैण्डपंप स्थापित है. ग्राम का नाम व उस ग्राम में हैण्डपंप की संख्या की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार है. 20 जून 2019 तक 1094 हैण्डपंप क्रियाशील और 98 हैण्डपंप अक्रियाशील है.

परिवहन विभाग में ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं

40. (क्र. 945) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में कौन-कौन सी सेवाएं ऑनलाईन पोर्टल पर हैं और इन सेवाओं के डिलीवरी सिस्टम में 1 जनवरी 2018 से 25 जून 2019 तक कितनी बार किन-किन सेवाओं के लिए बाधा उत्पन्न हुई ?


**वन मंत्री** (श्री मोहम्मद अकबर) : परिवहन विभाग में जो सेवाएं ऑन लाईन पोर्टल पर हैं वह परिशिष्ट में † संलग्न हैं. इन सेवाओं के डिलीवरी सिस्टम में दिनांक 01 जनवरी 2018 से 25 जून 2019 तक कुल 53 बार ऑनलाईन सेवाएं (26 बार सारथी संबंधी तथा 27 वाहन संबंधी) बाधित हुई हैं.

-----

मानसून सत्र

शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019

परिशिष्ट



## तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 400) के भाग (ख) की जानकारी ]

अप्रारंभ कार्यों की जानकारी

राशि लाख रुपये में

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अप्रारंभ के कारण
1	2	3	4	5	6
1	बम्हनीडीह	पोंडीशंकर	बालक प्रा. शाला भवन निर्माण बाजारपारा	12.36	स्वीकृत आदेश में कई कार्य एक साथ स्वीकृत किया गया है। कार्य की आवश्यकता के आधार पर कुछ कार्यों की राशि जारी किया गया तथा कुछ कार्यों की राशि जारी नहीं किया गया। आगामी वर्ष में उन अप्रारंभ कार्यों की उपलब्धता के आधार पर कार्य प्रारंभ किया जावेगा।
2	बम्हनीडीह	सिलादेही	प्रा. शाला भवन निर्माण	12.36	
3	बम्हनीडीह	संजयग्राम	पूर्व मा. शाला भवन निर्माण	15.80	
4	बम्हनीडीह	कुम्हारीकला	पूर्व मा. शाला भवन निर्माण	15.80	
5	बम्हनीडीह	सोनाईडीह	शास. पूर्व. मा. शाला भवन निर्माण	15.80	
6	बलौदा	परसदा	शास.प्रा.शाला भवन निर्माण	12.36	
7	बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	कन्या शाला में अतिरिक्त कक्ष	19.00	
8	मालखरौदा	सुलौनी	प्राथमिक शाला भवन	12.36	
9	मालखरौदा	सुलौनी	प्राथमिक शाला भवन पिपरीपार	12.36	
10	मालखरौदा	परसा	प्राथमिक शाला भवन	12.36	
11	मालखरौदा	पिरदा	प्रा. शाला भवन निर्माण बाजारपारा	12.36	
12	पामगढ़	कोडाभाट	प्रा. शाला भवन निर्माण	12.36	
13	पामगढ़	डिघोरा	प्रा. शाला भवन निर्माण बोडारडीह	12.36	
14	पामगढ़	कुटीघाट	पूर्व मा शाला भवन निर्माण	15.80	
15	पामगढ़	भैसों	प्रा. शाला भवन निर्माण केशर भाटा	12.36	
16	पामगढ़	मेंउ	मुक्तिधाम सह प्रतिकालय निर्माण	4.79	
17	पामगढ़	पनगांव	मुक्तिधाम सह प्रतिकालय निर्माण	4.79	
18	पामगढ़	जोगीडीपा	मुक्तिधाम सह प्रतिकालय निर्माण	4.79	
19	पामगढ़	कोनारगढ़	मुक्तिधाम सह प्रतिकालय निर्माण	4.79	
20	पामगढ़	कोसा	शा.प्रा.शाला भवन निर्माण	12.36	
21	पामगढ़	बुन्देला	शा.प्रा.शाला भवन निर्माण	12.36	
22	पामगढ़	राहौद	शा.पूर्व मा.शाला भवन निर्माण	15.80	
23	पामगढ़	तनौद	शा.उ.मा.विद्या. भवन निर्माण	145.68	
24	सक्ती	लवसरा	शास कन्या मा शाला भवन	15.80	
25	सक्ती	बासीर	पूर्व मा. शाला भवन निर्माण खैरा	15.80	
26	सक्ती	अंधानकपुर	शास. प्राथमिक शाला भवन	12.36	

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अप्रारंभ के कारण
1	2	3	4	5	6
			निर्माण		
27	सक्ती	नंदौरकला	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण	12.36	स्वीकृत आदेश में कई कार्य एक साथ स्वीकृत किया गया है। कार्य की आवश्यकता के आधार पर कुछ कार्यों की राशि जारी किया गया तथा कुछ कार्यों की राशि जारी नहीं किया गया। आगामी वर्ष में उन अप्रारंभ कार्यों की उपलब्धता के आधार पर कार्य प्रारंभ किया जावेगा।
28	सक्ती	सकरेली कला	शास प्राथ शाला भवन	12.36	
29	सक्ती	रगजा	शास प्राथ शाला भवन	12.36	
30	सक्ती	पासीद	प्रा. शाला भवन निर्माण	12.36	
31	सक्ती	किरारी	प्रा. शाला भवन निर्माण गस्टीडीह	12.36	
32	सक्ती	सकरेली कला	प्रा. शाला भवन निर्माण श्रीनगर	12.36	
33	सक्ती	बैलाचुवा / पाली	प्रा. शाला भवन निर्माण	12.36	
34	सक्ती	सुन्दरेली	प्रा. शाला भवन निर्माण गतवा	12.36	
35	सक्ती	जेठा	प्रा. शाला भवन निर्माण	12.36	
36	सक्ती	नंदौरकला	प्रा. शाला भवन निर्माण सुवाडेरा	12.36	
37	डभरा	खैरमुडा	प्रा. शाला भवन निर्माण	12.36	
38	डभरा	सराईपाली	नवीन प्राथ. शाला भवन निर्माण	12.36	
39	डभरा	कवारीपाली	प्रा. शाला भवन निर्माण	12.36	
40	डभरा	सुरसी	प्राथ.शाला भवन निर्माण	12.36	
41	जैजैपुर	बहेशडीह	प्राथ.शाला भवन निर्माण छिराडीह नया बस्ती	12.36	
42	जैजैपुर	बोईरडीह	शास.प्राथ.शाला भवन निर्माण	12.36	
43	नवागढ	दूरी	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण	12.36	
44	नवागढ	दरी	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण	12.36	
45	नवागढ	रोगदा	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण	12.36	
46	नवागढ	पचेडा	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण	12.36	
47	नवागढ	मरकाडीह	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण	12.36	
48	नवागढ	कनस्टा	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण	12.36	
49	नवागढ	कनई	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण	12.36	
50	नवागढ	खैरताल	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण	12.36	
51	नवागढ	खैरा	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण	12.36	
52	नवागढ	अमोरा	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण	12.36	

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अप्रारंभ के कारण
1	2	3	4	5	6
53	नवागढ़	मरकाडीह / बोडसरा	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण	12.36	
54	नवागढ़	खोखसा	ग्राम खोखसा से बंसतपुर मार्ग के नाले पर पुल निर्माण	416.98	
55	अकलतरा	पकरिया	शासकीय पूर्व मा.शाला	15.80	
56	अकलतरा	सांकर	प्राथमिक शाला भवन	12.36	
57	अकलतरा	सांकर	शास.पूर्व मा.शाला भवन	15.80	
58	अकलतरा	पड़रिया	शास.पूर्व मा.शाला भवन	15.80	
59	अकलतरा	पिपरदा	शास.पूर्व मा.शाला भवन	15.80	
60	अकलतरा	बाना	प्राथमिक शाला भवन	12.36	
61	बम्हनीडीह	चांपा	रामबांधा तालाब का जीर्णोधार, रिटर्निंगवाल एवं संरक्षण कार्य	129.00	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, प्रतिवेदन अप्राप्त
62	बलौदा	कुदरी	श्री स्वामीनारायण पर्यावरण परिसर कुदरी में वृक्षारोपण कार्य	1.88	राशि मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
63	बलौदा	बसंतपुर	श्री महावीर स्वामी पर्यावरण परिसर बसंतपुर में वृक्षारोपण कार्य	1.94	राशि मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
64	बलौदा	खैजा	सड़क मजबूतीकरण कार्य (मेन रोड से खैजा)	3.12	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
65	बलौदा	नवागांव	सड़क मजबूतीकरण कार्य (मेन रोड से नवागांव)	1.23	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
66	बलौदा	चांपा	चांपा कोरबा मुख्य मार्ग "T 03 से उच्चभिट्टी सड़क" के नवीनीकरण/मजबूतीकरण कार्य	60.50	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
67	बलौदा	बुड़गहन	आयुर्वेदिक औषधालय में अहाता निर्माण कार्य बुड़गहन	3.66	कार्य की स्वीकृति पश्चात भौतिक निरीक्षण कराये जाने पर कार्य की आवश्यकता नहीं बतायी गई।
68	मालखरौदा	मालखरौदा	हरदी उपवितरक नहर के सुधार कार्य	117.50	विधानसभा चुनाव, आचार संहिता लागू होने एवं खनिज मंत्रालय पत्र क्रमांक एफ 7-47/2018 रायपुर दिनांक 02.01.2019 के द्वारा स्वीकृत कार्य की राशि जारी पर प्रतिबंध
69	पामगढ़	पामगढ़	सड़क मजबूतीकरण कार्य (राहौद से पकरिया)	6.98	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
70	पामगढ़	कोसीर	सड़क मजबूतीकरण कार्य (मेन रोड से कोसीर)	2.41	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
71	पामगढ़	कोनारगढ़	तालाब संरक्षण, चमरी तालाब कोनारगढ़	17.21	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
72	पामगढ़	पकरिया	तालाब संरक्षण, पुराना तालाब	2.00	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अप्रारंभ के कारण
1	2	3	4	5	6
			पकरिया		प्रतिवेदन अप्राप्त
73	पामगढ़	पामगढ़	तालाब संरक्षण, पुरैना तालाब पामगढ़	19.23	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
74	पामगढ़	कोसो	तालाब संरक्षण, अमहा तालाब कोसा	2.00	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
75	पामगढ़	जोगीडीपा	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य (उतयाईल नाला)	14.00	कार्य की स्वीकृति पश्चात भौतिक निरीक्षण कराये जाने पर कार्य की आवश्यकता नहीं बतायी गई।
76	पामगढ़	सेमरिया (भैसों)	उचित मुल्य दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य सेमरिया, भैसों	6.00	विधानसभा चुनाव, आचार संहिता लागू होने एवं खनिज मंत्रालय पत्र क्रमांक एफ 7-47/2018 रायपुर दिनांक 02.01.2019 के द्वारा स्वीकृत कार्य की राशि जारी पर प्रतिबंध
77	पामगढ़	कोसला	उचित मुल्य दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य कोसला	6.00	विधानसभा चुनाव, आचार संहिता लागू होने एवं खनिज मंत्रालय पत्र क्रमांक एफ 7-47/2018 रायपुर दिनांक 02.01.2019 के द्वारा स्वीकृत कार्य की राशि जारी पर प्रतिबंध
78	सक्ती	सक्ती	सक्ती मे डाटा स्टोर रूम निर्माण कार्य	4.18	राशि मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
79	सक्ती	लिमतरा	सड़क मजबूतीकरण कार्य (मेन रोड से लिमतरा)	2.14	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
80	सक्ती	नगरदा	खरसिया शाखा नहर के कि. मी. 490 मीटर पर नगरदा सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	22.30	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
81	सक्ती	सक्ती	सक्ती मे डाटा स्टोर रूम निर्माण कार्य	21.04	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
82	सक्ती	अमलडीहा	शास.पूर्व माध्य.शाला आदिवासी बालक आश्रम में अहाता निर्माण कार्य अमलडीहा	8.01	विधानसभा चुनाव, आचार संहिता लागू होने एवं खनिज मंत्रालय पत्र क्रमांक एफ 7-47/2018 रायपुर दिनांक 02.01.2019 के द्वारा स्वीकृत कार्य की राशि जारी पर प्रतिबंध
83	सक्ती	मरकामगोड़ी	शास.प्राथ.शाला भवन निर्माण कार्य मरकामगोड़ी	12.36	विधानसभा चुनाव, आचार संहिता लागू होने एवं खनिज मंत्रालय पत्र क्रमांक एफ 7-47/2018 रायपुर दिनांक 02.01.2019 के द्वारा स्वीकृत कार्य की राशि जारी पर प्रतिबंध
84	सक्ती	असौदा	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	30.50	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अप्रारंभ के कारण
1	2	3	4	5	6
					प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण
85	सक्ती	केरीबंघा	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	30.50	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण
86	सक्ती	जुडगा	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	30.50	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण
87	सक्ती	घुईचुवा	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	30.50	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण
88	डभरा	मिरोनी	श्री स्वामी विवेकानंद पर्यावरण परिसर मिरोनी में वृक्षरोपण कार्य	1.92	राशि मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
89	डभरा	डभरा	आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण कार्य डभरा	55.70	राशि मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
90	डभरा	किरारी	शास.उच्च.माध्य.विद्या.में 03 नग प्रयोगशाला भवन निर्माण कार्य	20.00	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
91	डभरा	साराडीह	5 नग पचरी (घाट) निर्माण कार्य	2.50	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
92	डभरा	डभरा	मिनी स्टेडियम कॉलेज डभरा	42.42	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
93	डभरा	उपनी	पूर्व माध्य.शाला भवन निर्माण कार्य उपनी	15.80	विधानसभा चुनाव, आचार संहिता लागू होने एवं खनिज मंत्रालय पत्र क्रमांक एफ 7-47/2018 रायपुर दिनांक 02.01.2019 के द्वारा स्वीकृत कार्य की राशि जारी पर प्रतिबंध
94	डभरा	कंवली	शास.पूर्व माध्य.शाला में भवन निर्माण कार्य	15.80	विधानसभा चुनाव, आचार संहिता लागू होने एवं खनिज मंत्रालय पत्र क्रमांक एफ 7-47/2018 रायपुर दिनांक 02.01.2019 के द्वारा स्वीकृत कार्य की राशि जारी पर प्रतिबंध
95	चांपा	चांपा	परशुराम चौक से पेट्रोल पंप कॉलेज रोड तक सी.सी. सड़क चौड़ीकरण एवं नाली, क्लवर्ट निर्माण कार्य	519.40	अन्य मद (सी.एस.आर. मद) से स्वीकृत
96	जांजगीर	जांजगीर	जिला पंचायत से पेण्ड्री नहर तक रोड़ चौड़ीकरण कार्य	199.94	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, प्रतिवेदन अप्राप्त
97	जांजगीर	जांजगीर	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जांजगीर के जिर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्य	36.41	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
98	जांजगीर	जांजगीर	जांजगीर शाखा नहर के नहरिया बाबा मंदिर आर.डी. 9200 मी.में चांपा रोड आर.डी. 11262 मी. तक सड़क का मरम्मत, विस्तारीकरण एवं	7.63	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अप्रारंभ के कारण
1	2	3	4	5	6
			मजबूतीकरण का कार्य		
99	जांजगीर	जांजगीर	जांजगीर शाखा नहर के आर. डी.14435मी. में स्थित पेण्डी-केरा तक पहुंच मार्ग के साथ नहर के सर्विस रोड का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य	19.99	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
100	जांजगीर-नैला	जांजगीर-नैला	वार्ड क. 04 कब्रिस्तान में पाईप लाईन विस्तार कार्य	2.35	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, प्रतिवेदन अप्राप्त
101	जांजगीर-नैला	जांजगीर-नैला	वार्ड क. 04 कब्रिस्तान में बोर खनन कार्य	0.79	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, प्रतिवेदन अप्राप्त
102	जांजगीर-नैला	जांजगीर-नैला	वार्ड क. 04 में प्राथ.शाला भवन निर्माण कार्य	12.36	राशि मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
103	जैजैपुर	दत्तौद	जलप्रदाय योजना के अंतर्गत पाईप लाईन विस्तार कार्य भाटापारा	2.72	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
104	जैजैपुर	ओडेकेरा	श्री राम स्मृती उपवन (हेल्थ गार्डन) में वृक्षारोपण कार्य	0.50	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
105	जैजैपुर	हसौद	शास. नवीन महाविद्यालय में अहाता निर्माण कार्य	46.71	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण
106	जैजैपुर	हसौद	शास. नवीन महाविद्यालय प्रांगण में सायकल स्टैण्ड निर्माण	6.73	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण
107	नवागढ़	कुटरा	पूर्व माध्य.शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	2.36	अतिरिक्त कक्ष के संबंध में आवश्यकता संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त
108	नवागढ़	नवागढ़	सरपंच सदन में अहाता निर्माण कार्य नवागढ़	5.24	संबंधित ग्राम पंचायत से पंचायत प्रस्ताव अप्राप्त
109	नवागढ़	जांजगीर	इण्डोर स्टेडियम	506.79	राशि मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
110	नवागढ़	मुनुद	सड़क मजबूतीकरण कार्य (मेन रोड से मुनुद)	2.73	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
111	नवागढ़	कुकदा	तालाब संरक्षण रामसागर तालाब अन्तर्गत तटबंध निर्माण कार्य (तालाब में सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण 2 नग)	2.57	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
112	नवागढ़	जांजगीर	पुटपुटा से बनारी पहुंच मार्ग में पुलिया का स्लेब निर्माण	2.90	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
113	नवागढ़	जांजगीर	ई.व्ही.एम. गोदाम के मरम्मत कार्य	5.00	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
114	नवागढ़	जांजगीर	सी.सी. सिंचाई नाली कार्य	20.60	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
115	नवागढ़	जांजगीर	श्रेसिंग फ्लोर निर्माण कार्य	13.24	निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अप्रारंभ के कारण
1	2	3	4	5	6
116	नवागढ़	जांजगीर	आदिवासी पोस्ट मेट्रिक 50 सीटर बालक छात्रावास भवन मरम्मत कार्य	34.71	निर्माण एजेंसी को भूमि उपलब्ध न होने के कारण
117	नवागढ़	जांजगीर	तुलसी भवन का मरम्मत कार्य	32.17	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
118	नवागढ़	नवागढ़	खोखरा डिस्ट्री.के आर.डी. 200 मी. से 3050 मी. में सर्विस रोड का डामरीकरण के साथ उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य	144.36	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
119	नवागढ़	जांजगीर	जिला पुरातत्व संग्रहालय भवन के रेनोवेशन कार्य	30.00	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
120	नवागढ़	जांजगीर	कलेक्टर रिटायरिंग रूम का रिनोवेशन वर्क	0.91	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
121	नवागढ़	जांजगीर	प्रतिक्षालय का उन्नयन कार्य (कलेक्ट्रेड कार्यालय)	5.16	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
122	नवागढ़	जांजगीर	सभा कक्ष में उन्नयन कार्य (जिला पंचायत)	2.67	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
123	नवागढ़	जांजगीर	साईकल स्टैण्ड उन्नयन कार्य (कलेक्ट्रेड कार्यालय )	5.59	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त
124	नवागढ़	जांजगीर नैला	रेल्वे स्टेशन नैला से रेल्वे फाटक नैला तक (दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के आधिपत्य का मार्ग) लंबाई 0.70 किमी. चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य	193.87	निविदा प्रक्रिया पूर्ण मांग प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण
125	नवागढ़	जांजगीर	सायकल स्टैण्ड कलेक्ट्रेड कार्यालय (निर्वाचन कार्यालय)	10.00	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण
126	नवागढ़	जांजगीर	एन.आई.सी. भवन का उन्नयन कार्य (कलेक्ट्रेड कैम्पस)	4.71	अन्य मद से स्वीकृत
127	नवागढ़	जांजगीर	ब्लड बैंक जिला अस्पताल हेतु ब्लड बैग रेफ्रिजरेटर क्रय हेतु	4.00	विधानसभा चुनाव, आचार संहिता लागू होने एवं खनिज मंत्रालय पत्र क्रमांक एफ 7-47/2018 रायपुर दिनांक 02.01.2019 के द्वारा स्वीकृत कार्य की राशि जारी पर प्रतिबंध
128	नवागढ़	नवागढ़	स्व. अनिज माधव दवे स्मृति वन में योगा सेंटर निर्माण कार्य	42.21	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण
129	अकलतरा	चंगोरी	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	30.50	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण
130	अकलतरा	झलमला	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	30.50	निविदा प्रक्रिया पूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण

परिशिष्ट "दो"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 189) के भाग (ख) की जानकारी ]

रायपुर जिले के धरसीवा ब्लॉक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं वृहद उद्योग से होने वाले प्रदूषण के संबंध में दिसम्बर 2017 से मई 2019 तक प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	प्राप्त दिनांक	शिकायत का विवरण	शिकायत की जांच का दिनांक	पाई गई स्थिति का विवरण	की गई कार्यवाही
1.	श्री सुरेश दीवान, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम व पोस्ट अकोली (मांढर) जिला - रायपुर	19.03.2018	गोदावरी इस्पात एवं पॉवर कम्पनी टाडा (सिलतरा) द्वारा पर्यावरणीय उल्लंघन करने की शिकायत	18.06.2018	मेसर्स गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर (छ.ग.) का निरीक्षण दिनांक 18.06.2018, 21.08.2018, 26.09.2018, 29.10.2018, 01.12.2018 एवं दिनांक 12.01.2019 को किया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
2.	श्री योगेश शर्मा, ग्राम - सोण्ड्रा, थाना - धरसीवा, जिला - रायपुर	18.05.2018	स्पंज ऑयरन इंडस्ट्री के गर्दा (रसायन) वर्षा की तरह गिरने के कारण कृषि - भूमि (खेत) में फसल की उत्पादन क्षमता समाप्ति होने के संबंध में	15.06.2018	शिकायत में उल्लेखित उद्योग मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सोण्ड्रा, सिलतरा, रायपुर, एवं मेसर्स फॉर्चून मेटल्स लिमिटेड, यूनिट-2, ग्राम सोण्ड्रा एवं चिखली, धरसीवा, जिला - रायपुर में निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।

3.	ईशा फाउंडेशन संयोजक श्री रोशन देवांगन	24.08.2018	शिकायत सह निराकरण हेतु अग्रिम निवेदन (मेसर्स रामा उद्योग प्रा. लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स बलदेव एलॉयज प्रा. लिमिटेड) सिलतरा, रायपुर के संबंध में)	16.09.2018	मेसर्स रामा उद्योग प्रा. लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स बलदेव एलॉयज प्रा. लिमिटेड) सिलतरा, रायपुर (छ.ग.) को स्पंज ऑयरन इकाई से अधिक मात्रा में चिमनी से उत्सर्जन, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन तथा हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत मंडल द्वारा दिनांक 18.09.2018 को नोटिस जारी किया गया। उद्योग द्वारा नोटिस का उत्तर दिनांक 11.10.2018 को कार्यालय में प्राप्त हुआ। जिसके परिपेक्ष्य में उद्योग का निरीक्षण दिनांक 23.10.2018 को किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
4.	श्रीराम निषाद एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम-सोण्डरा, प.ह.न.-99, विकासखण्ड- धरसीवा, जिला-रायपुर	13.05.2019	स्पंज ऑयरन के गर्दा (रसायन) व काला धुआ हवा के साथ मिलकर जहरीला गैस के रूप में पूरे गांव में उड़- रहा है।	13.05.2019	मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ग्राम-सोण्डरा, फेस-2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर के पॉवर प्लांट की चिमनी से उत्सर्जन, ठोस अपशिष्टों का समुचित भण्डारण/अपवहन नहीं किये जाने, फ्यूजिटिव उत्सर्जन अवलोकित होने एवं हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ग्राम-सोण्डरा, फेस-2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर को मंडल के पत्र क्रमांक 645 दिनांक 13.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। उद्योग द्वारा नोटिस का उत्तर दिनांक 23.05.2019 को कार्यालय में प्राप्त हुआ। जिसके परिपेक्ष्य में उद्योग का निरीक्षण दिनांक 17.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।

## परिशिष्ट "तीन"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 159) के भाग (ख) की जानकारी ]

## 22 फरवरी 2019 के बाद अवैध नलकूप उत्खनन के प्रकरणों का विवरण

क्र.	अवैध नलकूप उत्खनन करने वाले फर्म/व्यक्ति का नाम	भूमि स्वामी का नाम जिनके द्वारा नलकूप खनित कराया जा रहा था	ग्राम का नाम जहाँ नलकूप खनन किया जा रहा था	पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही का विवरण
1	श्री मनोज यादव, शैलेन्द्र नगर घुरु	श्री पी.के. पाल	घुरु तहसील तखतपुर	रुपये 6000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
2	दुबे बोरवेलस बिलासपुर	श्री निश्चल शर्मा	शांतिनगर बिलासपुर	रुपये 6000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
3	श्री मेलाराम साहू बिलासपुर	श्री केजूराम	दर्शभाठा तहसील मस्तूरी	रुपये 10000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
4	एस.कविन पिता सुब्रमणियम निवासी त्रिचंगूर्ण	श्री शत्रुहन	बेलटुकरी तहसील तखतपुर	रुपये 6000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
5	साई कृपा बोरवेल बिलासपुर	श्री देवप्रसाद	निरतू तहसील तखतपुर	रुपये 5000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
6	थंगवेल निवासी सित्तालदूर थाना करटूपलयम जिला नामकल तामिलनाडू	श्री छेदीलाल	भैसबोड तहसील बिल्हा	रुपये 6000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
7	आर.डी. बोरवेल	श्री भुनेश्वर प्रसाद पाण्डेय	सरकण्डा बिलासपुर	रुपये 2000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
8	वी रवि	श्री पंच राम साहू	नोपका तहसील बिलासपुर	रुपये 5000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
9	श्री मेलाराम साहू	श्री अन्नू कुमार सूर्यवंशी	नवागांव तहसील मस्तूरी	रुपये 5000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

## परिशिष्ट 'अक्षर'

[ तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 934) के भाग (ख) की जानकारी ]

चिरमिरी आवर्धन जलप्रदाय योजना के अंतर्गत 25 जून 2019 तक कराये गये कार्यों एवं व्यय की गई राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना अंतर्गत किये गये कार्य का नाम	योजना में किया गया व्यय राशि (रु. लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	योजना की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	रिमार्क
1	स्त्रोत - हसदेव नदी	--	--	--	--
2	जल आबंटन की स्वीकृति	--	--	--	राज्य जल एवं उपयोगिता समिति के पत्र क्रमांक 3837, दिनांक 06.11.2015 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त।
3	प्राथमिक सर्वे	4.15	पूर्ण	100%	--
4	इंटेकवेल का व्यास 8.0 मी गहराई 20 मी. डबल फ्लोर	239.54	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष
5	रा वाटर पंप 3 नग 142 एचपी डिस्चार्ज 73.74 एलपीएच एवं 108.50 मीटर हेड 50 प्रतिशत स्टेण्ड सहित				--
6	रा वाटर इलेक्ट्रिक सबस्टेशन 315 केवीए/33/0.415 केवी	76.99	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष
7	क्लीयर वाटर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन				--
8	रा वाटर पंपिंग मेन 450 मि.मी व्यास डीआई पाइप क्लास के-9 लंबाई 11100 मीटर	848.55	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष
9	जलशुद्धिकरण संयंत्र क्षमता 12 एमएलडी	471.86	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष
10	क्लीयर वाटर पंप एवं मशीनरीस				--
11	क्लीयर वाटर पंपिंग मेन 450 मि.मी. व्यास डीआई के-9 लंबाई 6000 मी.	495.81	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष
12	क्लीयर वाटर पंपिंग मेन 100 से 300 मिमी. व्यास क्लास के-9 13560 मी. एवं पूर्व में बिछाई गई डीआई पाइप 150 मि.मी. 700 मी. एवं 200 मि.मी. 5610 मी.	228.50	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष
13	आरसीसी उच्च स्तरीय टंकी क्षमता 426 कि.ली. 10 मी. उचाई (बडी बाजार)	31.80	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष
14	आरसीसी उच्च स्तरीय टंकी क्षमता 160 कि.ली. 12 मी. उचाई (बरतुंगा)	18.00	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष
15	आरसीसी उच्च स्तरीय टंकी क्षमता 245 कि.ली. 12 मी. उचाई (डोमनहील)	73.80	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष
16	आरसीसी उच्च स्तरीय टंकी क्षमता 370 कि.ली. 10 मी. उचाई (नार्थ चिरमिरी)	24.75	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष
17	आरसीसी उच्च स्तरीय टंकी क्षमता 428 कि.ली. 10 मी. उचाई (कोरिया)	30.51	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष
18	आरसीसी उच्च स्तरीय टंकी क्षमता 865 कि.ली. 12 मी. उचाई (वेस्ट चिरमिरी)	68.34	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष
19	जल वितरण प्रणाली 100 मि.मी. से 300 मि.मी. कुल .15007 मी. डीआई के-7	252.07	पूर्ण	95%	टेस्टिंग कार्य शेष

क्र.	योजना अंतर्गत किये गये कार्य का नाम	योजना में किया गया व्यय राशि (रु. लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	योजना की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणियाँ
20	150 एवं 100 कि.मी. क्षमता के 02 नग आरसीसी सम्पवेल निर्माण	12.14	पूर्ण	100%	—
		8.40	पूर्ण	100%	—
21	रेल्वे कासिंग	44.18	पूर्ण	100%	—
22	रोड कासिंग	6.08	पूर्ण	-	—
23	अन्य विवरण	0.00		-	—
	इन्टेकवेल में उच्च दाब कनेक्शन एवं जलशुद्धिकरण संयंत्र में एच.टी. लाईन	103.67	—	-	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, मर्यादित मनेन्द्रगढ़ के द्वारा लाई एनीकट के पास स्थित सब स्टेशन को चार्ज करने हेतु 500 के.व्ही.ए. उच्च दाब (एच.टी.) कनेक्शन 33 के.व्ही. लाईन तथा जल शोधन संयंत्र के पास पोड़ी वेस्ट चिरमिरी में स्थित सब स्टेशन को चार्ज करने हेतु 650 के.व्ही.ए. उच्च दाब (एच.टी.) कनेक्शन 33 के.व्ही. लाईन का कार्य प्रगतिरत है।
24	एनीकट निर्माण कार्य— लाई एनीकट चौड़ाई— 90 मी., उंची— 4 मीटर	501.45	पूर्ण	100%	—
	<b>योग :-</b>	<b>3490.59</b>			

परिशिष्ट "पांच"  
[ तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 606) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिलेवार नलकूप खनन का अंतरिम लक्ष्य की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	कुल अंतरिम लक्ष्य
1	रायपुर	118
2	बलौद बाजार	168
3	गरियाबंद	126
4	धमतरी	135
5	महासमुंद	140
6	राजनांदगांव	195
7	बालोद	142
8	बेमेतरा	115
9	दुर्ग	137
10	कबीरधाम	118
11	जगदलपुर	175
12	कोण्डागांव	127
13	कांकेर	141
14	दंतेवाड़ा	109
15	सुकमा	87
16	बीजापुर	117
17	नारायणपुर	72
18	बिलासपुर	187
19	मुंगेली	94
20	जांजगीर-चांपा	190
21	कोरबा	135
22	रायगढ़	180
23	अंबिकापुर	196
24	सूरजपुर	218
25	बलरामपुर	219
26	जशपुर	174
27	कोरिया	135
	कुल	3950

19 जुलाई, 2019 ]

A-14

प्रपत्र "ब"

25 जून 2019 तक जिलेवार कुल खनित नलकूप, सफल नलकूप एवं असफल नलकूप की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	कुल खनित नलकूप		
		कुल	सफल	असफल
1	रायपुर	43	31	12
2	बलौद बाजार	84	63	21
3	गरियाबद	38	33	5
4	धमतरी	29	19	10
5	महासमुद	43	38	5
6	राजनादगाव	82	67	15
7	बालोद	49	29	20
8	बेमेतरा	61	47	14
9	दुर्ग	88	52	36
10	कबीरधाम	82	72	10
11	जगदलपुर	58	39	19
12	कोण्डागाव	44	35	9
13	कांकेर	55	48	7
14	दंतेवाड़ा	48	35	13
15	सुकमा	16	12	4
16	बीजापुर	80	71	9
17	नारायणपुर	25	22	3
18	बिलासपुर	60	52	8
19	मुंगेली	33	27	6
20	जाजगीर-चांपा	35	22	13
21	कोरबा	41	36	5
22	रायगढ़	28	24	4
23	अंबिकापुर	94	87	7
24	सूरजपुर	62	53	9
25	बलरामपुर	93	80	13
26	जशपुर	50	43	7
27	कोरिया	84	72	12
कुल		1505	1209	296

## परिशिष्ट "छः"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 808) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा 25 जून, 2019 तक मंत्रालयीन सेवा के फर्जी करार दिये गये 06 जाति प्रमाण पत्र धारकों के नाम, पदनाम सहित ब्यौरा

स.क्र.	नाम	पदनाम
1	श्री पुरुषोत्तम पतवार	स्टेनो टायपिस्ट
2	श्री राजेश लिविंगस्टन	सहायक ग्रेड-1
3	श्री सुनील मैत्री	अनुभाग अधिकारी
4	श्रीमती हेमलता एक्का	सहायक ग्रेड-1
5	श्री राजेन्द्र कुमार सोनकुसले	सहायक ग्रेड-1
6	श्री प्रवीण कुमार निमजे	सहायक ग्रेड-2

## प्रपत्र "ब"

दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध 25 जून, 2019 तक की गई कार्यवाही

- (1) विभागीय आदेश दिनांक 23.08.2008 द्वारा श्री पुरुषोत्तम पतवार, स्टेनो टायपिस्ट को सेवा से पृथक किया गया है।
- (2) विभागीय आदेश दिनांक 11.12.2009 द्वारा श्री राजेश लिविंगस्टन, सहायक ग्रेड-1 को सेवा से हटाया गया था। मान.उच्च न्यायालय, छ.ग., बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 7348/2009 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2012 के पालन में विभागीय आदेश दिनांक 22.07.2015 द्वारा श्री लिविंगस्टन को पूर्व धारित पद पर इस शर्त के साथ पुनः शासकीय सेवा में बहाल किया गया कि समिति द्वारा पुनः जांच में जाति प्रमाण पत्र गलत/फर्जी पाये जाने पर बिना किसी अन्य सुनवाई का अवसर दिये उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- (3) शेष 04 अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के आदेशों के विरुद्ध मान. उच्च न्यायालय, छ.ग., बिलासपुर में अपील की गई याचिकाएं मान.न्यायालय में विधाराधीन/लंबित हैं। उक्त प्रकरणों में मान.न्यायालय के निर्णय अनुसार तत्समय कार्यवाही की जावेगी।

## परिशिष्ट "सात"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 94) के भाग (ख) की जानकारी ]

जिला-बिलासपुर में स्थित उद्योगों पर दिनांक 01-04-2017 से दिनांक 31-03-2019 तक की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स मंगल स्पंज एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, पोस्ट-बिल्हा, जिला- बिलासपुर	28.04.2017	निरीक्षण के दौरान उद्योग में उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 29.04.2017 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। तदोपरांत उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 11.05.2017 के माध्यम से समाधानकारक कार्यवाही किये जाने की जानकारी दी गई। दिनांक 22.05.2017 को उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।
2.	मेसर्स ओमेक्स मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-करगीरोड कोटा, रेल्वे लाईन के पास, तहसील- कोटा, जिला-बिलासपुर	15.01.2018	उद्योग में प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 16.01.2018 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। तदोपरांत दिनांक 05.02.2018 को किये गये निरीक्षण के दौरान नोटिस में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जाना पाया गया। जिसके उपरांत मंडल के पत्र दिनांक 07.02.2018 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन बंद करने हेतु निर्देश जारी किया गया। उद्योग द्वारा इसी दिन से स्वतः उत्पादन कार्य बंद कर दिया गया। तदोपरांत

				दिनांक 18.06.2018 का किये गये निरीक्षण में दिनांक 07.02.2018 को दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्य कर लिया जाना पाया गया। मंडल के पत्र दिनांक 18.06.2018 द्वारा उद्योग को पूर्व में प्रदत्त सम्मति में संशोधन करते हुये कोल भण्डारण- 25000 मीट्रिक टन एट ए टाईम जारी किया गया तथा उद्योग को पुनः आरंभ करने हेतु आदेश जारी किया गया।
3.	मेसर्स अनिल बिल्डकॉन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड., ग्राम-धमनी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर	24.02.2018	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था नहीं किया जाना पाया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 24.02.2018 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। तदोपरांत उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 20.03.2018 के माध्यम से समाधानकारक कार्यवाही किये जाने की जानकारी दी गई। दिनांक 28.03.2018 को उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।
4.	मेसर्स माहेश्वरी कोल बेनीफिकेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड. परसदा, सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर	01.08.2018	निरीक्षण के दौरान उद्योग में बिना ढके हुये ट्रकों का आवागमन पाया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 01.08.2018 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। तदोपरांत उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 03.08.2018 के माध्यम से समाधानकारक कार्यवाही किये जाने की जानकारी दी गई। उद्योग का निरीक्षण दिनांक 12.09.2018 को किया गया। उद्योग को जारी नोटिस में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना

				पाया गया।
5.	मेसर्स फिल गिनरल्स एण्ड कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड., ग्राम-घुटकू, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर	24.08.2018	निरीक्षण के दौरान उद्योग में प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 27.08.2018 द्वारा उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 14.09.2018 के माध्यम से समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के संबंध में जानकारी दी गई। उद्योग का निरीक्षण दिनांक 25.09.2018 को किया गया। दिये गये निर्देशों के पालन हेतु कार्य प्रगति पर होना पाया गया। तदोपरांत दिनांक 15.11.2018 को किये गये निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।
6.	मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड. ग्राम-हिण्डाडीह, तहसील - मस्तूरी, जिला-बिलासपुर	20.02.2019	निरीक्षण के दौरान उद्योग में उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 21.02.2019 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। तदोपरांत उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 12.03.2019 के माध्यम से नोटिस में दिये गये निर्देशों के पालन किये जाने की जानकारी दी गई। दिनांक 03.04.2019 को उद्योग के किये गये निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।
7.	मेसर्स सत्या पॉवर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- गतौरी, जिला- बिलासपुर	06.03.2019	निरीक्षण के दौरान उद्योग में उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 07.03.2019 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

				की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। तदोपरांत उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 19.03.2019 के माध्यम से नोटिस में दिये गये निर्देशों का पालन किये जाने की जानकारी दी गई। दिनांक 11.04.2019 को उद्योग के किये गये निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।
8.	मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन (प्राईवेट) लिमिटेड, ग्राम-लोखण्डी, तहसील - तखतपुर, जिला-बिलासपुर	08.03.2019	उद्योग में प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 11.03.2019 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। तदोपरांत उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 02.04.2019 के माध्यम से नोटिस में दिये गये निर्देशों के पालन किये जाने की जानकारी दी गई। दिनांक 09.05.2019 को उद्योग के किये गये निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना पाया गया।

## परिशिष्ट "आठ"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 65) की जानकारी ]

## जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत स्वीकृत गौण खनिज, उत्खनिपट्टा की जानकारी

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम एवं तहसील	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संतरु बंजारे आ. श्री सुकुल निवासी रानीजरोद तहसील सिमगा	रानीजरोद / सिमगा	93, 94, 95/1, 2	1.760	चूनापत्थर
2.	श्री नितिन भूसनिया आ.श्री भागवत प्रसाद निवासी व तह. भाटापारा	रानीजरोद / सिमगा	471/2	1.020	चूनापत्थर
3.	श्रद्धा इंटरप्राइजेस भागीदार अशोक चौरसिया आ. स्व. महावीर प्रसाद चौरसिया निवासी भनपुरी रायपुर	रानीजरोद / सिमगा	471/2	1.821	चूनापत्थर
4.	श्री नंदकिशोर अग्रवाल आ. श्री किशन अग्रवाल नि. तिल्दा नेवरा,	रानीजरोद / सिमगा	80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4	0.631	चूनापत्थर
5.	हरजस मिनरल्स प्रो. श्रीमती सिमरन कौर पति श्री जगनीत सिंह नि.सुहेला भाटापारा	रानीजरोद / सिमगा	17, 29/1, 471/2	1.172	चूनापत्थर
6.	श्री धनगज जसवानी पिता श्री मोटूमल निवासी भाटापारा जिला रायपुर	रानीजरोद / सिमगा	86, 57, 86/1, 90/3, 102/1, 4 100, 90/2, 89	2.000	चूनापत्थर
7.	श्री शशिकांत तिवारी आ. श्री लल्लन सिंह निवासी चौबे कालोनी रायपुर	रानीजरोद / सिमगा	111, 112	1.000	चूनापत्थर
8.	श्री धीरज दम्मानी आ. श्री राजकुमार दम्मानी निवासी रामगसागरपारा रायपुर	रानीजरोद / सिमगा	471/2	1.821	चूनापत्थर
9.	श्रीमती सीमा पाल पति श्री पंकज पाल निवासी एकता नगर गुडियारी रायपुर	रानीजरोद / सिमगा	471/2	1.600	चूनापत्थर
10.	श्री मयुर पटेल निवासी सुहेला तहसील सिमगा जिला रायपुर	रानीजरोद / सिमगा	471/2	0.850	चूनापत्थर
11.	श्री शशिकांत तिवारी आ. श्री लल्लन सिंह नि. चौबे कालोनी रायपुर	रानीजरोद / सिमगा	96, 97	0.829	चूनापत्थर
12.	श्री दीपचंद वर्मा आ. श्री गणेश रा. नि. रानीजरोद तह. सिमगा	रानीजरोद / सिमगा	38/1,3	0.251	चूनापत्थर
13.	नितिन देवलकर आ श्री डी.बी. देवलकर निवासी रानीजरोद तहसील सिमगा	रानीजरोद / सिमगा	82	0.332	चूनापत्थर
14.	श्री अशोक ठाकुर निवासी भाटापारा तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	रानीजरोद / सिमगा	471/2	1.821	चूनापत्थर
15.	श्री संजय भक्कड़ आ. श्री जोगेन्द्र लाल निवासी भाटापारा	रानीजरोद / सिमगा	50/2, 53 55/1,	1.516	चूनापत्थर

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम एवं तहसील	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम
1	2	3	4	5	6
16.	श्री संजय मक्कड़ आ. श्री जोगेन्द्र लाल निवासी भाटापारा	रानीजरौद / सिमगा	8, 72 / 1, 73 / 1 78, 87, 102 / 2	2.021	चूनापत्थर
17.	व्ही. एस. इंटरप्राइजेस निवासी सुहेला / सिमगा	रानीजरौद / सिमगा	471 / 2	1.659	चूनापत्थर
18.	श्री अनिल कुमार आ. श्री किशनचंद निवासी भाटापारा, तहसील भाटापारा	रानीजरौद / सिमगा	90	1.093	चूनापत्थर
19.	श्रीमती आनंदी शर्मा पति श्री प्रमोद शर्मा निवासी राटौर चौक जवाहर नगर रायपुर	रानीजरौद / सिमगा	607, 608, 609 / 1, 609 / 2, 609 / 3, 609 / 4, 610 / 1, 2,	1.219	चूनापत्थर
20.	जेनरलस कैरियर माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रेक्टर पार्टनर दिलीप जैन निवासी बलौदाबाजार-भाटापारा	रानीजरौद / सिमगा	30 / 1, 33 / 1, 32, 51, 49, 50, 52, 54	1.462	चूनापत्थर
21.	मनोज ठाकुर आ. श्री आर.के. एस ठाकुर निवासी नयापारा वार्ड भाटापारा तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	रानीजरौद / सिमगा	84 टु, 85 / 1 टु, 85 / 2 टु, 86 / 2 ट,	0.978	चूनापत्थर
22.	जसप्रीत सिंह भाटिया पिता स्व पृथपाल सिंह भाटिया निवासी सिमगा तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	रानीजरौद / सिमगा	471 / 2	2.000	चूनापत्थर
23.	शिवम् स्टोन केशर प्रो. श्री राजा टुटेजा आ. श्री सरदार सोहन सिंह नि0 भाटापारा तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	रानीजरौद / सिमगा	34 / 2, 35	0.348	चूनापत्थर
24.	अरुण सिंह आ. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी जन जीवन सोसायटी पचपेड़ी नाका रायपुर जिला रायपुर	रानीजरौद / सिमगा	471 / 2	0.931	चूनापत्थर
25.	श्रीमती नीलिमा सूर्यवंशी पति श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी निवासी रानीजरौद तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	रानीजरौद / सिमगा	471 / 2	1.053	चूनापत्थर
26.	श्री अंकित अग्रवाल निवासी नेवरा तिल्दा	रानीजरौद / सिमगा	66	1.121	चूनापत्थर
27.	रिपुसुदन वर्मा आ स्व रिखीराम वर्मा निवासी सुहेला तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार -भाटापारा	रानीजरौद / सिमगा	471 / 2 से 7	1.659	चूनापत्थर
28.	श्रीमती प्रतिभा ठाकुर पति श्री अशोक ठाकुर निवासी भाटापारा	आमाकोनी / सिमगा	1, 2	1.069	चूनापत्थर
29.	श्री राधेश्याम गोड़ आ. श्री बोधी राम गोड़ निवासी आमाकोनी तहसील सिमगा	आमाकोनी / सिमगा	23, 24	2.70	चूनापत्थर

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम एवं तहसील	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम
1	2	3	4	5	6
30.	श्री रामशंकर वर्मा निवासी आमकोनी तहसील सिमगा	आमाकोनी / सिमगा	58	1.020	चूनापत्थर
31.	श्री भूनेश्वर वर्मा आ. श्री राधेश्याम निवासी नयापारा सुहेला सिमगा	आमाकोनी / सिमगा	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	809	चूनापत्थर
32.	श्री बसंत चकधारी आ. श्री शत्रुहन लाल चकधारी निवासी मोहवा बाजार रायपुर जिला रायपुर	आमाकोनी / सिमगा	208	1.376	चूनापत्थर
33.	श्रीमती कुंती बाई वर्मा पति श्री रामशंकर वर्मा निवासी आमाकोनी तहसील सिमगा	आमाकोनी / सिमगा	208	1.214	चूनापत्थर
34.	श्री संजय मक्कड़ आ. श्री जोगेन्द्र लाल निवासी भाटापारा	आमाकोनी / सिमगा	89, 90, 91, 92, 93	0.83	चूनापत्थर
35.	श्री राधेष्णाम आ. श्री बोधीराम धुव निवासी चुचरुंगपुर तहसील सिमगा	आमाकोनी / सिमगा	25	1.06	चूनापत्थर
36.	श्री इंदर जग्गी आ. श्री नानकचंद जग्गी निवासी शंकर नगर रायपुर	आमाकोनी / सिमगा	26	1.56	चूनापत्थर
37.	श्री बुधे लाल निवासी बिटकूल तहसील सिमगा जिला रायपुर	बुड़गहन / सिमगा	172/2	0.607	चूनापत्थर
38.	श्री विनोद शर्मा आ. श्री सत्यनारायण शर्मा निवासी बुड़गहन तहसील सिमगा	बुड़गहन / सिमगा	171, 172/1	1.093	चूनापत्थर
39.	श्री आशिष कुमार आ. श्री दिलीप निवासी तिल्दा नेवरा	बुड़गहन / सिमगा	177, 178	2.388	चूनापत्थर
40.	सतागुरु साईनाथ माइन्स एंड मिनरल्स प्रा लिमि. मैनेजिक डाय. श्रीमती कल्पना तिवारी	टेकारी / सिमगा	273, 274, 275, 276	1.821	चूनापत्थर
41.	शुभम नत्थानी आ. श्री अजय कुमार निवासी सदर बाजार भाटापारा	टेकारी / सिमगा	271, 272	1.417	चूनापत्थर
42.	श्री दिलीप जैन आ. श्री आई.के. जैन निवासी बलौदाबाजार	सुहेला / सिमगा	97, 98, 99, 100, 101, 102/2	0.77	चूनापत्थर
43.	श्रीमती सुधा अग्रवाल निवासी चौबे कालोनी रायपुर जिला रायपुर	सुहेला / सिमगा	103/7 भाग, 103/8, 103/11, 103/15, 103/16 एवं 103/23	2.330	चूनापत्थर
44.	श्री बालाजी मिनरल्स प्रो श्री भीखमचंद नि मालवीय नगर दुर्ग	खैरवारी / सिमगा	391, 392, 393	1.788	चूनापत्थर
45.	महादेव प्रसाद अग्रवाल आ. श्री रामकिशन अग्रवाल निवासी खैरवारी पोस्ट सुहेला तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा	खैरवारी / सिमगा	401/2	1.267	चूनापत्थर
46.	श्री अरुण कुमार नशीने आ. श्री के.के.नशीने निवासी उपाध्याय नगर रायपुर	फरहदा / सिमगा	599, 600	1.715	चूनापत्थर

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम एवं तहसील	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम
1	2	3	4	5	6
47.	श्री एकान्त पारप्यानी आ. श्री ज्ञानचंद निवासी शास्त्री वार्ड भाटापारा तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	फरहदा / सिमगा	602/1, 602/2, 602/3	1.197	चूनापत्थर
48.	श्री अरुण कुमार यदू आ. श्री हरक निवासी मोटियाडीह सिमगा	देवरीडीह / सिमगा	212	0.503	चूनापत्थर
49.	श्री हीतेन्द्र कुमार यदू आ. श्री प्रेम कुमार नि० मर्राकोना तह. सिमगा जिला रायपुर	देवरीडीह / सिमगा	212	0.647	फर्शीपत्थर
50.	रावल दास जसवानी पिता श्री नेभन दास निवासी भाटापारा तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	धोवनीडीह / सिमगा	171, 175	1.43	चूनापत्थर
51.	श्री दीनदयाल अग्रवाल आ. श्री राम अग्रवाल निवासी बलौदाबाजार	मुढीपार / बलौदाबाजार	164, 169 / 1	1.085	चूनापत्थर
52.	श्रीमती उमा बाई वर्मा पति श्री डोमन लाल वर्मा निवासी मुढीपार	मुढीपार / बलौदाबाजार	126/2,3,4, 127/2,3,4, 128/2,3,4	2.110	चूनापत्थर
53.	श्री संदीप कुमार वर्मा आ. श्री जनकराम वर्मा निवासी बलौदाबाजार	मुढीपार / बलौदाबाजार	134, 136 / 1	1.246	चूनापत्थर
54.	श्री राकेश वर्मा आ. श्री जनकराम वर्मा नि० मुढीपार तह० बलौदाबाजार	मुढीपार / बलौदाबाजार	279/2,3,4, 282/1, 2,3, 284/1,2,3	2.000	चूनापत्थर
55.	श्री जनक राम वर्मा आ. श्री फुलचंद वर्मा नि. मुढीपार तहसील बलौदाबाजार	मुढीपार / बलौदाबाजार	169/2, 176, 175	0.895	चूनापत्थर
56.	श्रीमती विजय लक्ष्मी वर्मा पति श्री संदीप वर्मा निवासी मुढीपार तहसील बलौदाबाजार-भाटापारा	मुढीपार / बलौदाबाजार	126/1, 127/1, 128/1, 126-127-128/5 का भाग,	4.607	चूनापत्थर
57.	श्रीमती गीता बाई वर्मा पति श्री डोमन लाल वर्मा निवासी मुढीपार तहसील बलौदाबाजार-भाटापारा	मुढीपार / बलौदाबाजार	126-127-128/6, 126-127-128/7, का भाग 126-127-128/8	2.645	चूनापत्थर
58.	मेसर्स वर्मा मटेरियल सप्लायर श्री परस राम वर्मा निवासी मुढीपार पोस्ट मल्दी तहसील बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	मुढीपार / बलौदाबाजार	264 टु 265 टु, 272टु, 261/1टु 267, 270/1, 270/2, 271/1, 266/1, 266/2, 273/1, 273/2, 273/3, 273/4	1.079	चूनापत्थर
59.	श्री डोमन लाल वर्मा आ. श्री जगतु राम निवासी मुढीपार	मुढीपार / बलौदाबाजार	44, 52, 53 / 2	0.921	चूनापत्थर
60.	श्री संजय अग्रवाल आ. श्रीराम अग्रवाल निवासी बलौदाबाजार	ढाबाडीह / बलौदाबाजार	184/1,5,6	1.578	चूनापत्थर

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम एवं तहसील	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम
1	2	3	4	5	6
61.	संजय अग्रवाल निवासी बलौदाबाजार	ढाबाडीह/ बलौदाबाजार	184/2,3,4	0.931	चूनापत्थर
62.	श्री कचनबाला नामदेव निवासी बलौदाबाजार	केशडबरी/ बलौदाबाजार	45	0.445	चूनापत्थर
63.	मेसर्स विनोद कुमार जैन निवासी तेलीबाधा रायपुर जिला रायपुर	केशडबरी/ बलौदाबाजार	5/2, 5/3, 6/1, 7/1	0.931	चूनापत्थर
64.	श्री मोहन पांडे आ. श्री चिंता निवासी बलौदाबाजार	ताराशिव / बलौदाबाजार	141, 19, 24, 29, 30	1.040	मिट्टी
65.	शेख सिराजुल आ. श्री शेख महमूद निवासी बलौदाबाजार	तुरमा/ भाटापारा	134/1,2,4,163/1,2, 164/4, 155/3,5, 157/3,5	1.316	चूनापत्थर
66.	श्री नंदलाल जसवानी आ. श्री नेहनदास नि. महासती वार्ड भाटापारा	तुरमा/ भाटापारा	63/1,6.	1.020	चूनापत्थर
67.	श्री राजेश अग्रवाल आ. श्री मुरारी अग्रवाल नि. गांधी मंदिर वार्ड	गुडेलिया/ भाटापारा	898/2	1.295	चूनापत्थर
68.	श्री नितिश आ. श्री मुरारी अग्रवाल नि. गांधी मंदिर वार्ड भाटापारा	गुडेलिया/ भाटापारा	898/2	0.90	चूनापत्थर
69.	श्री दिलीप जैन आ. श्री आई. के. जैन निवासी बलौदाबाजार	ओटेबंद/ भाटापारा	22/1	3.076	चूनापत्थर
70.	श्री सुनील कुमार भतपहरी आ. श्री एम.डी भतपहरी निवासी पलारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	जुनवानी/ पलारी	415/1क	0.405	चूनापत्थर
71.	श्री पवन कुमार भतपहरी आ. श्री भुवन लाल निवासी जुनवानी तहसील पलारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	जुनवानी/ पलारी	415/1 क 1	0.567	चूनापत्थर
72.	मेसर्स सिंघानिया इंटर प्राईजेस, भागीदार रोहित कुमार सिंघानिया, निवासी 15/480 सिविल लाईन रायपुर	खैरा/ पलारी	152/5, 152/6, 156, 158	2.812	चूनापत्थर
73.	मेसर्स श्री सिद्धी विनायक कशर उद्योग पार्टनर मोहन सिंघानिया निवासी जी 2 चंपा भवन शिवजी पार्क सड़क रायपुर जिला रायपुर	अहमदपुर/ पलारी	93, 83, 84, 87, 95/12, 95/13, 95/14, 90/1, 91/1, 92/1	1.856	चूनापत्थर
74.	श्री सलीम आ. इस्लाम निवासी महासमुंद	देवगांव/ पलारी	565/4,5.	0.405	फर्शीपत्थर
75.	मोहम्मद महफूज अहमद	जुनवानी/ पलारी	446/1, 446/3	0.44	फर्शीपत्थर
76.	श्री होरीलाल चंद्रा निवासी मटिया तहसील कसडोल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	सलिहा/ बिलाईगढ	167/1, 167/5,6,7, 167/9, 176/2,3,4, 177/1	0.750	चूनापत्थर

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम एवं तहसील	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम
1	2	3	4	5	6
77.	श्री कमल जलान आ श्री शीरकेश निवासी सरसीवा तहसील बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	जोगेसर / बिलाईगढ़	501	1.620	चूनापत्थर
78.	श्री विजय भूषण पाण्डेय आ. श्री बूजभूषण नि. सारंगढे तह. सारंगढे	डुरुमगढ / बिलाईगढ़	80 / 2 82 / 1	1.902	चूनापत्थर
79.	श्री किशोर शर्मा आ. श्री बेनीराम निवासी सहिला भटगांव बिलाईगढ़	सलिहा / बिलाईगढ़	222 / 3, 242 / 1	0.214	चूनापत्थर
80.	श्री सुरेश कुमार आ. श्री रामचंद्र निवासी बिलाईगढ़	विसनपुर / बिलाईगढ़	234	0.748	चूनापत्थर
81.	लक्ष्मी गिनरत्स प्रो श्रीमती इंदिरा चंद्रा पति श्री मुरलीधर	सोहागपुर / बिलाईगढ़	568 / 6, 569 / 2, 567 / 1, 568 / 1, 569 / 1	0.426	चूनापत्थर
82.	श्रीमती सकुन डहरिया पति श्री शिवकुमार डहरिया निवासी शताब्दी नगर रायपुर	सलिहा / बिलाईगढ़	202 / 1क	2.064	चूनापत्थर
83.	श्री सूर्य कुमार खिलारी आ. श्री के.डी खिलारी नि. कटोरा तालाब रायपुर	सलिहा / बिलाईगढ़	202 / 1क	1.619	चूनापत्थर
84.	श्री निरंजन अग्रवाल-पिता श्री सत्यनारायण अग्रवाल निवासी शिवरीनारायण	बेलटिकरी / बिलाईगढ़	785 / 2, 76 / 1,	0.980	चूनापत्थर
85.	श्री हेमन्त दुबे पिता श्री व्यासनारायण निवासी कुम्हारी तहसील कसडोल	कुम्हारी / कसडोल	1475, 1477, 1478	0.703	चूनापत्थर
86.	श्री ध्रुव नारायण निवासी बरपाली तहसील कसडोल जिला रायपुर	खपरीडीह / कसडोल	154 / 1 / क	0.607	चूनापत्थर
87.	श्री अशोक कुमार यादव आ. श्री दिलेराम निवासी कसडोल	खरी / कसडोल	428, 442, 445	0.526	मिट्टी
88.	श्री राजू गहानी आ. श्री परमानंद निवासी कसडोल	मोतीपुर / कसडोल	849 / 6	0.299	मिट्टी
89.	श्री चंद्रहास साहू निवासी कसडोल तहसील कसडोल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	टिपरुग / कसडोल	7 / 2	1.090	मिट्टी
90.	चंद्रहासिनी स्टोन कशर	खपरीडीह / कसडोल	196 / 1	0.619	चूनापत्थर
91.	श्री रमेश साहू आ. स्व श्री नंदलाल साहू निवासी कसडोल	कोट (देवरीकला) / कसडोल	770 दु, 771 / 1 दु, 771 / 3, दु, 771 / 4 दु, 772 / 3, 772 / 4, दु, 793 / 2 दु.	1.367	चूनापत्थर

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम एवं तहसील	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम
1	2	3	4	5	6
92.	श्री रमेश साहू आ. रव श्री नंदलाल साहू निवासी कसडोल	कोट 1 / कसडोल	768 / 7, 768 / 9, 768 / 18, 768 / 25, 773 / 1, 773 / 2, 774 / 2, 774 / 4, 774 / 6, 775, 791 / 1, 791 / 4, 792 / 1, 792 / 3, 768 / 26, 777 / 2, 777 / 3, 776 / 9, 774 / 5, 791 / 2, 776 / 12, 776 / 10, 768 / 5, 777 / 1, 790, 776 / 5, 792 / 2, 769, 768 / 12	4.784	चूनापत्थर
93.	बृजेश केशरवानी आ. श्री वंशीलाल केशरवानी नि.रटेट बैक शिवरीनारायण	कुम्हारी / कसडोल	1381 / 4 1479	0.153	चूनापत्थर
94.	श्री आशिष ट्रेडिंग निवासी आशिष अग्रवाल शिवरीनारायण जिला जाजगीर चांपा	खपरीडीह / कसडोल	203 / 1	1.716	चूनापत्थर
95.	श्री गोरेलाल साहू निवासी कसडोल तहसील कसडोल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	खैरा / कसडोल	1189 / 2, 1192 / 1, 1192 / 2, 1193	1.271	मिट्टी

## परिशिष्ट "नौ"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 141) के भाग (ख) की जानकारी ]

क्रेडा द्वारा अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में हसदेव दायीतट नहर पर सौर ऊर्जा से संचालित लिफ्ट सिंचाई योजना की ग्रामवार स्थल, कार्य एजेंसी का नाम, कार्य प्रारंभ/पूर्ण करने की तारीख, संयंत्र की क्षमता तथा लागत व्यय की जानकारी

क्र.	संयंत्र स्थल	कार्य एजेंसी का नाम	कार्य प्रारंभ करने की तारीख	कार्य पूर्ण करने की तारीख	सौर पंप की क्षमता एचपी में	कार्य की लागत रूपए लाख में
1	ग्राम खिसोरा	मेसर्स श्री वापम्पस्, रायपुर	01.06.2018	10.01.2019	40एचपी (4 x 10)	88.24
2	ग्राम हरदी विशाल	मेसर्स सूर्या इंटरनेशनल, रायपुर	20.06.2018	18.01.2019	20एचपी (2x 10)	52.75
3	ग्राम मधाईपुर	मेसर्स सूर्या इंटरनेशनल, रायपुर	01.06.2018	10.01.2019	20एचपी (2x 10)	36.18

## परिशिष्ट "दस"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 73) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनवरी 2019 से जून 2019 तक प्राप्त केरोसिन का आबंटन एवं उठाव की जानकारी

(मात्रा किलोलीटर में)

क्रमांक	माह	भारत सरकार से प्राप्त आबंटन	जिलों को जारी आबंटन	उठाव
1	जनवरी 2019	9588	9552	7834
2	फरवरी 2019	9588	9564	7607
3	मार्च 2019	9588	9564	7303
4	अप्रैल 2019	9588	9588	7431
5	मई 2019	9588	10500	7659
6	जून 2019	9588	9336	7253

टीप - वर्ष 2019-20 में वर्षाकाल के दौरान पहुंचविहीन हो जाने वाले 222 उचित मूल्य दुकानों हेतु 04 माह के लिए केरोसिन के अग्रिम भण्डारण हेतु 912 किलोलीटर केरोसिन का अतिरिक्त आबंटन माह मई 2019 में दिया गया है। उक्त आबंटन का समायोजन जून से सितंबर माह के आबंटन में समानुपातिक रूप से समायोजन के आधार पर जारी किया ~~गया~~ जावेगा।

प्रपत्र "ब"

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनवरी 2019 से जून 2019 तक मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में जारी केरोसिन का आबंटन एवं उठाव की जानकारी

(मात्रा किलोलीटर में)

क्रमांक	माह	विधानसभा क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों को जारी आबंटन की मात्रा	उठाव की मात्रा
1	जनवरी 2019	121.4	72
2	फरवरी 2019	121.7	60
3	मार्च 2019	121.7	60
4	अप्रैल 2019	123	60
5	मई 2019	123.1	72
6	जून 2019	123.2	72
	योग	734.1	396

## परिशिष्ट "ग्यारह"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 299) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

## सीमेंट के ओवरलोड परिवहन पर की गई कार्यवाही की जानकारी

माह मार्च-2019					
स.क्र.	जिले का नाम	वाहन क्रमांक	ओवरलोड (टन में)	वसूल किया गया शमन शुल्क	वाहन स्वामी/संस्था का नाम
1	विलासपुर	CG04JC5955	5	22000	सोमल जैन, रायपुर
		UP52TA6759	6	24000	धर्मेन्द्र पाण्डे, देवरिया यू पी
		CG07BP3855	1	9000	जरवंत सिंह, भिलाई
		JH01BS3470	1	10000	अनमोल आजाद, झारखण्ड
		CG15CX9094	13	45000	सीताराम चौदरी, अंबिकापुर
		CG15DC9294	13	45000	सुशाल चौदरी, अंबिकापुर
2	रायपुर	CG06M 0950	2	12000	दीपक चन्द्राकर
		UP50AT5102	2	12000	अशोक कुमार
		CG04JC5039	2	12000	जगदीश यादव
		CG07MA5729	2	12000	गौरव अग्रवाल
		CG04DE7311	2	9000*	राजेश कुमार परमानी
		CG09JD3418	2	12000	विजय कुमार दास
		CG04J 3618	2	12000	जगदीश सिंह भाटिया
		CG22H 8155	2	12000	श्रीमति सोमा सिंह
3	बलौदाबाजार	CG14MG8685	6	24000	श्री अमरदीप भाटिया, पथलगढ़
		OD17R 1551	3	15000	श्री दीपक साहू, बरगढ़
		OD17E 9621	8	30000	श्री मोहम्मद अफजल, सुंदरगढ़
		CG04JC2979	2	12000	श्री शिरवानी करमदा
		CG11AC8265	2	12000	श्री मनोज कुमार साहू, शिगरीनारायण
		CG11AQ4656	2	13000	श्री मनोज कुमार साहू, शिगरीनारायण
		OD29E1558	1	9000	श्री अभीराम केदारपारा
		OD15A5657	2	12000	श्री सुरेश साहू डहुत(उडिसा)
		OD14C 4501	1	9000	राजकुमार यादव रउर केरा
CG13UG7389	2	12000	श्री रामेश्वर पटेल चतरैल		

4	बीजापुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
5	बेमेतरा	MP09HH3386	1	10000	राजेन्द्र कुमार जैन
6	बलरामपुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
7	रायगढ	निरंक	निरंक	0	निरंक
8	अंबिकापुर	CG22M4454	5	21000	दुर्गा जिप्सम वेन्चुरी प्रा.लि. बलौदाबाजार
		OD15F3392	3	15000	अजरूद्दीन कटक
9	कबीरधाम	CG04JB0778	2	12000	अंशीता गुप्ता, रायपुर
10	कोरिया	निरंक	निरंक	0	निरंक
11	गरियाबंद	निरंक	निरंक	0	निरंक
12	कांकेर	निरंक	निरंक	0	निरंक
13	मुंगेली	निरंक	निरंक	0	निरंक
14	दुर्ग	निरंक	निरंक	0	निरंक
15	महासमुन्द	निरंक	निरंक	0	निरंक
16	सुकमा	निरंक	निरंक	0	निरंक
17	सूरजपुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
18	जगदलपुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
19	कोरबा	निरंक	निरंक	0	निरंक
20	धमतरी	निरंक	निरंक	0	निरंक
21	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	0	निरंक
22	बालोद	निरंक	निरंक	0	निरंक
23	जशपुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
24	कोण्डागांव	निरंक	निरंक	0	निरंक
25	नारायणपुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
26	जांजगीर-चापा	निरंक	निरंक	0	निरंक
27	दन्तेवाड़ा	निरंक	निरंक	0	निरंक
योग :-				454000	

## सीमेंट के ओवरलोड परिक्रमण पर की गई कार्यवाही की जानकारी

माह अप्रैल-2019					
स.द.	जिले का नाम	वाहन क्रमांक	ओवरलोड (टन में)	वसूल किया गया शमन शुल्क	वाहन स्वामी/संस्था का नाम
1	बिलासपुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
2	रायपुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
3	बलौदाबाजार	निरंक	निरंक	0	निरंक
4	बीजापुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
5	बेमेतरा	निरंक	निरंक	0	निरंक
6	बलरामपुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
7	रायगढ़	JH19B7093	4	18000	अब्दुल समद लातेहार लोदाम
		CG14MG5500	6	24000	बलविंदर भाटिया पत्थलगांव
8	अंबिकापुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
9	कबीरधाम	निरंक	निरंक	0	निरंक
10	कोरिया	निरंक	निरंक	0	निरंक
11	गरियाबंद	निरंक	निरंक	0	निरंक
12	कांकेर	निरंक	निरंक	0	निरंक
13	मुंगेली	निरंक	निरंक	0	निरंक
14	दुर्ग	निरंक	निरंक	0	निरंक
15	महासमुन्द	निरंक	निरंक	0	निरंक
16	सुकमा	निरंक	निरंक	0	निरंक
17	सूरजपुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
18	जगदलपुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
19	कोरबा	निरंक	निरंक	0	निरंक
20	धमतरी	निरंक	निरंक	0	निरंक
21	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	0	निरंक
22	बालोद	निरंक	निरंक	0	निरंक
23	जशपुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
24	कोण्डागांव	निरंक	निरंक	0	निरंक
25	नारायणपुर	निरंक	निरंक	0	निरंक
26	जांजगीर-चांपा	निरंक	निरंक	0	निरंक
27	दन्तेवाड़ा	निरंक	निरंक	0	निरंक
योग :-				42000	

प्रपत्र "ब"

मोटर व्हीकल की धारा 199 के अनुसार वाहन मालिक/कंपनी पर कार्यवाही का विवरण

माह मार्च-2019						
स.क.	जिले का नाम	वाहन क्रमांक	वाहन चालक का नाम	वाहन स्वामी का नाम	कंपनी/संचालक का नाम	समझौता शुल्क की राशि
1	बलौदाबाजार	CG14MG8685	मोसिन अंसारी पता लोहरदमा	अमनदीप भाटिया पता पत्थलगांव	श्री सीमेंट	24000
		OD17R 1551	लक्ष्मण यादवपता देवगढ़	दीपक साहू पता बरगढ़	श्री सीमेंट	15000
		OD17E 9621	जन्मजय नायक पता राउरकेला	मोहम्मद अफजल पता सुदरगढ़	श्री सीमेंट	30000
		CG04JC2979	बलीराम यादव पता करमदा	शिखरवानी पता करमदा	श्री सीमेंट	12000
		CG11AC8265	हरीश पता शिवरीनारायण	मनोज कुमार साहू पता शिवरीनारायण	श्री सीमेंट	12000
		CG11AQ4656	साहन साहू पता मुड़पहाड़	मनोज कुमार साहू पता शिवरीनारायण	श्री सीमेंट	13000
		OD29E1558	लिंगराज पता पुरी	अभिराम पता केंदापारा	श्री सीमेंट	9000
		OD15.A5657	जयन्त साहू पता बहुत (उड़ीसा)	सुरश साहू पता बहुत (उड़ीसा)	श्री सीमेंट	12000
		OD14C 4501	पुरुषोत्तम दुबे पता रायपुर	राजकुमार यादव पता राउरकेला	श्री सीमेंट	9000
		CG13UG7389	मोतीलाल पता चतरेल	रामेश्वर पटेल पता चतरेल	श्री सीमेंट	12000

- टीप:- 1. माह मार्च 2019 में शेष जिलों से जानकारी निरंक है।  
2. माह अप्रैल 2019 में सभी जिलों से जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट "बारह"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 866) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा जिला-धमतरी में रेत खदानों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की जानकारी

वर्ष 2015

क्रमांक	रेत खनन हेतु स्थल	संबंधित नदी का खसरा क्रमांक	खनन का क्षेत्रफल (गर्गमीटर में)
1	ग्राम बुडेनी, तहसील-मगरलोड	1344	51,000
2	ग्राम कपालपोड़ी, तहसील-मगरलोड	2190	1,20,000
3	ग्राम गाड़ाडीह, तहसील-मगरलोड	910	80,000
4	ग्राम खरेंगा, तहसील-धमतरी	920	60,000
5	ग्राम परेवाडीह, तहसील-मगरलोड	145	1,00,000
6	ग्राम दर्री, तहसील-धमतरी	759	16,00,000
7	ग्राम बारना, तहसील-धमतरी	658	60,000
8	ग्राम करेली (छोटी), तहसील-मगरलोड	410	60,000
9	ग्राम भेण्डरी, तहसील-मगरलोड	651	51,000
<b>वर्ष 2016</b>			
1	ग्राम-सेलदीप, तहसील-कुरुद	939	80,000
2	ग्राम-दमकाडीह, तहसील-मगरलोड	716	1,30,000
3	ग्राम नवागांव, तहसील-मगरलोड	855	1,80,000
4	ग्राम-कुल्हाडीकोट, तहसील-मगरलोड	719	1,00,000
5	ग्राम-गाड़ाडीह, तहसील-कुरुद	2061	80,000
6	ग्राम अमलीडीह, तहसील-मगरलोड	1653	85,000
7	ग्राम नवीन जोरातराई, तहसील-कुरुद	403	70,500
8	ग्राम सरगी, तहसील-मगरलोड	01	70,000
9	ग्राम करेलीबडी, तहसील-मगरलोड	01	60,000
10	ग्राम परसुली, तहसील-धमतरी	735	1,40,000
11	ग्राम-नारी, तहसील-कुरुद	3449	80,000
12	ग्राम अरौद(ली), तहसील-धमतरी	01	80,000
13	ग्राम दोनर, तहसील-धमतरी	3170	60,000
14	ग्राम-लोडर, तहसील-मगरलोड	01	80,000
15	ग्राम मोहरेंगा, तहसील-मगरलोड	1332	1,50,000
16	ग्राम-हथबंद, तहसील-मगरलोड	01	2,00,000

क्रमांक	रेत खनन हेतु स्थल	संबंधित नती का खसरा क्रमांक	खनन का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
17	ग्राम सारंगपुरी, तहसील-धमतरी	754	60,000
18	ग्राम भीतररास, तहसील-नगरी	930	1,63,900
19	ग्राम सोनेवारा, तहसील-मगरलोड	1676	80,000
<b>वर्ष 2017</b>			
1	ग्राम डुमरपाली, तहसील-मगरलोड	1153	60,000
2	ग्राम हरदी, तहसील-मगरलोड	05	80,000
3	ग्राम सेमरा (बी), तहसील-धमतरी	778	1,25,000
4	ग्राम परखंदा, तहसील-कुरुद	2290	80,000
5	ग्राम लीलर, तहसील-धमतरी	02	80,000
6	ग्राम डाभा, तहसील-मगरलोड	01	80,000
7	ग्राम भरारी, तहसील-धमतरी	01	1,40,000
8	ग्राम चंद्रसुर, तहसील-मगरलोड	1045 / 1243	60,000
9	ग्राम लोडर, तहसील-मगरलोड	02	1,27,000
<b>वर्ष 2018</b>			
1	ग्राम भोथा, तहसील-मगरलोड	01	60,000
2	ग्राम मुड़पार, तहसील-धमतरी	01	1,00,000
<b>वर्ष 2019 (25 जून 2019 तक)</b>			
निरंक			

जिला स्तर पर पर्यावरण समाधान निधि प्राधिकरण, धमतरी द्वारा रेत खदानों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की जानकारी

क्रमांक	रेत खनन हेतु स्थल	संबंधित नदी का खसरा क्रमांक	खनन का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
वर्ष 2017			
1	ग्राम मंदरौद, तहसील-कुरुद	1711/1	40,000
2	ग्राम मंदरौद, तहसील-कुरुद	1711/1	40,000
3	ग्राम परसट्टी, नहरडीह (ए) तहसील-मगरलोड	832	50,000
4	ग्राम परसट्टी, नहरडीह (बी) तहसील-मगरलोड	832	50,000
5	ग्राम सिरसिदा, तहसील-मगरलोड	1237	49,900
6	ग्राम बोरसी, तहसील-मगरलोड	01	49,500
7	ग्राम हसदा, तहसील-मगरलोड	1154	50,000
8	ग्राम डाभा(बी), तहसील-मगरलोड	01	45,000
9	ग्राम सारंगपुरी, तहसील-धमतरी	1347	49,900
10	ग्राम भरारी, तहसील-धमतरी	866	45,000
11	ग्राम दरगाहन, तहसील-धमतरी	02	50,000
वर्ष 2018			
1	ग्राम मंदरौद, तहसील-कुरुद	1711/1*	40,000
2	ग्राम अमेठी, तहसील-धमतरी	364	49,900
3	ग्राम खरेंगा, तहसील-धमतरी	927	50,000
4	ग्राम जवरगांव, तहसील-धमतरी	952	49,500
5	ग्राम सेमरा (भखारा), तहसील-कुरुद	01	50,000
6	ग्राम भण्डरी, तहसील-मगरलोड	651	49,900
7	ग्राम दर्सी, तहसील-धमतरी	759	49,900
8	ग्राम सोगा, तहसील-मगरलोड	01	50,000
9	ग्राम राजपुर, तहसील-मगरलोड	01	50,000
10	ग्राम सिरसिदा, तहसील-मगरलोड	1237	49,000
11	ग्राम चंद्रसूर, तहसील-मगरलोड	1280	19,900
12	ग्राम मोहेरा, तहसील-मगरलोड	1138	49,900
13	ग्राम कोलयारी, तहसील-मगरलोड	995	45,000
14	ग्राम परसुली, तहसील-धमतरी	735	49,000
15	ग्राम तेंदुकोना, तहसील-धमतरी	1/502	49,500

क्रमांक	रेत खनन हेतु स्थल	संबंधित नदी का खसरा क्रमांक	खनन का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
16	ग्राम सारंगपुरी, तहसील-धमतरी	1347	49,900
17	ग्राम दोनर, तहसील-धमतरी	2774	50,000
18	ग्राम नारधा, तहसील-मगरलोड	819	49,000
19	ग्राम अमलीडीह, तहसील-मगरलोड	1653	50,000
20	ग्राम बुढेनी, तहसील-मगरलोड	1344	50,000
21	ग्राम सोनेवारा, तहसील-मगरलोड	1676	49,800
22	ग्राम मोहेरा, तहसील-मगरलोड	2203	49,900
23	ग्राम वारना, तहसील-धमतरी	658	49,900
24	ग्राम सिलीडीह, तहसील-कुरुद	01	50,000
25	ग्राम सेलद्वीप, तहसील-कुरुद	939	50,000
26	ग्राम लडेर, तहसील-मगरलोड	03	49,900
27	ग्राम दर्री, तहसील-धमतरी	753	49,900
वर्ष 2019 (25 जून 2019 तक)			
निरंक			

प्रपत्र "ब"

धमतरी जिले के रेत खदानों में किये गये निरीक्षण की जानकारी

क्रमांक	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता का पदनाम	निरीक्षण का स्थान
1.	11.01.2019	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधीक्षण अभियंता, वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ	ग्राम पंचायत-अमलीडीह, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी पैरी नदी का रेत खदान क्षेत्र
2.	11.01.2019	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधीक्षण अभियंता, वैज्ञानिक, रसायनज्ञ तथा खनिज निरीक्षक धमतरी	ग्राम-मेघा के समीप, कुरुद-मेघा रोड, धमतरी के महानदी का रेत खदान क्षेत्र
3.	11.01.2019	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधीक्षण अभियंता, वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ	ग्राम-चन्द्रपुर, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी स्थित रेत खदान क्षेत्र
4.	13.01.2019	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी, वैज्ञानिक, रसायनज्ञ, एवं प्रयोगशाला सहायक	ग्राम-मुड़पार, करेठा, कोलीयारी, अछोटा तथा जंवरगांव जिला धमतरी महानदी का रेत खदान क्षेत्र
5.	14.01.2019	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सहायक अभियंता, रसायनज्ञ तथा खनिज निरीक्षक धमतरी	ग्राम - मेघा के समीप, कुरुद मेघा रोड, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी के महानदी का रेत खदान क्षेत्र
6.	14.01.2019	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सहायक अभियंता, रसायनज्ञ तथा खनिज निरीक्षक धमतरी	ग्राम - अमेठी, परसुली, तेन्दुकोन्हा, जंवरगांव, दर्री, खरेंगा, लीलर, सारंगपुरी, भरारी, दोनर, सेमरा, बारना, लडेर, सोनेवारा, राजपुर, जोरातराई, डाभा, सैलद्वीप तथा मंदरौद जिला धमतरी महानदी का रेत खदान क्षेत्र

प्रपत्र "स"

क.	शिकायतकर्ता	विषय	शिकायत प्राप्ति दिनांक	की गई कार्यवाही
1.	माननीय विधायक श्री धनेन्द्र साहू	धमतरी जिले संचालित रेत खदानों में अवैध उत्खनन, रात्रि में अवैध परिवहन एवं पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने बाबत	06/06/2015, 02/04/2016, 07/04/2016, 24/05/2016, 03/06/2016, 27/09/2016, 07/12/2016, 23/05/2017,	शिकायतों की जांच कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) धमतरी द्वारा की गई। जांच में वर्ष 2016-17 में रेत उत्खनन के उद्देश्य से 04 जैसीबी मशीन मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही कर रुपये 80 हजार का अर्थदण्ड जमा कराया गया।
2.	श्री पदुमलाल साहू एवं अन्य	ग्राम पंचायत करेली बड़ी द्वारा संचालित रेत खनन कार्य हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदाय नहीं करने के संबंध में।	20/10/2015	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ के सदस्यों द्वारा निरीक्षण दिनांक 02/01/2016 को किया गया। शिकायत निराधार पाई गई।
3.	सरपंच ग्राम पंचायत लीलर तहसील व जिला धमतरी	ग्राम पंचायत लीलर में खदान लीलर संचालन में ग्रामीणों द्वारा आपत्ति करने बाबत।	03/04/2016	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ के सदस्यों द्वारा निरीक्षण दिनांक 07/01/2017 को किया गया। शिकायत निराधार पाई गई।
4.	माननीय विधायक श्री श्रवण मरकाम	ग्राम पंचायत सोनेवारा तहसील मगरलोड जिला धमतरी के पटवारी ह.नं. 35 खसरा क्र.-335, रकबा -141 हे. के भाग में रेत खदान संचालन में आपत्ति करने बाबत।	20/05/2016	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 11/07/2016 द्वारा कलेक्टर जिला-धमतरी को जांच हेतु लिखा गया था। कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, धमतरी छ.ग. के पत्र दिनांक 30/07/2016 द्वारा शिकायत निराधार होने की जानकारी दी गई।

5.	श्री हेमंत देवांगन (पूर्व जनपद पोस्ट-मगरलोड, जिला-धमतरी सदस्य)	बिना जांच किये शिकायत को झूठा करार देने बाबत।	27/06/2016	शिकायतों की जांच कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) धमतरी द्वारा की गई। जांच के समय नदी में बाढ़ आने के कारण उत्खनन क्षेत्रों के गड्ढों में रेत का पुनः भरण हो जाने के कारण गड्ढों का नाप किया जाना संभव नहीं था। अतः शिकायत नस्तीबद्ध की गई।
6.	श्री विनीत बाफना, ग्राम नवागांव, जिला-धमतरी	जिला खनिज अधिकारी द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन कर परिवहन करने वाले गाड़ी को न्यूनतम जुर्माना कार्यवाही कर छोड़ देने के संबंध में।	01/04/2017	शिकायतों की जांच कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) धमतरी द्वारा की गई। जिला खनिज अधिकारी द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन कर परिवहन करने वाली गाड़ी के विरुद्ध आज दिनांक तक किसी भी गाड़ी के विरुद्ध न्यूनतम जुर्माना राशि जमा नहीं कराया गया है।
7.	श्री ब्रजेश जगताप उपाध्यक्ष जनपद पंचायत धमतरी	ग्राम पंचायत मुड़पार जिला धमतरी को रेत खदान की स्वीकृति न देने बाबत।	27/05/2017	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ के सदस्य द्वारा निरीक्षण दिनांक 11/07/2017 को किया गया। उनकी अनुशंसा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

परिशिष्ट "तेरह"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 03) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

जिला कोरिया में एसईसीएल बैकुण्ठपुर, हसदेव एवं चिरमिरी क्षेत्र अन्तर्गत कोयला खदानों की जानकारी

क्र०	खनिपट्टेधारी का नाम	खनिज का नाम	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टर में)	ग्राम एवं तहसील	अवधि	संचालित/ शिथिल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>कोयला धारक क्षेत्र(अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत स्वीकृत विकासखण्ड-बैकुण्ठपुर</b>							
1.	एस०ई०सी०एल० बैकुण्ठपुर चरचा कालरी	कोयला	7000.807	चरचा कालरी (अंडरग्राउंड) सीतापुर, रेजा कटगोडी (आरक्षित वन)	31.10.1963 से	संचालित	2233.247 हे. क्षेत्र सोनहत वि.ख. में.
2	एस०ई०सी०एल० बैकुण्ठपुर कटकोना कालरी	कोयला	1130.929	कटकोना 1,2,3,4, (अंडरग्राउंड) कटकोना (आरक्षित वन) तह० बैकुण्ठपुर	27.04.1993 से	संचालित	
3	एस०ई०सी०एल० बैकुण्ठपुर पाण्डोपारा झिलमिली	कोयला	1269.738	पाण्डवपारा झिलमिली खोंड़, सोरगा, टेमरी (आरक्षित वन) (अंडरग्राउंड) तह० बैकुण्ठपुर	18.07.1992 से	संचालित	260.540 हे. भैयाथान, सूरजपुर जिले में स्थित
<b>कोयला धारक क्षेत्र(अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत स्वीकृत विकासखण्ड-मनेन्द्रगढ़</b>							
4	एस०ई०सी०एल० चिरमिरी कुरासिया कालरी	कोयला	607.891	कुरासिया (अंडरग्राउंड/ओपन कास्ट) भुकभुकी एवं चिरमिरी तह० मनेन्द्रगढ़	18.11.1961 से	संचालित	
5	एस०ई०सी०एल० हसदेव हल्दीबाडी	कोयला	1428.964	हसदेव क्षेत्र-बौरीडांड चौखड़ा, चनवारीडांड हल्दीबाडी (रिजर्व वन) तह० मनेन्द्रगढ़	28.03.1994 से	संचालित	

A-41

[ 19 जुलाई, 2019 ]

क्र०	खनिपट्टेधारी का नाम	खनिज का नाम	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टर में)	ग्राम एवं तहसील	अवधि	संचालित/ शिथिल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
खनिज रियायत नियम, 1960 के अन्तर्गत स्वीकृत विकासखण्ड—मनेन्द्रगढ़							
6	एस०ई०सी०एल हसदेव वेस्ट झगराखण्ड	कोयला	2613.094	वेस्ट झगराखांड (अंडरग्राउंड) साउथ वेस्ट झगराखांड बी.सीम पालकीमाड़ा खोगापानी, लेदरी, सोनहरी जंगल तह० मनेन्द्रगढ़	28.11.1985 से 27.11.2015	—संचालित —नवीनीकरण आवेदन दिनांक 27.03.2014 विचाराधीन।	खनिज रियायत नियम 1960 के तहत नवीकरण आवेदन पत्र विचाराधीन होने के परिप्रेक्ष्य में संचालित
7	एस०ई०सी०एल० चिरमिरी कुरासिया कालरी	कोयला	457.539	कुरासिया(अंडरग्राउंड/ओपन कास्ट) भुकभुकी एवं चिरमिरी तह० मनेन्द्रगढ़	28.11.1985 से 27.11.2015	—संचालित — नवीनीकरण आवेदन दिनांक 13.02.2014 विचाराधीन।	
8	एस०ई०सी०एल० चिरमिरी एन०सी०पी०एच० चिरमिरी कालरी	कायला	1359.744	एनसीपीएच (अंडरग्राउंड) तह० मनेन्द्रगढ़	28.11.1985 से 27.11.2015	—संचालित —नवीनीकरण आवेदन दिनांक 27.03.2014 विचाराधीन।	
9	एस०ई०सी०एल० चिरमिरी चिरमिरी कालरी	कोयला	1335.045	बरतुंगा , चिरमिरी (अंडरग्राउंड/ओपन कास्ट) तह० मनेन्द्रगढ़	28.11.1985 से 27.11.2015	—संचालित —नवीनीकरण आवेदन दिनांक 27.03.2014 विचाराधीन।	

## परिशिष्ट "चौदह"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 430) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

वर्ष (जनवरी से दिसंबर)	ओवरलोड पाये गये वाहनों की संख्या	वाहन का प्रकार	कुल शास्ति
2014	125	मालयान	1698300
2015	81	मालयान	1049000
2016	93	मालयान	1299400
2017	36	मालयान	647000
2018	71	मालयान	1052500
योग	406		5746200

नियम 46 ( 2 ) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "पंद्रह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 04) के भाग (क) की जानकारी ]

विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम नागपुर एवं चनवारीडांड एवं विकासखण्ड सोनहत के ग्राम कटगोड़ी में वर्तमान पेयजल व्यवस्था की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	ग्राम/ योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति क्र./दि.	लागत (रु. लाख में)	योजना चालू/बंद	स्थापित हैण्डपंप			पावर पंप		सोलर पंप		टैकर
						कुल	चालू	बंद	चालू	बंद	चालू	बंद	
1	मनेन्द्रगढ़	नागपुर (विभागीय)	65/06.02.2015	19.70	टंकी से चालू	46	43	3 (जल स्तर नीचे चले जाने के कारण)	03	-	02	-	-
2	मनेन्द्रगढ़	चनवारीडांड (डीएमएफ)	135/04.12.2017	41.39	सीधे पम्पिंग द्वारा चालू	42	42	-	01	-	-	-	-
3	सोनहत	कटगोड़ी (विभागीय)	683/04.04.2001	12.00	सीधे पम्पिंग से चालू	67	25	42 (जल स्तर नीचे जाने के कारण)	06	-	04	-	02 (एसईसीएल के माध्यम से)

परिशिष्ट "सोलह"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 81) के भाग (क) की जानकारी ]

वर्ष	मार्ग का नाम	निर्मित डबल्यू.पी. एम. मार्ग का नाम	मार्ग की लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	सड़क निर्माण में वित्तीय अनियमितता प्राप्त हुई अथवा नहीं	यदि हां तो किस स्तर के अधिकारी से जांच करायी गई	जांचकर्ता अधिकारी का नाम	जांच में दोषी गण- गण अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	दिनांक 20.06.2019 की स्थिति में की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017-18	विभागीय बजट मद 41-4406 (4342) सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य - 97 निर्माण कार्य -002 सड़क	हाटकरा से बोड़ागांव (वनमार्ग)	वनमार्ग की कुल लंबाई 18,000 कि.मी. (कराया गया कार्य 10वे कि. मी. से 18वे कि. मी. तक कुल 8,000 कि.मी.)	120.80	120.75 (मजदूरी- ₹49.82 लाख + सामग्री- ₹70.93 लाख कुल ₹120.75 लाख)	वित्तीय अनियमितता के कुल 03 निम्नानुसार शिकायत प्राप्त हुई है:- 1. मुख्य वन संरक्षक (सत.शिका.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्र./सत शिपग./सा. -179/2844 दिनांक 22.10.2018 शिकायतकर्ता - श्री अभिजीत दत्ता राय, कांकेर	मुख्य वन संरक्षक कांकेर का आदेश क्र. 194 दिनांक 31.10.2018 द्वारा निम्नानुसार जांच समिति का गठन किया गया है:- 1. वनमंडलाधिकारी केशकाल (समिति अध्यक्ष) 2. उपवनमंडलाधिकारी, केशकाल (समिति सदस्य) 3. उपवनमंडलाधिकारी, फरसगांव (समिति सदस्य)	श्री रामअवतार दुवे, वनमंडलाधिकारी केशकाल (समिति अध्यक्ष)	जांच कार्यवाही प्रगतिरत है।	जांच पूर्ण होने के उपरांत गुणदोष के आधार पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा।
						2. ग्राम खसगांव, जिला उत्तर वस्तर कांकेर के ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 12.10.2018 को डबल्यू.पी.एम. रोड निर्माण कार्य में ₹1255184 का भुगतान लंबित होने के संबंध में आवेदन	मुख्य वन संरक्षक कांकेर का आदेश क्र. 197 दिनांक 06.11.2018 द्वारा निम्नानुसार जांच समिति का गठन किया गया है:- 1. उपवनमंडलाधिकारी कांकेर (समिति अध्यक्ष) 2. परिक्षेत्राधिकारी, धारामा (समिति सदस्य)	श्री आर.डी. तारम, उपवनमंडलाधिकारी कांकेर (समिति अध्यक्ष)		
						3. मुख्य वन संरक्षक (सत.शिका.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्र./शिका./PGN/3114 दिनांक 29.11.2018 पी.जी.एन. क्र. - 771118046286 शिकायतकर्ता - श्री अभिजीत दत्ता राय, कांकेर	मुख्य वन संरक्षक कांकेर का पत्र क्र./नि.स. /PGN/न.क्र.34/8131 दिनांक 11.12.2018 द्वारा निम्नानुसार जांच समिति का गठन किया गया है:- 1. उपवनमंडलाधिकारी कांकेर (समिति अध्यक्ष) 2. परिक्षेत्राधिकारी धारामा (समिति सदस्य)	श्री आर.डी. तारम, उपवनमंडलाधिकारी कांकेर (समिति अध्यक्ष)		
2018-19						निरपेक्ष				

[ परिवर्तित अतंशंकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 134) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]	हडाजं माए
---	-----------

कोंडागांव में मोबाईल लक्ष्य, वितरण एवं शेष की जानकारी

ग्राम पंचायत	लक्ष्य	वितरित	शेष
बादेबानजोदा	245	220	25
पिपरा	1308	1208	100
अवराभौटा	353	167	186
बदेतहली	226	157	69
पूरबी बोरगांव	279	230	49
तौरंगा	214	192	22
कोरगाओं	470	453	17
बोरगांव	227	213	14
मुंगपदार	397	396	1
कलगाओं	206	96	110
परौद	356	253	103
पोलांग	148	61	87
बोटिनेरा	97	18	79
कुसमा	457	398	59
हिरी	177	121	56
मुलमुला	702	646	56
बादेकानेरा	738	691	47
आलोर	458	416	42
मसोरा	564	507	57
छोटे सलना	161	112	49
मदनर	496	448	48
तिरिचंद	446	399	47
सोनबल	516	470	46
कोपरा	554	509	45
मर्दापाल	295	255	40
पलारी	292	252	40
मकाडी	907	870	37
सिंघान पुर	432	395	37
बादेदोगार	804	770	34

अनुभाग 34

ग्राम पंचायत	लक्ष्य	वितरित	शेष
मालगाओं	291	258	33
बादेराजपुर	332	300	32
मांडोकीखरगाओं	318	287	31
दहीकोंगा	363	334	29
समबल पुर	416	387	29
शमपुर	351	322	29
भंडारसोई	379	353	26
अडेगा	439	414	25
बीजापुर	241	216	25
कुम्हारपारा	272	247	25
मालकोट	278	255	23
जैतपुरी	428	407	21
लनजोदा	642	621	21
कतगाओं	232	212	20
बाफना	298	279	19
कोकोडी	344	327	17
पल्ली	363	346	17
अरण्दी	450	434	16
बालेंगा	479	464	15
मरांगपुरी	382	367	15
चिलपुटी	263	249	14
बनियागांव	578	565	13
बेडमा	195	182	13
चिपवंद	336	324	12
गहरी	274	262	12
मांशीबोरौंद	459	447	12
पलाना	387	375	12
सलना	457	445	12
करवाही	376	365	11

ग्राम पंचायत	लक्ष्य	वितरित	शेष
निराछिण्डली	192	181	11
भिरागाओं	140	130	10
काबोंगा	382	372	10
बादेबेनदरी	490	481	9
किबड़ा	213	204	9
बरकाई	403	395	8
जोबा	470	462	8
चिपरेल	180	173	7
खजरावण्ड	199	192	7
बाडबातार	359	353	6
गिरोला	370	364	6
करनपुर	219	213	6
मछली	365	359	6
सिंगार पुर	287	281	6
सिरसिकलर	201	195	6
सुकुरपाल	119	113	6
ठंगों	192	186	6
उमार गाव	179	173	6
अनंतपुर	305	300	5
बागबेदा	285	280	5
पंडतगाओं	215	210	5
भागदेवा	250	246	4
चिचड़ी	283	279	4
घोडगाओं	365	361	4
जुगनिकलर	291	287	4
गोलवंड	349	346	3
लिहागाओं	446	443	3
लुभा	197	194	3
न्योता	226	223	3

ग्राम पंचायत	लक्ष्य	वितरित	शेष
रजा गौन	260	257	3
बाँसकोट	614	612	2
चारकै	190	188	2
करंजी	205	203	2
कोसहरदूली	184	182	2
कौंदकेरा	488	486	2
तोरोण्डी	288	286	2
बादेगोदासारा	190	189	1
बखरा	191	190	1
बम्हनी बंजर	532	531	1
गट्टीपालना	164	163	1
कोहकामेटा	169	168	1
कोरहोबेडा	264	263	1
कुल्हादगाओं	187	186	1
मांझीथागाओं	290	288	2
मारगाओं	292	291	1
लेरा	182	181	1
अमगांव	192	192	0
गोरगाँव	249	249	0
कमला	146	146	0
कुकरगरकपाल	210	210	0
मासुकोकोडा	205	205	0
मोहले	227	227	0
ओंदारी	165	165	0
<b>कुल</b>	<b>37404</b>	<b>35021</b>	<b>2383</b>

\* कुछ ग्रामों में मोबाईल वितरण का लक्ष्य से जगदा होने का कारण हितग्राहियों द्वारा किसी भी सेंटर में जाकर मोबाईल प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रद्द गया था।

परिशिष्ट "अट्टारह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 234) के भाग (ख) की जानकारी ]

रायगढ़ जिले के वन अभ्यारण्यों में निर्मित तालाबों की जानकारी

अनु.क.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	मद का नाम	वर्ष	अभ्यारण्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन्यप्राणियों हेतु निर्मित तालाब का विवरण		तालाब निर्माण हेतु स्वीकृत राशि (रु.लाख में)	व्यय राशि (रु.लाख में)
							स्थल का नाम	तालाब की संख्या		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रायगढ़	रायगढ़	विभागीय (10-2406-6529 राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का विकास)	2017-18	गोमर्डा अभ्यारण्य	गोमर्डा बरमकेला	कक्ष क. 939	1	12.00	12
2	रायगढ़	रायगढ़	विभागीय (41-2406-6991 हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास)	2017-18	गोमर्डा अभ्यारण्य	गोमर्डा बरमकेला	कक्ष क. 1005 आर. एफ.	1	15.00	15.00
3	रायगढ़	रायगढ़		2017-18	गोमर्डा अभ्यारण्य	गोमर्डा बरमकेला	कक्ष क. 1008 आर. एफ.	1	15.00	15.00
							योग :-	3	42.00	42.00
							निरंक			
4	रायगढ़	रायगढ़	-	2018-19			महायोग :-	3	42.00	42.00

रायगढ़ जिले के वन अभ्यारण्यों में निर्मित तालाबों की जानकारी

रायगढ़

परिशिष्ट "उन्नीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 342) के भाग (क) की जानकारी ]

वर्ष 2017-18 से 30 मई 2019 तक की स्थिति में खनिज नलकूप एवं स्थापित हैण्डपम्प की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	वर्ष 2017-18 से 30 मई 2019 तक की अवधि में खनित नलकूप						
		नलकूप खनन किये ग्रामों की संख्या	खनित नलकूप	सफल	असफल	स्थापित हैण्डपम्प	कार्यरत हैण्डपम्प	बंद हैण्डपम्प
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगदलपुर	67	88	75	13	75	75	0
2	बस्तर	55	87	48	39	48	48	0
3	बकावण्ड	60	85	74	11	74	74	0
4	तोकापाल	36	57	47	10	47	47	0
5	बास्तानार	17	35	33	2	33	33	0
6	दरभा	43	77	67	10	67	67	0
7	लोहण्डीगुडा	30	47	39	8	39	39	0
योग :-		308	476	383	93	383	383	0

020451

16/08/2019

19 जुलाई, 2019]

A-52

पत्र

परिशिष्ट "बीस"

[ परिवर्तित अतारकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 401) के भाग (ख) की जानकारी ]

वर्ष 2017-18 में जांजगीर-चांपा जिले के महिला स्व सहायता समूहों को हाथकरघा संघ द्वारा जारी सिलाई कार्य आदेश की समूहवार जानकारी

क्र	महिला स्व सहायता समूह का नाम	साईज	कार्य आदेश का विवरण			कार्य आदेश दिनांक
			शर्ट	ट्युनिक	हॉप पैट	
1	राधाकृष्ण महि.स्व सहा.समूह चांपा	26	1000	1000		07.06.17
		26	1000		1000	04.07.17
		30	1000		1000	25.07.17
		24	1000	1000		08.08.17
		32	1000		1000	16.08.17
		32	1000		1000	24.08.17
		26	1000		1000	05.09.17
		22	1000		1000	03.10.17
		26	1000		1000	07.10.17
		26	1000		1000	25.10.17
		28	1000		1000	26.02.18
		32	1000		1000	23.03.18
		<b>योग</b>	<b>12000</b>	<b>2000</b>	<b>10000</b>	
2	वर्षा महि.स्व सहा.समूह जांजगीर	26	1000	1000		07.06.17
3	सूर्या महि.स्व सहा.समूह तलवापारा जांजगीर	24	1000	1000		07.06.17
		26	1000		1000	
		26	1000		1000	01.08.17
		32	1000		1000	19.08.17
		32	1000		1000	24.08.17
		26	1000		1000	05.09.17
		22	1000		1000	03.10.17
		26	1000		1000	07.10.17
		26	1000		1000	25.10.17
		24	1000	1000		26.02.18
		28	1000	1000		23.03.18
				<b>योग</b>	<b>11000</b>	<b>3000</b>
4	मां दुर्गेश्वरी महि.स्व सहा.समूह काशीडीह	26	3000		3000	26.04.17
		26	1000		1000	14.07.17
		34	1000		1000	12.08.17
		34	1000		1000	05.09.17
		26	1000	1000		27.10.17
		24	1000	1000		26.02.18
				<b>योग</b>	<b>3000</b>	<b>2000</b>

क्र	महिला स्व सहायता समूह का नाम	साईज	कार्य आदेश का विवरण			कार्य आदेश दिनांक
			शर्ट	ट्युनिक	हॉप पैट	
1	2	4	5	6	7	8
5	श्री सिद्धी महि.स्व सहा.समूह जांजगीर	24	3000		3000	26.04.017
		24	1000		1000	15.06.17
		24	1000		1000	04.07.17
		26	1000		1000	26.07.17
		34	1000		1000	12.08.17
		24	1000		1000	12.09.17
		24	1000	1000		16.10.17
		24	1000	1000		27.10.17
		24	1000		1000	07.10.17
		24	1000	1000		26.02.18
		26	1000		1000	15.03.18
		28	2000		2000	22.03.18
		<b>योग</b>	<b>15000</b>	<b>3000</b>	<b>12000</b>	
6	एकता स्व सहा.समूह सिवनीनैला	30	2000		2000	12.04.17
		30	2000		2000	17.04.17
		30	2000		2000	24.04.17
		30	1000		1000	27.05.17
		30	1000		1000	07.06.17
		30	1000		1000	14.06.17
		30	1000		1000	01.07.17
		30	1000		1000	13.07.17
		32	1000		1000	26.07.17
		32	1000		1000	08.08.17
		32	1000		1000	29.08.17
		26	1000		1000	18.09.17
		30	1000		1000	26.10.17
		26	1000		1000	23.10.17
		30	2000		2000	20.02.18
		30	2000		2000	09.03.18
		30	2000		2000	28.03.18
		<b>योग</b>	<b>23000</b>	<b>0</b>	<b>23000</b>	
7	शबरी महिला बुन.सहकारी समिति मर्या.केरा	24	200	200		13.07.17
		22	2000	2000		26.02.18
		<b>योग</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	

क्र	महिला स्व सहायता समूह का नाम	समूह साईज	कार्य आदेश का विवरण			कार्य आदेश दिनांक
			शर्ट	ट्यूनिक	हॉप पैट	
1	2	4	5	6	7	8
8	गंगा श्री महि.स्व सहा.समूह चोरिया, चांपा	32	500	500		23.02.18
9	प्रकृति स्व सहा.समूह सिवनी नैला, जांजगीर-चांपा	32	1000		1000	09.03.18
10	मां पार्वती महि.स्व सहा.समूह चोरिया	34	1000		1000	15.03.18
11	मां परमेश्वरी नवयुवक मंडल चांपा	24	2000		2000	06.05.17
		24	1000	1000		26.05.17
		22	1000		1000	22.06.17
		24	1000		1000	05.08.17
		34	1000		1000	24.08.17
		26	1000	1000		27.10.17
		24	1000	1000		28.02.18
		योग	8000	3000	5000	
12	श्री बालाजी कल्याण समिति चांपा	22	2000	2000		22.04.17
		24	1000		1000	22.05.17
		24	1000		1000	22.06.17
		24	1000		1000	05.08.17
		34	1000		1000	24.08.17
		24	1000		1000	12.09.17
		24	1000	1000		16.10.17
		26	1000		1000	27.10.17
		22	1000	1000		07.10.17
		32	1000		1000	26.02.18
		28	1000		1000	21.03.18
		योग	12000	4000	8000	
	कुल योग		94700	20700	74000	

## परिशिष्ट "इक्कीस"

[ एरोट, इलाहाबाद ] परिशिष्ट अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 555) की जानकारी ]

## वाहन का पंजीयन संबंधी प्रावधान

(अ) मोटरयान अधिनियम 1988

धारा 40. रजिस्ट्रीकरण कहाँ किया जाना है — धारा 42, धारा 43 और धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटर यान का स्वामी यान को उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास-स्थान या कारबार का स्थान है जहाँ कि यान आमतौर पर रखा जाता है।

धारा 41. रजिस्ट्रीकरण कैसे होना है — (1) मोटरयान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसके साथ ऐसी दस्तावेजों, विशिष्टियों और जानकारी दी हुई होंगी और वह ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु जहाँ मोटरयान संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्वधीन है, वहाँ आवेदन सभी स्वामियों की ओर से एक स्वामी द्वारा किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे आवेदक को ऐसे मोटर यान का स्वामी समझा जाएगा।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (3) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस मोटर यान के, जिसे उसने रजिस्टर किया हो, स्वामी को, एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में देगा और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ और जानकारी दी हुई होगी और वह ऐसी रीति में होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (4) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में सम्मिलित की जाने के लिए अपेक्षित अन्य विशिष्टियों के अतिरिक्त, वह उस मोटर यान का प्रकार भी विनिर्दिष्ट करेगा जो ऐसे प्रकार का है जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान के डिजाइन, निर्माण और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
- (5) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र की विशिष्टियाँ एक रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा जिसे ऐसे प्ररूप और रीति में रखा जाएगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (6) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस यान में प्रदर्शित किए जाने के लिए उस यान को (इस अधिनियम में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के रूप में निर्दिष्ट) एक पहचान चिन्ह देगा जो ऐसे अक्षर समूहों में से किसी एक समूह से मिलकर बनेगा और उसके पश्चात् ऐसे अक्षर और अंक होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस राज्य को समय-समय पर आबंटित करती है और उन्हें मोटर यान पर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रदर्शित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

- (7) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् परिवहन यान से भिन्न मोटर यान के बारे में उपधारा (3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रमाणपत्र के दिए जाने की तारीख से केवल पंद्रह वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगा और उसका नवीकरण किया जा सकेगा।
- (8) परिवहन यान से भिन्न मोटर यान के स्वामी द्वारा उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ और जानकारी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) धारा 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा (8) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए कर सकेगा और उस तथ्य को सूचना, यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नहीं तो मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा।
- (11) यदि स्वामी, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन आवेदन विहित कालावधि के भीतर करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्वामी से, उस कार्रवाई के बदले जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए, एक सौ रूपए से अनधिक उतनी रकम का जो उपधारा (13) के अधीन विहित की जाए, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा :  
परंतु धारा 177 के अधीन कार्रवाई स्वामी के विरुद्ध तब की जाएगी जब स्वामी उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहा हो।
- (12) जहां स्वामी ने उपधारा (11) के अधीन रकम का संदाय कर दिया हो, वहां धारा 177 के अधीन कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं की जाएगी।
- (13) उपधारा (11) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन आवेदन करने में स्वामी की ओर से हुए विलंब की अवधि को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न रकमों विहित कर सकेगी।
- (14) रजिस्ट्रीकरण का दूसरा प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन, [अंतिम रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी] को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ और जानकारी होगी और उसके साथ ऐसी फीस जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

क्रमशः.....

धारा 42. राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष उपबंध

- (1) जहां किसी मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राजनयिक अधिकारी अथवा कौंसलीय अधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है वहां उस धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस यान को ऐसी रीति से और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित की जाए तथा उन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उस यान पर प्रदर्शित करने के लिए उसे एक विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देगा तथा इस बात का प्रमाणपत्र (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र कहा गया है) देगा कि वह यान इस धारा के अधीन रजिस्टर कर दिया गया है और इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत कोई यान जब तक किसी राजनयिक अधिकारी अथवा कौंसलीय अधिकारी की संपत्ति बना रहता है, इस अधिनियम के अधीन अन्यथा रजिस्टर किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।
- (2) यदि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई यान किसी राजनयिक अधिकारी अथवा कौंसलीय अधिकारी की संपत्ति नहीं रहता है तो इस धारा के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भी प्रभावी नहीं रहेगा और तब धारा 39 और धारा 40 के उपबंध लागू होंगे।
- (3) केन्द्रीय सरकार, राजनयिक अधिकारियों और कौंसलीय अधिकारियों के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ऐसे यानों को रजिस्टर करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में, उस प्ररूप के बारे में जिससे ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उन यानों के स्वामियों को भेजे जाने हैं और ऐसे यानों के लिए विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के बारे में नियम बना सकेगी।
- (4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "राजनयिक अधिकारी" या "कौंसलीय अधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार ने उस रूप में मान्यता प्रदान की है और यदि ऐसा प्रश्न उठता है कि वह व्यक्ति ऐसा अधिकारी है या नहीं तो उस प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

धारा 43. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण— (1) धारा 40 में किसी बात के होते हुए भी, किसी मोटर यान का स्वामी विहित रीति से यान को अस्थायी रूप में रजिस्टर कराने के लिए और विहित रीति से अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिए जाने के लिए किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा अन्य विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण, एक मास की अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा और नवीकरणीय नहीं होगा :

परन्तु जहां इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत कोई मोटर यान चैसिस है जिसमें कोई [बॉडी या स्वामी के नियंत्रण के परे किन्हीं अनिश्चित परिस्थितियों में] नहीं लगाई गई है और जिसमें बॉडी लगाने के लिए उसे कर्मशाला में एक मास की उक्त अवधि से आगे रखा जाता है वहां ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो विहित की जाए देने पर उस अवधि की इतनी अतिरिक्त अवधि या अवधियों तक बढ़ाया जा सकेगा जो, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी अनुज्ञात करे।

[(3) ऐसा मामला, जिसमें कोई मोटर यान अनुक्रय करार, पट्टे या वित्तीय सहायता के अधीन धारित किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी ऐसे यान का रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें स्पष्ट एवं प्रमुख रूप से उस व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता समाविष्ट करेगा जिराके साथ स्वामी द्वारा ऐसे करार में प्रविष्टि किया गया है।]

धारा 44. रजिस्ट्रीकरण के समय यान का पेश किया जाना— रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी मोटर यान को रजिस्टर करने के संबंध में या परिवहन यान से भिन्न मोटर यान की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पूर्व उस व्यक्ति से जिसने, यथास्थिति, उस यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन किया है, यह अपेक्षा करेगा कि वह उस यान को या तो स्वयं उसके समक्ष अथवा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पेश करे जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा, नियुक्त करे जिससे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपना यह समाधान कर सके कि आवेदन में दी गई विशिष्टियाँ सही हैं और वह यान इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है।

.....

## (ब) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989

नियम 47. मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन - (1) मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन यान का परिदान लेने के समय से <sup>2</sup>[सात दिन] की अवधि के भीतर, जिसके अंतर्गत यात्रा अवधि नहीं है, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रारूप-20 में किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे -

- (क) प्रारूप - 21 के विक्रय प्रमाण-पत्र
- (ख) विधिमान्य बीमा प्रमाण-पत्र,
- [(ग) ट्रेलर या अर्द्ध-ट्रेलर की दशा में राज्य परिवहन प्राधिकारी या परिवहन आयुक्त या ऐसे अन्य प्राधिकारी की जो राज्य सरकार द्वारा डिजाइन का अनुमोदन करने के प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं कार्यवायियों की प्रति,]
- (घ) सेना के भूतपूर्व यान की दशा में संबंधित प्राधिकारियों से प्रारूप-21 में मूल विक्रय प्रमाण-पत्र,
- (ङ) नियम 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों में से किसी एक के रूप में पते का सबूत,
- (च) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण यदि कोई हो,
- (छ) प्रारूप-22 में विनिर्माता से बॉडी निर्माता से <sup>1</sup>[प्रारूप 22-क] में सड़क उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र,
- <sup>2</sup>[(ज) आयातित यानों की दशा में अनुज्ञप्ति और बन्धपत्र, यदि कोई हो, के साथ सीमा शुल्क निकासी प्रमाण-पत्र,

परन्तु यात्री सामान नियम, 1998 के अधीन आयातित यानों से भिन्न, आयातित यानों की दशा में, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जिसका भारत में विनिर्मित यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुसरण किया जाता है, और]

- (झ) नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस।

<sup>3</sup>[(ज) नागरिकता का सबूत।

- (ट) विदेशियों की दशा में निवास के सबूत के अतिरिक्त भारत में विधिक उपस्थिति का सबूत।]

- (2) अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत यान की बाबत उपनियम (1) के अधीन आवेदन, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा।

क्रमशः.....

नियम 48. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना - नियम 47 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर और उसके साथ दिये गये दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, धारा-44 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए [मोटरयान के स्वामी को प्ररूप-23 या प्ररूप 23-क में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा जैसा कि संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन <sup>5</sup>[ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर] द्वारा इस हेतु अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा]:

<sup>6</sup>[परंतु जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र किसी परिवहन यान से संबंधित हो वहाँ इसे केवल प्ररूप 38 में योग्यता प्रमाण-पत्र लेखबद्ध करने के पश्चात् <sup>5</sup>[ऐसा आवेदन प्राप्त होने के तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर] रजिस्ट्रीकरण स्वामी के रूपुर्द किया जाएगा।

.....

## ई-रिक्शा एवं ई-गाड़ी के पंजीयन, चालक लाइसेंस के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत

केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि.709 (अ) दिनांक 08 अक्टूबर, 2014 के अनुसार ई-रिक्शा एवं ई-गाड़ी को केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 2 के उपनियम (गक) के पश्चात (गख) एवं (गग) के रूप में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है, यथा-

- (गख) ई-रिक्शा- से तीन पहिये वाला विशेष प्रयोजन बैटरी प्रचालित यान अभिप्रेत है और जिससे सवारियों को भाड़े या पारिश्रमिक पर ढोने हेतु अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रबंध करना आशयित है, परंतु-
- (i) ऐसा यान चार से अनधिक सवारियों, जिसमें चालक सम्मिलित नहीं है, और कुल चालीस किलोग्राम से अनधिक सामान को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित है।
  - (ii) इसकी मोटर की शक्ति 2000 वॉट से अधिक नहीं है।
  - (iii) यान की अधिकतम गति पच्चीस किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है।
- (गग) ई-गाड़ी- से तीन पहिये वाला विशेष प्रयोजन बैटरी प्रचालित यान अभिप्रेत है और जिससे सवारियों को भाड़े या पारिश्रमिक पर ढोने हेतु अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रबंध करना आशयित है, परंतु-
- (i) ऐसा यान चार से अनधिक सवारियों, जिसमें चालक सम्मिलित नहीं है, और कुल चालीस किलोग्राम से अनधिक सामान को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित है।
  - (ii) इसकी मोटर की शक्ति 2000 वॉट से अधिक नहीं है।
  - (iii) यान की अधिकतम गति पच्चीस किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है।

### 1/ ई-रिक्शा एवं ई-गाड़ी के लिए पंजीयन-

ई-रिक्शा एवं ई-गाड़ी को मोटरयान की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया गया है। अतः मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता है। रजिस्ट्रीकरण के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 47 के अंतर्गत निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है-

- (1) निर्धारित प्रारूप 20 में आवेदन पत्र
- (2) विक्रेता द्वारा जारी किये गये विक्रय प्रमाण पत्र प्रारूप 21
- (3) विधिमाम्य बीमा प्रमाण पत्र
- (4) नियम 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से किसी एक के रूप में पते का सबूत।
- (5) अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र यदि कोई हो
- (6) वाहन निर्माता या बॉडी निर्माता से जारी किये गये सड़क उपयुक्तता का प्रमाणपत्र प्रारूप 22
- (7) आयातित वाहनों की दशा में अनुज्ञप्ति और बंध-पत्र यदि कोई हो के साथ सीमा शुल्क निवृत्ती का प्रमाण पत्र
- (8) नियम 81 में विनिर्दिष्ट पंजीयन शुल्क रूपधे 300
- (9) नागरिकता का सबूत

## 2/ वाहन का परमिट-

ई-रिक्शा एवं ई-गाड़ी में क्रमशः सवारी व माल ढोने के लिए निर्मित की गई है। अतएव परिवहन यान की शर्तों में सम्मिलित होने के कारण परमिट की आवश्यकता होती है। परंतु केन्द्र सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये अधिसूचना क्रमांक का.आ. 2812 (अ) दिनांक 30 अगस्त 2016 के अनुसार परमिट प्राप्त करने से छूट दी गई है, यथा-

केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 66 की उपधारा (3) के खंड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के उपबंध, उपरोक्त अधिनियम की धारा 2क में यथा परिभाषित ई-कार्ट और ई-रिक्शा जो क्रमशः मालों और वैयक्तिक सभ्यता के साथ यात्रियों के वहन के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं या किए जाने हैं, के प्रवर्ग के परिवहन यानों को लागू नहीं होंगे।

परंतु राज्य सरकारें इन यानों को विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विनिर्दिष्ट सड़कों पर चलाने पर समुचित यातायात विधियों के अधीन निबंधन अधिरोपित कर सकती है।

केन्द्र शासन द्वारा जारी किये अधिसूचना के अनुसार ई-रिक्शा एवं ई-गाड़ी को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के खंड (द) के अनुसार परमिट की आवश्यकता नहीं है। परंतु यातायात के नियंत्रण एवं सुगम संचालन हेतु परमिट स्वीकृत करने वाले प्राधिकार द्वारा पृथक से प्रमाण पत्र जारी किया जाना आवश्यक होगा, जिस पर किसी विशिष्ट क्षेत्र या मार्ग या नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्र का उल्लेख हों।

## 3/ उपयुक्तता प्रमाण पत्र-

ई-रिक्शा एवं ई-गाड़ी परिवहन यान है। अतएव मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56 के अंतर्गत ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) जारी किया जाना आवश्यक है। अतः निम्न कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है-

- (1) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 62 के अंतर्गत नवीन वाहनों के लिए 02 वर्ष के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जाना, जिसके लिए नियम 81 के तहत निरीक्षण के लिए रुपये 400 एवं उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने लिए रुपये 200-इस प्रकार कुल रुपये 600 शुल्क देय होगा। (वर्तमान में हस्तचालित उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है)
- (2) उपयुक्तता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण 03 वर्ष के लिए किया जायेगा और निरीक्षण के लिए रुपये 400 तथा जारी करने हेतु रुपये 200 कुल 600 रुपये का शुल्क जमा करना होगा।

## 4/ ई-रिक्शा एवं ई-गाड़ी के लिए देय कर-

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा जारी किये गये अधिसूचना क्रमांक एफ 4-1-92/आठ दिनांक 19.02.1992 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 20.03.1992 को प्रकाशित हुआ है, के अनुसार बैटरी चालित वाहनों को 05 वर्षों के लिए छूट दी गई है। (छ0ग0 राज्य गठन के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये समस्त अधिसूचनाओं/आदेश/निर्देशों को छ0ग0 सरकार द्वारा अनुकूलन कर लिया गया है) अतएव छ0ग0 राज्य सरकार द्वारा संशोधन नहीं किये जाने के कारण प्रभावशील है। अतः ई-रिक्शा एवं ई-गाड़ी के लिए देय वाहन कर से 05 वर्षों के लिए छूट की पात्रता है।

## 5/ ई-रिक्शा एवं ई-गाड़ी को चलाने के लिए चालक लाइसेंस की आवश्यकता-

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 3 के तहत सार्वजनिक स्थान में मोटरयान चलाने के लिए वैध चालक लाइसेंस के लिए अनिवार्यता है तथा धारा 13 के अंतर्गत जारी किये गये चालक लाइसेंस संपूर्ण भारत में प्रभावी होता है। परंतु ई-रिक्शा एवं ई-गाड़ी के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये अधिसूचना क्रमांक स.का.नि. 709 (अ) दिनांक 08 अक्टूबर, 2014 के अधिसूचना के अनुक्रमांक (18) एवं (19) तथा (20) के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों या रूटों पर चालन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना है। केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 10 के

अप्रमत्त शिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक है और यह शिक्षार्थी लाइसेंस 06 माह के लिए वैध होगा। जैसा कि अन्य वाहनों के लिए जारी किये गये शिक्षार्थी लाइसेंस की वैधता होती है। केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 10 के तहत जिस प्रकार अन्य वाहनों के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस प्रारूप 3 में सम्पूर्ण भारत के लिए जारी किया जाता है, परंतु ई-रिक्शा या ई-गाड़ी के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस के प्रारूप पर किसी विशिष्ट क्षेत्र या मार्ग या उपर निभम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र तक ही वैध रहने के संबंध में उल्लेख किया जाये।

6/ ई-रिक्शा चालकों के लिए पृथक ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता एवं कतिपय प्रावधानों से छूट-

- (1) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 8 (क) के अनुसार ई-रिक्शा या ई-गाड़ी के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (कक्षा 8 पास) से छूट दी गई है।
- (2) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक की उसने हल्का मोटरयान चलाने के लिए कम से कम 01 वर्ष का चालन अनुज्ञापति धारण की हो, परंतु ई-रिक्शा या ई-गाड़ी चलाने के लिए 01 वर्ष पुराना निजी हल्का मोटरयान नियम लाइसेंस के धारक होने से छूट प्रदान की गई है अर्थात् लॉनिंग लाइसेंस जारी करने के 01 माह पश्चात सीधे तौर पर ई-रिक्शा या ई-गाड़ी के लिए स्थाई लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

7/ ई-रिक्शा या ई-गाड़ी का चालक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अनुभव प्रमाण पत्र-

व्यवसायिक चालक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से न्यूनतम 01 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनिवार्यता के स्थान पर किसी भी पंजीकृत ई-रिक्शा एसोसिएशन, ई-रिक्शा निर्माता से न्यूनतम 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8/ ई-रिक्शा वाहन निर्माता/डीलर के दायित्व-

- (1) अन्य मोटरवाहनों की भांति ही ई-रिक्शा या ई-गाड़ी के लिए वाहन के निर्माता को चाहिए कि केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 126 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्था से जारी किये गये उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- (2) वाहन का विक्रेता का यह दायित्व होगा कि छोटा मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-क के तहत नवीन वाहनों के विक्रय एवं पंजीयन की अनुमति परिवहन अयुक्त से प्राप्त करेंगे।
- (3) वाहन विक्रेता डीलर का यह दायित्व होगा कि केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 34 के अंतर्गत पंजीयन प्राधिकारी/परिवहन अधिकारी से व्यवसाय प्रमाण पत्र करेंगे।
- (4) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 42 के तहत ई-रिक्शा या ई-गाड़ी के विक्रय पश्चात क्रेता को वाहन का परिदान तब तक न किया जाये, जब तक वाहन का अस्थाई अथवा स्थाई पंजीयन न हो जावे अर्थात् अस्थाई अथवा स्थाई पंजीयन के पश्चात ही क्रेता को वाहन सौंपा जावे।

अतः उपरोक्तानुसार ई-रिक्शा या ई-गाड़ी के पंजीयन/फिटनेस/परमिट/चालक लाइसेंस के संबंध में मार्गदर्शी संबंधी सिद्धांत का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

## परिशिष्ट "बाईस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 798) की जानकारी ]

प्रदेश में वर्ष 2018-19 में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के अंतर्गत प्राप्त अंशदान एवं व्यय की जिलेवार जानकारी

राशि करोड़ रुपये में

क्रमांक	जिला का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	2.	3.	4.
1	रायपुर	23.28	20.30
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	52.87	27.18
3	गरियाबंद	0.34	3.84
4	धमतरी	4.31	4.16
5	महासमुन्द	7.77	3.04
6	राजनांदगांव	23.13	22.87
7	कबीरधाम	6.28	5.68
8	दुर्ग	30.41	14.69
9	बेमेतरा	1.23	0.01
10	बालोद	37.62	32.73
11	बस्तर	106.60	25.04
12	नारायणपुर	20.83	15.58
13	उत्तर बस्तर कांकेर	36.67	16.54
14	कोण्डागांव	21.51	11.52
15	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	166.89	101.53
16	सुकमा	41.74	48.22
17	बीजापुर	62.20	24.40
18	बिलासपुर	50.40	51.80
19	मुंगेली	1.24	0.73
20	कोरबा	145.13	253.89
21	जांजगीर-चाम्पा	70.16	21.89
22	रायगढ़	31.73	29.55
23	जशपुर	19.88	15.54
24	सरगुजा	28.59	32.01
25	बलरामपुर	25.75	0.88
26	सूरजपुर	13.55	19.09
27	कोरिया	50.07	42.94
	योग-	1080.18	845.64

## परिशिष्ट "तेईस"

[ परिवर्तित अंतरांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 940) के भाग (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

बिलासपुर जिले में छ.ग. राज्य वन विकास निगम कुल 14292.368 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र हस्तान्तरित है. अतिक्रमण कर बसाहट हुये अतिक्रमण वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

	अतिक्रमण वन क्षेत्र का विवरण			अतिक्रमण की संख्या
	अतिक्रमण वन क्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	
1	दानवखार	आर.एफ.168	0.500	1
2	मानपुर	आर.एफ.136	0.040	1
3	नेवसा	आर.एफ.133	0.020	1
4	सरैहा	आर.एफ.137	0.040	1
5	शिवतराई	आर.एफ.167	1.437	8
6	करखा	आर.एफ.132	3.000	11
	योग :-		5.037	23

## प्रपत्र "ब"

क्र.	जहाँ अतिक्रमण कर बसाहट किया गया है, आरक्षित वन क्षेत्र /कम्पॉटमेंट नम्बर	अतिक्रमित वनक्षेत्र का नाम/ग्राम का नाम (बसाहट किया गया है)	जनसंख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	आर.एफ.1 फदहाखार	नयापारा गणेश नगर फदहाखार	1900 के लगभग	आरक्षित वनक्षेत्र फदहाखार का कुल रकबा 304.728 हे. है। लगभग 15.000 हे. वनक्षेत्र में अतिक्रमण हो चुका है। जिसे नयापारा एवं गणेशनगर बस्ती के नाम से जाना जाता है।

## प्रपत्र "स"

बिलासपुर जिले के भरवाही वनमंडल अंतर्गत कुल 05 कच 258, 259, 260, 265 एवं 266 जिसका क्रमशः रकबा 217.721, 269.521, 167.945, 264.665 एवं 330.628 कुल रकबा 1250.480 हे. आरक्षित वन क्षेत्र है, उपरोक्त आरक्षित वनक्षेत्रों में अतिक्रमण बसाहट नहीं है।

## परिशिष्ट "चौबीस"

[ परिवर्तित अतारसंकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 944) के भाग (क) की जानकारी ]

तेन्दूपत्ता संग्रहण से संबंधित जिलेवार जानकारी विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 944

क्र.	जिले का नाम	संग्रहित मात्रा (मानक बोरा)	विक्रय की गई मात्रा (मानक बोरा)	विक्रय मूल्य (राशि रु. में)
1	2	3	4	5
1	बीजापुर	90204.525	90204.525	491,799,521.00
2	सुकमा	86539.454	27444.045	120,216,836.00
3	दन्तेवाड़ा	22407.085	9306.87	33,498,658.00
4	बस्तर	19073.408	8469.67	25,008,971.00
5	कोडागांव	52780.158	13747.275	51,202,491.00
6	नारायणपुर	24308.099	1613.80	5,663,666.00
7	कांकेर	217074.380	201873.355	1,070,671,083.00
8	राजनांदगांव	108256.940	71734.345	395,817,118.60
9	बालोद	20419.405	18372.550	102,762,760.00
10	कबीरधाम	35411.300	0.000	-
11	धमतरी	22962.220	18131.680	98,072,443.00
12	गरियाबन्द	78765.725	67569.910	405,753,889.00
13	महासमुन्द	77530.025	66498.150	357,275,637.00
14	बलौदाबाजार	18685.740	14742.080	80,979,151.00
15	रायपुर	1043.090	0.000	-
16	बिलासपुर	43868.225	23068.295	125,256,230.00
17	मुंगेली	4975.910	4191.420	22,156,497.00
18	जांजगीर चांपा	9860.545	957.000	4,076,820.00
19	कोरबा	120864.720	100964.120	608,260,545.52
20	रायगढ़	125750.665	93843.300	522,644,655.00
21	सरगुजा	31367.519	19651.565	101,943,256.00
22	सूरजपुर	64720.023	30381.740	156,664,124.00
23	बेलरामपुर	125430.080	17047.470	67,516,796.00
24	कोरिया	76744.285	29125.955	149,013,739.00
25	जशपुर	27303.669	6538.130	29,103,321.00
	योग :	1506347.195	935476.444	5,025,358,208.12

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "पच्चीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 57) के भाग (क) की जानकारी ]

जशपुर जिले में वर्ष 2018-19 में गौण खनिज मद में प्राप्त राशि की खदानवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	पट्टेदार का नाम एवं पूर्ण पता	खनिज का नाम	वर्ष 2018-19 में जमा रॉयल्टी (रूपये में)
1	2	3	4
विकासखण्ड-जशपुर			
1	श्री संजय कुमार गुप्ता निवासी जशपुर, तहसील जशपुर, जिला-जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	15000
2	श्री संजय कुमार गुप्ता आ0 श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता निवासी जशपुर, तहसील जशपुर, जिला-जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	15000
3	श्री मनोज कुमार गुप्ता आ0 श्री मानकी प्रसाद गुप्ता निवासी बांकीटोली जशपुर, तहसील जशपुर जिला-जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	7500
4	श्री विजय कुमार गुप्ता आ0 श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता निवासी जशपुर, तहसील जशपुर जिला-जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	30000
5	मेसर्स विद्यासागर इन्टरट्रैक्चर्स साझेदार श्री गुकेश कुमार जैन निवासी कॉलेज रोड जशपुर, तहसील जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.)	पत्थर	702000
6	श्री बजरंग प्रसाद गुप्ता आ0 श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता निवासी जशपुर, जिला-जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	15000
7	श्री अजय कुमार गुप्ता आ.श्री हरिप्रसाद गुप्ता निवासी जशपुर, जिला-जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	7500
8	श्री परमहंस अग्रज आ0 श्री मोतीलाल सिंह निवासी जशपुर, जिला-जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	15000
9	श्री मिथलेश कुमार मिश्रा आ0 श्री उमाकांत मिश्रा निवासी नवाटोली जशपुर, जिला-जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	72500
10	मेसर्स अभय कुमार सोनी निवासी जशपुर, तहसील जशपुर जिला जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	8700

क्र.	पट्टेदार का नाम एवं पूर्ण पता	खनिज का नाम	वर्ष 2018-19 में जमा रॉयल्टी (रूपये में)
1	2	3	4
11	क्लासिक नेटवर्क प्रा० लिमिटेड 202 अर्पण कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट स्वामी नारायण मंदिर कलावाड रोड राजकोट (गुजरांत) (अस्थायी)	पत्थर	2600000
12	मेसर्स अभय कुमार सोनी निवासी जशपुर, तहसील जशपुर जिला जशपुर (छ०ग०) (अस्थायी )	पत्थर	3588000
13	श्री राम लाल लकड़ा आ.स्व. सुधु लकड़ा निवासी जबला, तहसील जशपुर जिला-जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	12000
14	श्री राजेश कुमार सिन्हा आ.श्री त्रिपुरारी सिन्हा निवासी सारुडीह, तहसील जशपुर जिला-जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	9000
15	श्रीमती कांती देवी निवासी जशपुर, तहसील जशपुर, जिला-जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	15000
16	मे. खुशीद कुरैशी निवासी जशपुर, तहसील जशपुर जिला जशपुर (छ०ग०) (अस्थायी)	मुरुम	15000
	योग:-		71,27,200/-
<b>विकासखण्ड-मनोरा</b>			
1	श्री राजकिशोर ताम्रकार आ.स्व. श्री रामचन्द्र साव निवासी जशपुर तहसील मनोरा जिला-जशपुर(छ.ग.)	मिट्टी	31500
	योग:-		31,500/-
<b>विकासखण्ड-दुलदुला</b>			
1	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता आ० श्री मधुरा निवासी दुलदुला, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	27000
2	श्री घनश्याम दास अग्रवाल आ.श्री हरचरणदास अग्रवाल निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	15000
3	श्री शक्ति सिंह देव आ.श्री अमर सिंह देव निवासी जशपुर, तहसील जशपुर जिला जशपुर छ०ग०	पत्थर	2080000

क्र.	पट्टेदार का नाम एवं पूर्ण पता	खनिज का नाम	वर्ष 2018-19 में जमा सैन्टि (रूपये में)
1	2	3	4
4	शिवालाया कन्ट्रक्शन कम्पनी हाल मुकाम मधुवन टोली जशपुर, तहसील जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.) (अस्थायी)	पत्थर	2600000
5	शिवालाया कन्ट्रक्शन कम्पनी हाल मुकाम मधुवन टोली जशपुर तहसील जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.) (अस्थायी)	पत्थर	195000
6	श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता निवासी दुलदुला, तहसील दुलदुला जिला-जशपुर (छ.ग.)	मिट्टी	9000
7	श्री प्रवीण गुप्ता निवासी दुलदुला जिला-जशपुर (छ.ग.)	मिट्टी	6000
योग:-			49,32,000/-
विकासखण्ड-कुनकुरी			
1	श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल आ० श्री विशम्बरदयाल अग्रवाल निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.)	पत्थर	15000
2	श्रीमती सुलोचना देवी अग्रवाल निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ.ग.)	पत्थर	30000
3	श्री घनश्यामदास अग्रवाल निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ.ग.)	पत्थर	15000
4	श्रीमती श्वेता बजाज पति श्री सागर बजाज निवासी कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	25000
5	मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स साझेदार श्री मुकेश कुमार जैन निवासी जशपुर, जिला-जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	234000
6	श्री अमर प्रसाद आ० स्व. जमुना प्रसाद निवासी चराईडांड, तहसील दुलदुला जिला-जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	53400
7	श्रीमती श्वेता बजाज पति श्री सागर बजाज निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	22500
8	श्रीमती उमादेवी पति श्री मनबहाल राम निवासी चराईडांड, तहसील दुलदुला	पत्थर	3445000

क्र.	पट्टेदार का नाम एवं पूर्ण पता	खनिज का नाम	वर्ष 2018-19 में जमा रॉयल्टी (रुपये में)
1	2	3	4
	जिला- जशपुर (छ0ग0)		
9	श्री विवेक चौबे निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला- जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	27000
10	श्रीमती उषा देवी सिंह पति श्री सूर्यभान सिंह निवासी कांसाबेल, तहसील कांसाबेल जिला जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	16800
11	श्रीमती मधुबाला साहू पति श्री अर्जुन साहू निवासी केरसई, निवासी कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	15000
12	श्री ललित राम आ. श्री बुधराम अध्यक्ष युवा सम विकास समिति मयाली, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	15000
13	श्रीमती जसिन्तला सिंह पति श्री चन्द्रकिशोर निवासी मयाली, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	15900
14	श्री शिवशरण गुप्ता आ0 श्री किशुन गुप्ता निवासी जोकारी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	34500
15	श्री संजय कुमार सिंह आ0 श्री शंभुनाथ सिंह निवासी तिवारी बिल्डिंग, केदारपुर अंबिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0)	पत्थर	80000
16	श्री राम अवतार बजाज निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	7500
17	श्री अभय कुमार सोनी आ. स्व. श्री सत्यनारायण प्रसाद निवासी जशपुर, तहसील जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)	पत्थर	1330000
18	श्री निर्भय कुमार सोनी आ. स्व. श्री सत्यनारायण प्रसाद निवासी जशपुर, तहसील जशपुर. जिला-जशपुर (छ.ग.)	पत्थर	1330000
19	श्री शत्रुघन मिश्रा निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ.ग.)	पत्थर	15000
20	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	मिट्टी	21120

क्र.	पट्टेदार का नाम एवं पूर्ण पता	खतिज का नाम	वर्ष 2018-19 में जमा सैयल्टी (रुपये में)
1	2	3	4
	निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ0ग0)		
21	श्री पवन कुमार गुप्ता निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ0ग0)	मिट्टी	9000
22	श्री गणेश प्रसाद यादव निवासी सेन्द्रीमुण्डा तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ0ग0)	मिट्टी	36000
23	श्री घनश्याम दास अग्रवाल निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ0ग0)	मिट्टी	12000
24	श्रीमती अनामिका नन्दे निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ0ग0)	मिट्टी	6000
25	श्री राकेश कुमार अग्रवाल निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ0ग0)	मिट्टी	12000
26	श्री अजय कुमार अग्रवाल निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ0ग0)	मिट्टी	3000
27	श्री अजय कुमार अग्रवाल निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ0ग0)	मिट्टी	3000
	योग:-		68,28,720 /-
<b>विकासखण्ड-फरसाबहार</b>			
1	श्री दुधेश्वर साय आ0 श्री मंगरू साय निवासी केरसई, तहसील फरसाबहार जिला- जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	15000
2	श्री संतोष कुमार पटेल आ0 श्री जयलाल पटेल, निवासी कोतबा, तहसील पत्थलगांव जिला- जशपुर (छ0ग0)	पत्थर	27000
3	श्री अर्जुन प्रसाद साहू आ0 श्री भोला साव निवासी केरसई, तहसील कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	मिट्टी	9000
4	श्री ऋषि कुमार यादव आ0 श्री सुमा राम यादव निवासी बोखी, तहसील फरसाबहार जिला जशपुर (छ.ग.)	मिट्टी	9900

क्र.	पट्टेदार का नाम एवं पूर्ण पता	खनिज का नाम	वर्ष 2018-19 में जमा रॉयल्टी (रुपये में)
1	2	3	4
5	श्री विष्णु प्रसाद आ० श्री विदेश्वरी प्रसाद निवासी सिंगीबहार, तहसील फरसाबहार जिला जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	49360
6	श्री जय प्रकाश वर्मा आ.श्री अमृतलाल वर्मा निवासी पण्डरीपानी, तहसील फरसाबहार जिला- जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	34120
7	श्री जोलफोलहेम तिर्की आ० धनकुंवर तिर्की निवासी तुमला, तहसील फरसाबहार जिला जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	6000
8	श्रीमती पुष्पा प्रसाद निवासी सिंगीबहार, तहसील फरसाबहार जिला जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	79000
9	श्रीमती रोशनी देवी अग्रवाल निवासी कुनकुरी, तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	10400
	योग:-		2,39,780/-
<b>विकासखण्ड-पत्थलगांव</b>			
1	श्री गोविन्द अग्रवाल निवासी तमता, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	7500
2	श्री प्रवीण शर्मा आ० श्री पूरन लाल शर्मा निवासी कोतबा, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	33600
3	श्री अंकित कुमार अग्रवाल आ० श्री कृष्णा कुमार अग्रवाल निवासी कोतबा, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	7650
4	श्री राकेश कुमार अग्रवाल आ० श्री सजन कुमार अग्रवाल निवासी पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	22500
5	श्री राकेश कुमार अग्रवाल आ० श्री सजन कुमार अग्रवाल निवासी पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	25350
6	श्री गोविन्द प्रसाद अग्रवाल निवासी तमता, तहसील पत्थलगांव जिला- जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	163500

क्र.	पट्टेदार का नाम एवं पूर्ण पता	खनिज का नाम	वर्ष 2018-19 में जमा रायवटी (रूपये में)
1	2	3	4
7	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा आ० श्री राजकिशोर शर्मा निवासी पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	8577
8	मे० एम. एण्ड. बी. स्टोन वर्क प्रो. श्री नवीन कुमार अग्रवाल आ. श्री किशोर कुमार अग्रवाल निवासी पटनायकपारा सम्बलपुर जिला-सम्बलपुर (उडिसा)	पत्थर	379000
9	श्री प्रवीण कुमार शर्मा निवासी कोतबा, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	33600
10	श्री राम शर्मा निवासी पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	7950
11	श्री अशोक कुमार अग्रवाल निवासी पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	क्वार्टज	15000
12	श्री संतोष कुमार साहू निवासी कोतबा, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	31200
13	श्री कन्हैयालाला शर्मा निवासी पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	7650
14	श्री विजय कुमार अग्रवाल निवासी पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	7800
15	श्री कन्हैयालाला शर्मा निवासी पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	क्वार्टज	394200
16	श्री गोविन्द अग्रवाल आ० श्री विसेशर अग्रवाल निवासी तमता, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	3000
17	श्री विकास कुमार पाढी आ० श्री योगेशचन्द्र निवासी बालाझर, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	6000
18	श्री चन्द्रकांत निवासी आमाटोली, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	18420
	योग:-		11,72,497 /-

क्र.	पट्टेदार का नाम एवं पता	खनिज का नाम	वर्ष 2018-19 में जमा रॉयल्टी (रूपये में)
1	2	3	4
<b>विकासखण्ड-कांसाबेल</b>			
1	श्री बंसत कुमार वर्मा आ० श्री पुनी राम वर्मा निवासी शब्दमुडा, तहसील कांसाबेल जिला जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	23800
योग:-			23,800/-
<b>विकासखण्ड-बगीचा</b>			
1	श्री अमित कुमार जैन आ० श्री ओम प्रकाश जैन निवासी बगीचा, तहसील बगीचा जिला-जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	20645
2	श्रीमती कान्ती गुप्ता पति श्री बसंतलाल गुप्ता निवासी सन्ना, तहसील बगीचा जिला-जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	15900
3	श्री उमेश कुमार गुप्ता निवासी भितघरा, तहसील बगीचा जिला-जशपुर (छ०ग०)	पत्थर	7950
4	श्री हरिशंकर यादव आ० श्री शिबो राम निवासी झिक्की, तहसील बगीचा जिला- जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	9000
5	श्री अभिषेक कुमार जैन आ० श्री विमल कुमार जैन निवासी बगीचा, तहसील बगीचा जिला- जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	25000
6	श्री कृष्ण अग्रवाल आ० श्री परमानंद अग्रवाल निवासी बगीचा, तहसील बगीचा जिला- जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	6240
7	श्री राज कुमार गुप्ता निवासी सन्ना, तहसील बगीचा जिला-जशपुर (छ०ग०)	मिट्टी	20540
8	एग्रीको स्टील इंजीनिरिंग वर्क्स, विश्रामपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) (अस्थायी)	मुरुम	120000
योग:-			2,25,275/-
महायोग:-			2,05,80,772/-

परिशिष्ट "छब्बीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 172) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

वर्ष 2018 में अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर उपयोग के दर्ज प्रकरणों की जानकारी

क्रमांक	संस्थान का नाम जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया	जप्त गैस सिलेण्डर की ऑयल कंपनीवार संख्या				योग	प्रकरण में की गई कार्यवाही
		इण्डेन	हिन्दुरतान पेट्रोलियम	भारत गैस	भारत पेट्रोलियम		
1	तंदूर वाला रेस्टोरेंट, पुराना बस स्टैण्ड विलासपुर	7	0	0	0	7	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
2	न्यू जय दुर्गा भोजनालय, पुराना बस स्टैण्ड विलासपुर	0	1	0	3	4	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
3	एस के इन्टरप्राइजेस, पुराना बस स्टैण्ड विलासपुर	1	2	0	0	3	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
4	अजय गैस रिपेयरिंग, पुराना बस स्टैण्ड विलासपुर	7	4	0	0	11	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
5	बृजरंग किराना स्टोर, पुराना बस स्टैण्ड विलासपुर	3	0	3	0	6	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
6	मां शारदा भोजनालय, पुराना बस स्टैण्ड विलासपुर	0	5	0	0	5	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
7	अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, पुराना बस स्टैण्ड विलासपुर	0	2	0	0	2	प्रकरण निराकृत, 02 नग गैस सिलेण्डर शासन के पक्ष में राजसात किया गया
8	जय दुर्गा भोजनालय, पुराना बस स्टैण्ड विलासपुर	1	0	0	0	1	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
9	अजय चूल्हा रिपेयरिंग, पुराना बस स्टैण्ड विलासपुर	1	0	0	0	1	प्रकरण निराकृत, 01 नग गैस सिलेण्डर शासन के पक्ष में राजसात किया गया
10	सुरेन्द्र सेल्फ अर्मेचर रिपेयरिंग, पुराना बस स्टैण्ड विलासपुर	0	0	1	0	1	प्रकरण निराकृत, 01 नग गैस सिलेण्डर शासन के पक्ष में राजसात किया गया
11	अरुण भोजनालय, पुराना बस स्टैण्ड विलासपुर	0	0	1	0	1	प्रकरण निराकृत, 01 नग गैस सिलेण्डर शासन के पक्ष में राजसात किया गया
12	गुरुनानक झाई, पुराना बस स्टैण्ड विलासपुर	0	1	0	0	1	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
13	मारवाड़ी भोजनालय, स्टेशन रोड विलासपुर	0	1	0	0	1	प्रकरण निराकृत, 01 नग गैस सिलेण्डर शासन के पक्ष में राजसात किया गया

क्रमांक	संस्थान का नाम जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया	जप्त गैस सिलेण्डर की ऑयल कंपनीवार संख्या				योग	प्रकरण में की गई कार्यवाही
		इण्डेन	हिन्दुरतान पेट्रोलियम	भारत गैस	भारत पेट्रोलियम		
14	राजपूत चाट भण्डार, स्टेशन रोड बिलासपुर	1	0	0	1	2	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
15	दिशा नास्ता सेंटर, पुराना बस स्टैंड बिलासपुर	0	0	2	0	2	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
16	बजरंग नास्ता सेंटर, पुराना बस स्टैंड बिलासपुर	1	0	0	0	1	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
17	नीलकण्ठ रेस्टोरेंट, प्रताप टॉकिज चाटापारा, बिलासपुर	3	0	0	0	3	प्रकरण निराकृत, 03 नग गैस सिलेण्डर शासन के पक्ष में राजसात किया गया
18	हॉटल महुआ, तेलीपारा बिलासपुर	0	2	0	0	2	प्रकरण निराकृत, 02 नग गैस सिलेण्डर शासन के पक्ष में राजसात किया गया
19	हॉटल जायका, कुदुदण्ड बिलासपुर	0	0	1	0	1	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
20	साउथ इण्डिया कैफे, तेलीपारा बिलासपुर	0	2	0	0	2	प्रकरण निराकृत, 02 नग गैस सिलेण्डर शासन के पक्ष में राजसात किया गया
21	हॉटल लखनवी बुधवारी बाजार, बिलासपुर	0	0	1	0	1	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
22	शारदा भोजनालय, बुधवारी बाजार, बिलासपुर	0	0	3	0	3	प्रकरण निराकृत, 09 नग गैस सिलेण्डर शासन के पक्ष में राजसात किया गया
23	दादा नास्ता सेंटर, बुधवारी बाजार, बिलासपुर	0	0	2	0	2	प्रकरण निराकृत, 02 नग गैस सिलेण्डर शासन के पक्ष में राजसात किया गया
24	हॉटल मुल्कराज, बुधवारी बाजार, बिलासपुर	1	0	2	0	3	प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
25	कृष्णा लॉण्डी टी स्टॉल, जूना, बिलासपुर	1	0	0	0	1	प्रकरण निराकृत, 01 नग गैस सिलेण्डर शासन के पक्ष में राजसात किया गया
26	कानपुर हॉटल, जूना, बिलासपुर	1	3	0	0	4	प्रकरण निराकृत, 04 नग गैस सिलेण्डर शासन के पक्ष में राजसात किया गया
योग		28	23	16	4	71	

## परिशिष्ट "सत्ताईस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 246) के भाग (क) की जानकारी ]

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में स्वीकृत नलजल योजना की पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी

क.	विकास खण्ड	स्वीकृत वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	योजना का नाम	योजना की लागत (रु. लाख में)	योजना की स्थिति	
						पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायगढ़	2017-18	जामगांव	जामगांव	45.19	पूर्ण	—
2	पुसौर		ओडेकेरा	ओडेकेरा	39.75	पूर्ण	—
3	बरमकेला		गोबरसिंहा	गोबरसिंहा	40.47	पूर्ण	—
4			नौघटा	नौघटा	40.24	पूर्ण	—
1	रायगढ़	2018-19	कुकुर्दा	कुकुर्दा	48.42	—	अपूर्ण/प्रगतिरत
2	पुसौर		छोटेहरदी	छोटे हरदी	28.11	—	अपूर्ण/प्रगतिरत
3			कोसमंदा	कोसमंदा एवं धुरनपाली	39.34	—	अपूर्ण/प्रगतिरत
4			त्रिभोना	त्रिभोना	48.44	—	अपूर्ण/प्रगतिरत
5			बरमकेला	गिरहुलपाली	गिरहुपाली	39.08	—
6				मुमेलीपाली	18.8	पूर्ण	—
7				पिहरा	पिहरा	37.55	—

## परिशिष्ट "अट्टाईस"

[ अतिरिक्त प्रश्न संख्या 9 (क्र. 291) के भाग (ग) की जानकारी ]

ग्राम चोरभट्टी में मेसर्स लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड ( वर्तमान नाम मेसर्स न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड ) द्वारा  
अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण की जानकारी

क्रमांक	भू-स्वामियों का नाम	रकबा (एकड़)	मुआवजा भुगतान राशि रुपये में	भुगतान तिथि	रिमाई
1	2	3	4	5	6
1	चमरू, नर्मदा पिता दशरथ, रूकमीन बाई बेवा दशरथ, ग्रगाबाई, गंगोत्री पुत्री दशरथ	1.10	129170.00	29.07.2002	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा द्वारा भुगतान की गई मुआवजा राशि।
2	मोहनलाल पिता जनकराम, बिराबाई पुत्री जनकराम, रोहितबाई पत्नि जनकराम	1.60	187884.00	29.07.2002	
3	जोहनलाल पिता जनकराम	1.05	123299.00	29.07.2002	
4	गणेश, महेश, रमेश, सुरेश पिता भगताराम, राधा, मथूरा, राजकुंवर, बुधवारा पुत्री भगताराम, इंदिराबाई बेवा भगताराम	2.81	329970.00	20.12.2002	
5	नारायण गिर, नारद गिर, शंकर गिर पिता देव गिर, कृष्णाबाई बेवा देव गिर, शैलकुमारी पुत्री देव गिर	1.80	211369.00	29.07.2002	
6	गणेश, महेश, रमेश, सुरेश पिता भगताराम, राधा, मथूरा, राजकुंवर, बुधवारा पुत्री भगताराम, इंदिराबाई बेवा भगताराम सीताबाई पुत्री लक्ष्मण	3.24	380464.00	20.12.2002	
7	नारायण पिता पीला	0.71	83373.00	08.07.2002	
8	रामलाल पिता पीला	0.71	83373.00	29.07.2002	
9	बुंदराम पिता तिरिथराम	0.40	46971.00	29.07.2002	
10	बिष्णुकुमार पिता विश्वनाथ, कुमार पिता अमृतलाल	0.91	106859.00	29.07.2002	
11	राधाबाई बेवा बिंदुलाल	0.68	79850.00	29.07.2002	
12	बिंदू पुत्री बैहा	0.73	85722.00	29.07.2002	
13	छबिलाल पिता खुबालू	0.92	54016.00	22.10.2002	
			54017.00	22.10.2002	
14	बलदाउ, बलदेव, बलभद्र, सुकदेव पिता लालाराम, कचरा, कचन, कमला पुत्री लालाराम, दलम पिता सुन्दरलाल	3.70	217240.00	27.01.2003	
			22311.00	27.01.2003	
			106859.00	27.01.2003	
			75154.00	27.01.2003	
			12917.00	27.01.2003	
15	चमरू, नर्मदा पिता दशरथ,	1.43	167921.00	29.07.2002	

क्रमांक	भू-स्वामियों का नाम	रकबा (एकड़)	मुआवजा भुगतान राशि रुपये में	भुगतान तिथि	स्मारक
1	2	3	4	5	6
	रुकमीनबाई बेवा दशरथ				
16	गणेश, महेश, रमेश, सुरेश पिता लक्ष्मण	1.84	216066.00	20.12.2002	
17	रामश्वर पिता चतुर्भुज	0.38	44622.00	29.07.2002	
18	धनीराम, श्रीराम पिता कलश्वर, श्यामबाइ बेवा कलेश्वर	0.38	22311.00	29.10.2002	
			22311.00	29.10.2002	
19	साधुराम पिता बैगा, कचराबाई बेवा बैगाए चमारिनबाई गिरजाबाई सहरबाई पुत्री बैगा	1.01	118602.00	29.07.2002	
20	सुनाउराम पिता हरिराम परदेशी पिता कन्हैया मनोहर अकितराम अंसीबाई पिता मनोहर कुजू बूटु पिता जोहितराम सुखदाई पुत्री जोहितराम	0.60	29357.00	16.09.2002	
21	द्वारिका पिता पूरू	0.30	35228.00	29.07.2002	
22	गणेश, महेश, रमेश, सुरेश पिता भगताराम राधा मथुरा राजकुंवर बुढ़वा पुत्री भगताराम सीताबाई पुत्री लक्ष्मण अगासबाई पुत्री लक्ष्मण	0.35	41100.00	29.07.2002	
23	सुखीराम पिता द्वारिका	0.40	46971.00	21.10.2002	
	योग :	<b>27.05</b>	<b>3135307.00</b>		
24	रामनाथ पिता दयाराम कुर्मी	0.27	31705.00	18.01.2001	ग्राम चोरभट्टी में मेसर्स लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड (वर्तमान नाम मेसर्स न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा भूमि स्वामियों को सीधे वितरित की गई मुआवजा राशि
25	आशाराम, तीजाराम, देजेराम पिता बहोरन, अमरिका, दुखीन, गौरी, सुकीत, कमरछट, बिरावन, कुमारबाई पुत्री बहोरन	1.09	127996.00	18.01.2001	
26	नर्मदा पिता केशवप्रसाद	0.65	76328.00	18.01.2001	
27	चन्द्रिका प्रसाद पिता केशवप्रसाद कुर्मी	0.64	75153.00	18.01.2001	
28	जानकी प्रसाद पिता केशवप्रसाद	2.48	291219.00	18.01.2001	
29	बद्रीप्रसाद पिता ठाकुरराम	1.86	218415.00	18.01.2001	
30	चन्द्रिका प्रसाद पिता केशवप्रसाद भुवनप्रसाद पिता जैरामप्रसाद कुर्मी	2.43	285348.00	18.01.2001	
31	ज्वालाप्रसाद पिता शिवलाल	1.18	138564.00	18.01.2001	
32	कलेश्वर, लखेश्वरप्रसाद, विष्णुप्रसाद सीताराम गीताराम सुखेदेव पिता महेत्तर लाल	0.51	59888.00	18.01.2001	
33	अर्जुन पिता गजानंद	1.16	136216.00	18.01.2001	
34	रामप्रसाद पिता धनेशराम	0.06	7046.00	18.01.2001	
35	रामकुमार पिता रामरतन	1.44	169095.00	18.01.2001	

क्रमांक	भू-स्वामियों का नाम	रकबा (एकड़)	मुआवजा भुगतान राशि रूपयें में	भुगतान तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
36	दिलेश्वर पिता फत्तू	0.74	86896.00	18.01.2001	
37	जगेश्वर पिता फत्तू	1.12	131518.00	18.01.2001	
38	रामरतन पिता चिंताराम, सुखाती बेवा चिंताराम	8.92	1047451.00	18.01.2001	
39	कुष्णा कुमार पिता चंद्रिका प्रसाद	1.57	184361.00	18.01.2001	
40	शारदाप्रसाद पिता मोहनलाल	0.7	82199.00	18.01.2001	
41	भागीरथी पिता गजानंद	1.25	146784.00	18.01.2001	
42	आनंदराम पिता गजानंद	1.25	146784.00	18.01.2001	
43	पतिराम पिता गजानंद	1.26	147958.00	18.01.2001	
44	चंद्रिकाप्रसाद, नर्मदाप्रसाद, दुर्गाप्रसाद, विरेन्द्र कुमार पिता केशवप्रसाद, भुवनेप्रसाद पिता जैराम	2.75	322925.00	18.01.2001	
45	सुखीराम पिता कुंजू	0.56	65759.00	18.01.2001	
46	परदेशीराम पिता मोहर	0.70	82199.00	18.01.2001	
47	सुनाउराम पिता हरिराम परदेशी पिता कन्हैया मनोहर अकितराम अंसीबाई पिता मनोहर कुंजू बूटु पिता जोहितराम सुखबाई पुत्री जोहितराम	0.12	14091.00	18.01.2001	
48	राजकुमार वगै. पिता घसिया	0.20	23485.00	18.01.2001	
49	रतनगिर पिता बिसाहू गिर	0.54	63411.00	18.01.2001	
50	मनहरण पिता तिजाउ	1.81	212543.00	18.01.2001	
	योग :	37.26	4375337.00		
	महायोग :	64.31	7510644.00		

## परिशिष्ट "उनतीस"

[ अतारकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 306) (क) की जांचकारी ]

जिला कोरबा व दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि ( डी.एम.एफ.फण्ड ) से स्वीकृत राशियों में अनियमितता की विगत दो वर्षों प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का विवरण

## जिला-कोरबा

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम पता	शिकायत का विवरण	शिकायत पर किये गये कार्यवाही का विवरण
1.	2.	3.	4.
1	मो. आवेश कुरैशी (प्रवक्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोरबा)	रामपुर विधानसभा क्षेत्र में मड़वारानी मंदिर जाने हेतु 3 किमी सी.सी.रोड निर्माण किया गया है सड़क पूर्ण रूप से जर्जर होने संबंधी शिकायत	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा एवं कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोरबा को संयुक्त जांच समिति गठित। जांच प्रक्रियाधीन है।
2	श्री ननकीराम कंवर, (विधायक, विधानसभा क्षेत्र रामपुर (20) एवं जिला-कोरबा)	1. जिला कोरबा अन्तर्गत सतरंगा पर्यटन स्थल में निर्मित 03 कि०मी० सी.सी. रोड के संबंध में। 2. ग्राम कलमीटिकरा वि०ख०कोरबा में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित नहर से कम सिंचाई की शिकायत। 3. कोरबा जिलांतर्गत ग्राम बरपाली विकासखण्ड करतला में खनिज न्यास मद अन्तर्गत स्वीकृत राशि में निविदा नियमों के संबंध में।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग कोरबा जिला-कोरबा (छ०ग०) को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है। उपसंचालक, कृषि विभाग कोरबा जिला-कोरबा (छ०ग०) को जांच अधिकारी बनाया गया है जांच प्रक्रियाधीन है। परियोजना अधिवारी, जिला पंचायत कोरबा द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत। शिकायत निराधार होना प्रतिवेदित।
3	श्री श्यामलाल कंवर, (पूर्व विधायक, विधानसभा क्षेत्र क० 20 रामपुर जिला-कोरबा)	मड़वारानी मंदिर पहुंचमार्ग सी.सी. रोड निर्माण पश्चात्, अल्पसमय में जर्जर की जांच संबंध में।	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा एवं कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोरबा की संयुक्त जांच समिति गठित। जांच प्रक्रियाधीन है।
4	श्री सुनील शर्मा, (जनपद सदस्य जनपद सदस्य 05 मुड़ापार, ज०प० पाली, जिला कोरबा)	ग्राम पंचायत बम्हनीकोना पुलिया निर्माण में लागत से अधिक स्वीकृत राशि का दुरुपयोग की जांच की कार्यवाही के संबंध में।	<ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना सन्वयक जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत।</li> <li>शिकायत सही पाई गई।</li> <li>कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कोरबा से विस्तृत तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है।</li> <li>संबंधित उपअभियंता पर कार्यवाही हेतु लेख किया गया है।</li> </ul>
5	श्री दर्शन मानिकपुरी, (कार्यकारिणी सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा, वार्ड क्रमांक 06 रानी रोड कोरबा (छ.ग.)	श्री पी० दयानंद, पूर्व कलेक्टर, कोरबा द्वारा जिला खनिज न्यास मद सं नियम विरुद्ध निर्माण कार्य	शिकायत में वर्णित कोरबा जिलांतर्गत एजुकेशन हब स्याहीमुड़ी की निविदा प्रक्रिया संबंधी जांच श्री बी.आर. बंजारे, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कोरबा द्वारा की गई है, जिसमें क्रियान्वयन एजेंसी तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, श्री श्रीकांत दुबे को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा लिलबित किया गया है।

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम पता	शिकायत का विवरण	शिकायत पर किये गये कार्यवाही का विवरण
1.	2.	3.	4.
6	श्री धानसिंह, (जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक -01 जनपद पंचायत कोरबा)	वन विभाग द्वारा गुणवत्ता विहीन निर्मित सतरंगा से रेस्ट हाऊस तक सी.सी.रोड की जांच कराने बाबत	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग कोरबा जिला-कोरबा (छ0ग0) को जांच अधिकारी नियुक्त। जांच प्रक्रियाधीन है।
7	श्री हीसराम राठौर, (पत्रकार, पता-सी 33 प्रेस काम्पलेक्स टी.पी.नगर कोरबा)	सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जारी राशि सन 2006 से 2014 तक स्कूल निर्माण नहीं होने पर एफआईआर दर्ज कर सी.बी.आई. जांच के संबंध में।	जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा जांच अधिकारी नियुक्त। जांच प्रक्रियाधीन है।
8	श्री सुशील विश्वकर्मा, (राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता सेक्यूलर पार्टी)	खनिज संस्थान न्यास की राशि से बन रहे तालाब के भुगतान की राशि रोकने एवं फर्म के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु।	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग जिला-कोरबा जांच अधिकारी नियुक्त। जांच प्रक्रियाधीन है।
9	माननीय श्री ननकीराम कंवर, (विधायक, विधानसभा क्षेत्र क0 20 रामपुर जिला-कोरबा)	खनिज न्यास के पैसे के गलत तरीके से नियम विरुद्ध ठेका में देने एवं सहायक आयुक्त द्वारा मध्यस्थ करने वाले के माध्यम से चेक दिया जाकर पंचायत के कार्यों को ठेका में गलत तरीके से कराने एवं शासन के आदेश का अवहेलना करने बाबत	<ul style="list-style-type: none"> <li>अपर कलेक्टर जिला-कोरबा जांच अधिकारी नियुक्त।</li> <li>जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत।</li> <li>शिकायत निराधार।</li> </ul>
10	(दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया में प्रकाशित) (डिप्टी कलेक्टर कोरबा छ0ग0 का पत्र )	(दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया में प्रकाशित) तीन साल बाद भी नहीं बना हाईमास्ट मैदान। (शास0उ0मा0वि0छुरी, वि0ख0कटघोरा, जिला कोरबा)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा को क्रियान्वयन एजेंसी होने के कारण निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र प्रेषित।</li> <li>15 जून 2019 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाना प्रतिवेदित।</li> </ul>
11	सरपंच/सचिव (ग्राम पंचायत करमंदी, जनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा)	ग्राम पंचायत करमंदी के पंचायत निधि के राशि दो जनपद पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा छल पूर्वक अवैध रूप से आहरण किये जाने के संबंध में।	<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोरबा को जांच अधिकारी नियुक्त।</li> <li>श्री धरम लाल मरार द्वारा आहरित राशि रुपये 1 लाख को ग्राम पंचायत में जमा कर दिये जाने का उल्लेख।</li> <li>संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को दोषी पाया गया कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारी को पत्र लेख।</li> </ul>

## जिला-दन्तेवाड़ा

क्र.	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1.	2.	3.
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-दन्तेवाड़ा के द्वारा राशियों के व्यय में अनियमितता के संबंध में।	जांच में प्राप्त बिन्दुओं के आधार पर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) तथा लेखापाल के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता फर्जीवाड़े एवं अपराधिक कृत्य हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420, 34 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।

क्र.	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1.	2.	3.
2	आजीविका महाविद्यालय दन्तेवाड़ा के द्वारा राशियों के व्यय में अनियमितता की शिकायत।	प्राप्त शिकायत पर जांच की गई। जांच में भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं करना, प्राचार्य द्वारा संबंधित संस्थान के द्वारा की गई मांग के आधार पर सामग्री व उपकरणों की आपूर्ति के बिना भुगतान करना, संस्था के द्वारा औजार/उपकरण का भौतिक सत्यापन व देयकों का अनुमोदन किये बिना भुगतान करना, लेखाओं का सही संधारण नहीं करना पाया गया है। प्रकरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को प्रतिवेदन भेजा गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## परिशिष्ट "तीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 313) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

दुर्ग जिले व बिलासपुर जिले में 01 जनवरी 2019 से 20 जून 2019 के मध्य स्रोत सूखे हैण्डपम्प व नलजल योजना की विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी

क्र.सं.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र	स्रोत सूखे हैण्डपम्प	नलजल योजना				
				स्रोत सूखे नलजल योजना	वैकल्पिक व्यवस्था			
					हैण्डपंप	सिंगल फेस पंप	सोलर पंप	व्यक्तिगत निजी पंप
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दुर्ग	पाटन	0	0	0	0	0	0
2		दुर्ग ग्रामीण	13	0	0	0	0	0
3		दुर्ग शहर	0	0	0	0	0	0
4		वैशाली नगर	0	0	0	0	0	0
5		अहिवारा	39	0	0	0	0	0
6		साजा	50	0	0	0	0	0
7		बेमेतरा	10	0	0	0	0	0
योग :-			<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	बिलासपुर	कोटा	12	0	0	0	0	0
2		तखतपुर	361	1	2	2	1	50
3		बिल्हा	147	0	0	0	0	0
4		बेलतरा	68	0	0	0	0	0
5		मस्तूरी	103	0	0	0	0	0
योग :-			<b>691</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50</b>

19 जुलाई, 2019 ]

A-86

प्रपत्र "ब"

दुर्ग जिले व बिलासपुर जिले में 01 जनवरी 2019 से 20 जून 2019 के मध्य खनित किये गये नलकूप एवं स्थापित हैण्डपंपों की विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र	01 जनवरी 2019 से 20 जून 2019 तक खनित नलकूप				
			कुल खनित	सफल	असफल	हैण्डपंप स्थापित	पॉवर पंप
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुर्ग	पाटन	71	45	26	41	4
2		दुर्ग ग्रामीण	22	11	11	11	0
3		दुर्ग शहर	1	1	0	0	1
4		वैशाली नगर	1	1	0	1	0
5		अहिवारा	21	11	10	11	0
6		साजा	24	19	5	19	0
7		बेमेतरा	2	2	0	2	0
योग :-			<b>142</b>	<b>90</b>	<b>52</b>	<b>85</b>	<b>5</b>
1	बिलासपुर	मरवाही	24	24	0	24	0
2		कौन्टा	20	18	2	17	1
3		तखतपुर	32	29	3	22	7
4		बिल्हा	50	45	5	38	7
5		बेलतरा	4	4	0	3	1
6		मस्तूरी	18	18	0	15	3
योग :-			<b>148</b>	<b>138</b>	<b>10</b>	<b>119</b>	<b>19</b>

परिशिष्ट "इकतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 343) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

क्र०	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	ग्राम में बसाहटवार स्थापित कुल हैण्ड पम्प	फ्लोराईड प्रभावित हैण्डपंपों की संख्या	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही					कोसारेडा समूह जलप्रदाय योजना से आच्छादित	रिमांक		
						बंद किये गये फ्लोराईड प्रभावित हैण्डपंप की संख्या	बसाहट में स्थापित सुरक्षित हैण्ड पम्प की संख्या	स्थल जल प्रदाय योजना	नलजल प्रदाय योजना	सोलर ड्युल पंप			सोलर आधारित फ्लोराईड निवारण संयंत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	बकावण्ड	गारेगा	तंदूगुड़ा	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
2		बड़ेजिराखाल	छिंदीगुड़ा	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
3		सतोषा	तेतरगुड़ा	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
4			भिटकागुड़ा	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
5			गौराबहर	5	2	2	3	-	-	-	-	-	-	
6			डूमरवेड़ा	6	2	2	4	-	-	-	-	-	-	
7			पुजारी पारा	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
8			चालानगुड़ा	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
9			चेचरागुड़ा / मारीगुड़ा	2	1	0	1	-	-	-	-	-	-	
10			तंदूगुड़ा	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
11			जैबेल	सालेगुड़ा	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-
12				काड़ाकाटा	7	4	3	3	-	-	-	-	1	-
13		एकटागुड़ा		2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
14		डोंगरियापारा / बस स्टैण्ड		2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
15		सोसायटी पारा		3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
16		खासपारा / माटीदेव पारा		11	2	2	9	-	1	-	-	-	-	
17		डिमरापाल	खासपारा / माहरापारा	19	10	10	9	1	-	-	-	-	-	
18			नदीगुड़ा	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	
19		छिंदगांव	खासपारा	10	1	1	9	-	1	-	-	-	-	
20		चिउरगांव	मारीगुड़ा	5	1	1	4	-	-	-	-	-	-	
21		बागराय	मुख्यबस्ती	6	1	1	5	1	-	-	-	-	-	
22		चोकनार	खासपारा	8	1	1	7	-	-	-	-	-	-	
23		बंगलाडोंगरी	खासपारा	9	3	2	6	-	-	-	-	1	-	
24		कोलावल	मांडीपारा	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
25			ओण्डुगुड़ा	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
योग:-				123	43	40	80	2	2	1	3	-	-	

A-87  
38-A

[ 19 जुलाई, 2019 ]  
[ 1705 ]

क्र०	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	ग्राम में बसाहटवार स्थापित कुल हैण्ड पम्प	फ्लोराईड प्रभावित हैण्डपंपों की संख्या	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही					सोलर आधारित • फ्लोराईड निवारण संयंत्र	कोसारटेडा समूह जलप्रदाय योजना से आच्छादित	रिमांक
						बंद किये गये फ्लोराईड प्रभावित हैण्डपंप की संख्या	बसाहट में स्थापित सुरक्षित हैण्ड पम्प की संख्या	स्थल जल प्रदाय योजना	नलजल प्रदाय योजना	सोलर ड्युल पंप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बस्तर	पल्लीमाठा	धाकड़पारा	3	1	1	2	-	-	-	-	1	
2			आवासपारा	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
3		तुरपुरा	पड़ईगुड़ा	5	2	2	3	-	-	1	-		
4			गोमका	5	2	2	3	-	-	1	-		
5			मैसामुण्डा	1	1	1	0	-	-	-	-		
6			पुजारी पारा	4	1	1	3	-	1	-	-		1
7			गोमका बंजारापारा	4	2	2	2	-	-	-	-		
8			गोमकापारा	2	1	1	1	-	-	-	-		
9		खण्डसरा	तुलसीपारा	2	1	1	1	-	-	-	-		
10			स्कूलपारा/खासपारा	4	2	2	2	-	-	1	-		
11			पुजारीपारा/कोटवारपारा	5	2	2	3	-	-	-	-		
12			मारीपारा	4	2	2	2	-	-	-	-		
13			मरदियापारा	5	2	2	3	-	-	1	-		
14			खासपारा	2	1	1	1	-	-	-	-		
15			शालेपारा	3	1	1	2	-	-	-	-		1
16			बड़ेपारा	2	1	1	1	-	-	-	-		
17			माहरापारा	2	1	1	1	-	-	-	-		
18			मारीपारा/पनारापारा/बुनापारा	4	1	1	3	-	-	-	-		
19		भट्टीपारा	3	1	1	2	-	-	1	-			
20		तलपारा	2	1	1	1	-	-	-	-			
21		नन्दपुरा	मारीपारा	4	1	1	3	-	-	-	-		1
22			माहरापारा	3	1	1	2	-	-	-	-		
23		वंशरपाल	खासपारा	10	2	2	8	-	-	-	-		
24			बाजारपारा/पटेलपारा	8	3	3	5	-	1	-	-		1
25			पटेलपारा	3	1	1	2	-	-	-	-		
26		कुम्हली	मुण्डागुड़ा	7	2	2	5	-	-	-	-		
27			काटाछेपड़ा	5	3	3	2	-	-	-	-		
28			लीम्बुपदर	2	1	1	1	-	-	-	-		1
29			स्कूलपारा	7	1	1	6	-	-	-	-		
30		सालेमेटा-1	डेंगपारा	4	2	2	2	-	-	-	-		1
31			स्कूलपारा	3	2	2	1	-	-	-	-		

क्र0	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	ग्राम में बसाहटवार स्थापित कुल हैण्ड पम्प	फ्लोराईड प्रभावित हैण्डपंपों की संख्या	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही						कोसारेडा समूह जलप्रदाय योजना से आच्छादित	रिमांक
						बंद किये गये फ्लोराईड प्रभावित हैण्डपंप की संख्या	बसाहट में स्थापित सुरक्षित हैण्ड पम्प की संख्या	स्थल जल प्रदाय योजना	नलजल प्रदाय योजना	सोलर ड्युल पंप	सोलर आधारित फ्लोराईड निवारण संयंत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	बस्तर	छुरावण्ड	मारीपारा	3	1	1	2	—	—	—	—	1	
33			पटेलपारा	3	1	1	—	—	—	—	—		
34		खडका	बीचपारा	4	1	1	3	—	—	—	—	1	
35			विश्रामपुरी	नयापारा	4	1	1	3	—	—	—	—	1
36			सालेमाठा	3	1	1	2	—	—	1	—	1	
37		भानपुरी	मावलीगुडा	4	1	1	3	—	—	—	—	1	
38		बाकेल	अमड़ीगुडा	4	1	0	3	—	—	—	1	1	
39			छेपड़ापारा	2	1	1	1	—	—	—	—		
40			ओण्डारकोट	3	1	0	2	—	—	—	1		
41			कोगालगुडा	4	2	2	2	1	—	—	—		
42		चपका	तिरथपारा	2	1	1	1	—	1	—	—	—	
43		कुगारपाल	कलीपारा	3	1	1	2	—	—	—	—	—	
44			पटेलपारा	5	1	1	4	—	—	—	—	—	
योग =				164	60	58	104	1	3	6	2	12	—
1	बास्तानार	कापानार	दारपारा	7	2	2	5	—	—	—	—	—	
2	बास्तानार	बडेबोदेनार	पटेलपारा	3	1	1	2	—	1	—	—	—	
3	बास्तानार	वडेकाकलूर-1	स्टेशनपारा	9	1	1	8	—	—	1	—	—	
योग =				19	4	4	15	0	1	1	—	—	
1	दरभा	छिन्दावाड़ा	पेदारस जामगुडा	3	1	1	2	—	—	—	—	—	
2	दरभा		कोयेनापारा	4	1	1	3	—	—	—	—	—	
3	दरभा	नीलेगोन्दीबोदेनार	प्राथमिकशाला	2	1	1	1	—	—	—	—	—	
4	दरभा		माध्यमिक शाला	2	1	1	1	—	—	—	—	—	
5	दरभा	बिसपुर	धुरवापारा (रोड किनारे)	2	1	1	1	—	—	1	—	—	
6	दरभा		अंधारीकोट (पखनार रोड)	2	1	1	1	—	—	—	—	—	
7	दरभा	कोडरीछापर	माड़ियापारा	2	1	1	1	—	—	—	—	—	
योग :-				17	7	7	10	0	0	1	—	—	
महायोग :-				323	114	109	209	3	6	9	5	12	—

19 जुलाई, 2019 ]  
[ अतिरिक्त प्रश्न संख्या 17 (क्र. 440) के भाग (क) की जानकारी ]

A-90

परिशिष्ट "बत्तीस"

[ अतिरिक्त प्रश्न संख्या 17 (क्र. 440) के भाग (क) की जानकारी ]

महासमुंद्र विधानसभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम जहां उचित मूल्य दुकान संचालित है	सहकारी समिति का नाम, जिनके द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालन किया जा रहा है
1	झालखम्हरिया	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित झालखम्हरिया
2	खैरा	
3	लभराखुर्द	
4	उमरदा	
5	मोगरा	
6	बोरियाझर	
7	कोसरंगी	
8	सिंधी	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित नायकबांधा
9	सोरम	
10	खट्टी	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित खट्टी
11	बकमा	
12	परसदा	
13	लभराकला	
14	बेलासोण्डा	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बेलासोण्डा
15	साराडीह	
16	मुढेना	
17	नादगाव	
18	घोराडी	
19	धिगरोद	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बरोन्डा बाजार
20	लाफिन कला	
21	लाफिन खुर्द	
22	मचेवा	
23	बम्हनी	
24	बरोन्डा बाजार	
25	शेर	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित कनेकेरा
26	धनसूली	
27	मोरधा	
28	भलेसर	
29	कनेकेरा	
30	खरोरा	वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित पि टयाझर
31	बेमचा	
32	लोहारडीह	
33	कौन्दकेरा	
34	सोरिद	
35	परसदा	

क.	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ उचित मूल्य दुकान संचालित है	सहकारी समिति का नाम, जिनके द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालन किया जा रहा है
36	भोरिंग	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित तुमगांव
37	मालीडीह	
38	बेलटुकरी	
39	खैरझिटी	
40	कौआझर	
41	अछोली	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित अछोला
42	जोबा	
43	गढ़सिवनी	
44	अछोला	
45	कुकराडीह	
46	बिरकोनी	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बिरकोनी
47	कांपा	
48	अछरीडीह	
49	बड़गांव	
50	गोपालपुर	
51	बरबसपुर	
52	छपोराडीह	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जलकी
53	जलकी	
54	अचानकपुर	
55	लहंगर	
56	बंदोरा	
57	पीढ़ी	
58	बांसकुडा	
59	परसाडीह	
60	अमलोर	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिरपुर
61	सिरपुर	
62	मरोद	
63	सुकुलबाय	
64	चुहरी	
65	पासिद	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बाबनकेरा
66	सिंघनपुर	
67	बाबनकेरा	
68	छिंदोली	
69	चौकबेड़ा	
70	सिधौरी	
71	बंबुरडीह	
72	रामखेड़ा	
73	सिनोधा	
74	तोरला	
75	पटेवा	

क.	ग्राम पंचायत का नाम जहां उचित मूल्य दुकान संचालित है	सहकारी समिति का नाम, जिनके द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालन किया जा रहा है
76	मानपुर	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पटेवा
77	नवागाव	
78	खट्टा	
79	बोइरा	
80	जोगीडीपा	
81	जोबाकला	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित नरतौरा
82	भटगांव	
83	नरतौरा	
84	पत्थरी	
85	पचरी	
86	बरेकेल कला	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित पचरी
87	बनपचरी	
88	चिरको	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित रायतुम
89	रायतुम	
90	रुमेकेल	
91	कछारडीह	
92	तुरैंगा	कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित झलप
93	सरेकेल	
94	कुरूभाठा	
95	इमरपाली	
96	ढांक	
97	जामपाली	
98	झलप	
99	कोलपदर	
100	छिलपावन	
101	मुनगासेर	
102	लखनपुर	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित खल्लारी
103	झारा	
104	पाली	

परिशिष्ट "तैंतीस" के अंतर्गत [ अतिरिक्त प्रश्न संख्या क्र. 672 ] के भाग (ख) की जानकारी ]

जिलेवार चालू एवं बंद की जानकारी

क्र.	पिकासखण्ड	योजना का नाम	चालू	बंद	रिमार्क
1	2	3	4	5	7
1	जगदलपुर	धनियातूर	चालू	-	-
2	जगदलपुर	धुरगुडा	चालू	-	-
3	जगदलपुर	आसना	चालू	-	-
4	जगदलपुर	आडावाल	चालू	-	-
5	जगदलपुर	नगरनार	चालू	-	-
6	जगदलपुर	तितिरगांव	चालू	-	-
7	जगदलपुर	घाटपदमूर	चालू	-	-
8	जगदलपुर	नानगुर	चालू	-	-
9	जगदलपुर	धनपुंजी	चालू	-	-
10	जगदलपुर	हलवाकचारा	चालू	-	-
11	जगदलपुर	आमागुडा / मंगनपुर	चालू	-	-
12	जगदलपुर	खम्हारगांव	चालू	-	-
13	जगदलपुर	मारकेल / जडीगुडा	चालू	-	-
14	जगदलपुर	कालीपुर	चालू	-	-
15	जगदलपुर	कस्तूरी (एन.एम.डी.सी.)	चालू	-	-
16	जगदलपुर	बम्हनी	चालू	-	-
17	जगदलपुर	पुसपाल	चालू	-	-
18	जगदलपुर	जामावाडा	चालू	-	-
19	जगदलपुर	बिलोरी	चालू	-	-
20	जगदलपुर	नियानार	चालू	-	-
21	जगदलपुर	माडपाल	चालू	-	-
22	जगदलपुर	माडपाल / पातरपारा	चालू	-	-
23	जगदलपुर	पण्डरीपानी	चालू	-	-
24	जगदलपुर	साडगुड	चालू	-	-
25	जगदलपुर	कुरन्दी	चालू	-	-
26	जगदलपुर	उपनपाल	चालू	-	-
27	जगदलपुर	बाबू सेमरा	चालू	-	-
28	जगदलपुर	चोकावाडा	चालू	-	-
29	बस्तर	भानपुरी	चालू	-	-
30	बस्तर	भैसगांव	चालू	-	-
31	बस्तर	सोनारपाल	चालू	-	-
32	बस्तर	फरसागुडा	चालू	-	-
33	बस्तर	केसरपाल	चालू	-	-
34	बस्तर	मुण्डागांव	चालू	-	-
35	बस्तर	नंदपुरा	चालू	-	-
36	बस्तर	बनियागांव	चालू	-	-
37	बस्तर	पाथरी	चालू	-	-

क्र.	विकासखण्ड	योजना का नाम	चालू	बंद	रिमार्क
1	2	3	4	5	7
38	बरतर	मधोता	चालू	-	-
39	बरतर	बागमोहलई	चालू	-	-
40	बरतर	कुदालगांव	चालू	-	-
41	बरतर	चोकर	चालू	-	-
42	बरतर	सुधापाल	चालू	-	-
43	बरतर	खोरखोसा	चालू	-	-
44	बरतर	चपका	चालू	-	-
45	बरतर	घोटिया	चालू	-	-
46	बरतर	कोलचूर	चालू	-	-
47	बरतर	देवड़ा	चालू	-	-
48	बरतर	भोन्ड	चालू	-	-
49	बरतर	तुरपुरा	चालू	-	-
50	बरतर	रोतमा	चालू	-	-
51	बरतर	तालुर	चालू	-	-
52	बरतर	कुगारपाल	चालू	-	-
53	बरतर	बालेंगा	चालू	-	-
54	बरतर	राजपुर	चालू	-	-
55	बरतर	सिवनी	चालू	-	-
56	बरतर	बडेआमाबाल	चालू	-	-
57	बकावण्ड	पाहुरबेल	चालू	-	-
58	बकावण्ड	छिंदगांव	चालू	-	-
59	बकावण्ड	बकावण्ड	चालू	-	-
60	बकावण्ड	राजनगर	चालू	-	-
61	बकावण्ड	मूली	चालू	-	-
62	बकावण्ड	सरगीपाल	चालू	-	-
63	बकावण्ड	करपावण्ड	चालू	-	-
64	बकावण्ड	जैतगिरी	चालू	-	-
65	बकावण्ड	मंगनार	चालू	-	-
66	बकावण्ड	जैबेल	चालू	-	-
67	बकावण्ड	छोटेदेवड़ा	चालू	-	-
68	बकावण्ड	तारापुर	चालू	-	-
69	बकावण्ड	करितगांव	चालू	-	-
70	बकावण्ड	कोसमी	चालू	-	-
71	बकावण्ड	कोलावल	चालू	-	-
72	बकावण्ड	भेजरीपदर	चालू	-	-
73	बकावण्ड	सौतपुर	चालू	-	-
74	बकावण्ड	मोगरापाल	चालू	-	-
75	बकावण्ड	चिऊरगांव	चालू	-	-
76	बकावण्ड	किजोली	चालू	-	-

क्र.	विकासखण्ड	योजना का नाम	चालू	बंद	रिमार्क
1	2	3	4	5	7
77	बकावण्ड	बजावण्ड	चालू	-	-
78	बकावण्ड	मालगांव	चालू	-	-
79	बकावण्ड	बदलावण्ड	चालू	-	-
80	बकावण्ड	सोनपुर	चालू	-	-
81	तोकापाल	तोकापाल	चालू	-	-
82	तोकापाल	बडेआरापुर	चालू	-	-
83	तोकापाल	बडेमोरठपाल	चालू	-	-
84	तोकापाल	राजूर	चालू	-	-
85	तोकापाल	रायकोट	चालू	-	-
86	तोकापाल	साकरगांव	चालू	-	-
87	तोकापाल	केशलूर	चालू	-	-
88	तोकापाल	परपा	चालू	-	-
89	तोकापाल	छापरभानपुरी	चालू	-	-
90	तोकापाल	एराकोट	चालू	-	-
91	तोकापाल	सालेपाल	चालू	-	-
92	तोकापाल	करंजी	चालू	-	-
93	तोकापाल	सिरिसगुडा	चालू	-	-
94	तोकापाल	पलवा	चालू	-	-
95	बास्तानार	बडेकिलेपाल	चालू	-	-
96	बास्तानार	बास्तानार	चालू	-	-
97	बास्तानार	ईरपा	चालू	-	-
98	दरभा	दरभा	चालू	-	-
99	दरभा	नेगानार	चालू	-	-
100	दरभा	छिन्दावाडा	चालू	-	-
101	दरभा	तिरथगढ	चालू	-	-
102	दरभा	कामानार	चालू	-	-
103	दरभा	चिगपाल गादगुडा	चालू	-	-
104	दरभा	मापलीपदर	चालू	-	-
105	दरभा	पखनार	चालू	-	-
106	दरभा	छिन्दबहार	चालू	-	-
107	लोहण्डीगुडा	उसरीबेड़ा / लोहण्डीगुडा	चालू	-	-
108	लोहण्डीगुडा	कुम्हली	चालू	-	-
109	लोहण्डीगुडा	अलनार	चालू	-	-
110	लोहण्डीगुडा	बेलर	चालू	-	-
111	लोहण्डीगुडा	कोडेबेड़ा / चन्दनपुर	चालू	-	-
112	लोहण्डीगुडा	बडाजी	चालू	-	-
113	लोहण्डीगुडा	बडेधाराउर	चालू	-	-
योग :-			113	-	-

## परिशिष्ट "चौतीस"

[ अतासंकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 719) के भाग (क) की जानकारी ]

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में जनवरी 2019 से 15-06-2019 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जारी गैस कनेक्शन की जानकारी

कं.	ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	बलौदा	1
2	बक्सरा	1
3	बेलटुकरी	1
4	बिरगहनी ब	1
5	हरदीविशाल	1
6	कच्छरा	1
7	केराकछार	9
8	महुदा ब	1
9	पंतोरा	2
10	तिलई	1
योग		19

परिशिष्ट "पैंतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 773) की जानकारी ]

सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत वर्ष 2018-19 में राजनांदगांव जिले में विकास यात्रा कार्यक्रम में विभागावार एवं मदवार व्यय की गई राशि की जानकारी :—

क्र.	कार्यालय का नाम	वर्ष	व्यय की शीर्ष	व्यय की गई राशि (रूपये में)
1	कार्यालय व-लेक्टर (जिला पंचायत) राजनांदगांव	2018-19	मुख्य शीर्ष 8000 आकस्मिकता निधि	3000000.00
2	जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. राजनांदगांव	2018-19	प्रचार प्रसार मद	125600.00
3	श्रमपदाधिकारी राजनांदगांव	2018-19	योजना मद छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत	56883417.00
		2018-19	योजना मद छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत	15137100.00
		2018-19	योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु स्टॉल में फ्लैक्स सामग्री परिवहन वितरण हेतु व्यय एवं अन्य व्यय सम्मेलन मद	480521.00
4	कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा.) संभाग, खैरागढ़	2018-19	(अस्थाई अग्रिम) प्रचार प्रसार फ्लैक्स, बैन एकीलिक बोर्ड मॉडल	125200.00

5	कार्यपालन (संचा/संधा.) डोंगरगांव	अभियंता संभाग,	2018-19	(अस्थाई अग्रिम) जनरेटर एवं फ्लैक्स	28000.00
6	कार्यपालन (संचा/संधा.) डोंगरगढ़	अभियंता संभाग,	2018-19	(अस्थाई अग्रिम) जनरेटर किराया, हितमग्राहियों को प्रमाण पत्र बैनर, पाम्पलेट	18000.00
7	कार्यपालन (संचा/संधा.) राजनांदगांव	अभियंता संभाग,	2018-19	(अस्थाई अग्रिम) प्रचार प्रसार हेतु फ्लैक्स प्रिंटिंग	36000.00
8	जनपद पंचायत डोंगरगांव		2018-19	जनपद पंचायत निधि मद	877638.00
9	उप संचालक छुईखदान		2018-19	निकाय मद	24300.00
10	उप संचालक, कृषि जिला राजनांदगांव		2018-19	धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत किसान सम्मेलनों के आयोजन में व्यय	1581788.00
11	लोक निर्माण विभाग संभाग, राजनांदगांव		2018-19	67-2059-60-053-0000-7755-24-012-V-V-VIP GUEST TOUR	11043768.00
12	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) खैरागढ़		2018-19	67/2059/60/053/0000/7755/24/012-V	31141000.00
योग					12,05,02,332.00
(अक्षरी रूपये बारह करोड़ पांच लाख दो हजार तीन सौ बत्तीस मात्र)					

A-99  
89-A

[ 19 जुलाई, 2019  
[ 1905 ]

परिशिष्ट "छत्तीस"

[ अतिरिक्त प्रश्न संख्या 28 (क्र. 778) के भाग (क) की जानकारी ]

राजनांदगांव जिले में दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक की स्थिति में प्रदाय किए गए कृषि के अस्थाई पम्प कनेक्शनों की विकासखण्डवार संख्या

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	अस्थायी पम्प की संख्या
1	राजनांदगांव	599
2	खैरागढ़	865
3	डोगरगढ़	2,374
4	डोगरगांव	481
5	छुईखदान	486
6	छुरिया	1,362
7	मोहला	235
8	मानपुर	512
9	चौकी	358
	योग	7,272

परिशिष्ट "सैंतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 802) के भाग (क) की जानकारी ]

बस्तर संभाग में तैदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक भुगतान हेतु स्वीकृत राशि की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृत एवं भुगतान राशि (रूपये में)						कुल स्वीकृत राशि	कुल भुगतान राशि	भुगतान हेतु शेष
		प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि								
		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19				
		स्वीकृत राशि (वितरण योग्य)	भुगतान राशि (वितरित)	स्वीकृत राशि (वितरण योग्य)	भुगतान राशि (वितरित)	स्वीकृत राशि (वितरण योग्य)	भुगतान राशि (वितरित)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कोडागांव	4,61,93,775	58,44,083	15,81,84,510	4,03,49,692	-	15,81,84,510	20,43,78,285	20,43,78,285	-
2	नारायणपुर	2,33,82,811	34,09,397	7,86,54,213	1,99,73,318	-	7,86,54,309	10,20,37,024	10,20,37,024	-
3	कांकेर	57,71,94,532	16,16,69,374	99,72,07,694	41,55,25,158	-	99,72,07,694	1,57,44,02,226	1,57,44,02,226	-
4	बीजापुर	18,43,47,986	3,88,94,554	48,29,65,588	14,54,53,432	-	48,29,65,588	66,73,13,574	66,73,13,574	-
5	सुकना	9,74,16,874	8,10,545	39,02,48,825	9,66,06,329	-	39,02,48,825	48,76,65,699	48,76,65,699	-
6	दत्तवाड़ा	2,89,44,662	4,31,270	6,82,27,851	2,85,13,392	-	6,82,27,851	9,71,72,513	9,71,72,513	-
7	बस्तर	1,08,27,640	15,77,721	6,00,61,544	92,49,919	-	6,00,61,544	7,08,89,184	7,08,89,184	-
योग बस्तर संभाग		96,83,09,780	21,26,36,944	2,23,55,50,225	78,50,71,210	-	2,23,55,50,225	2,23,55,50,225	2,23,55,50,225	-

परिशिष्ट "अडतीसी"  
[ अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 907) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

विधानसभा क्षेत्रवार स्थापित नलजल एवं हैंडपंपों की चालू एवं बंद की जानकारी

क.	विधानसभा क्षेत्र	नलजल योजना की संख्या	योजना की स्थिति		स्थापित हैंडपंप		
			चालू	बंद	कुल	चालू	बंद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जांजगीर-चांपा	38	38	0	1941	1927	14
2	अकलतरा	34	32	2	2030	2013	17
3	पामगढ़	37	37	0	2027	2011	16
4	सक्ती	41	40	1	2201	2179	22
5	जैजैपुर	55	54	1	2239	2222	17
6	चंद्रपुर	51	48	3	2255	2157	98
योग :-		256	249	7	12693	12509	184

प्रपत्र "ब"

क.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कुल खनित नलकूप
1	2	3
1	पामगढ़	196
2	सक्ती	105
3	चन्द्रपुर	89
4	जांजगीर-चाम्पा	135
5	जैजैपुर	282
6	अकलतरा	158
योग :-		965

19 जुलाई, 2019 ]

प्रश्न संख्या 02 राष्ट्रीय

परिशिष्ट (क) भाग

परिशिष्ट "उनचालीस"

[ अतिरिक्त प्रश्न संख्या 35 (क्र. 929) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी ]

1 जनवरी, 2019 से 25 जून 2019 की अवधि में अवैध उत्खनन/परिवहन के दर्ज प्रकरणों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	अवैध उत्खनन		अवैध परिवहन		अवैध उत्खनन/परिवहन में जप्त कुल वाहनों की संख्या
		दर्ज प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि	दर्ज प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	9	883800	283	7811920	292
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	4	505000	129	1943012	133
3	गरियाबंद	6	350000	59	986040	66
4	धमतरी	15	204100	341	3489640	341
5	महासमुंद	6	508500	97	1639360	103
6	राजनादगांव	20	1680150	219	2614500	251
7	कबीरधाम	38	1424945	88	2513358	88
8	दुर्ग	11	485377	148	2891000	148
9	बेमेतरा	29	665450	133	1287231	138
10	बालोद	9	1496000	155	1691165	179
11	बस्तर	1	12600	133	1714391	133
12	नारायणपुर	0	0	2	37180	2
13	कांकेर	22	381350	70	557404	74
14	कोण्डागांव	5	20000	59	387452	61
15	दंतेवाड़ा	0	0	28	424440	28
16	सुकमा	0	0	25	163620	25
17	बीजापुर	0	0	6	150259	6
18	बिलासपुर	5	540200	245	1986620	250
19	मुंगेली	20	498900	94	1852152	120
20	कोरबा	31	956544	153	1870852	153
21	जांजगीर-चांपा	33	1639820	251	4703872	261
22	रायगढ़	6	115265	84	934220	95
23	जशपुर	18	180000	8	135360	8
24	सरगुजा	5	312072	54	513216	59
25	बलरामपुर-रामानुजगंज	11	96500	45	826355	56
26	सूरजपुर	3	178250	169	1769747	169
27	कोरिया	2	154800	89	571870	89
योग :-		309	13289623	3167	45466236	3328

परिशिष्ट "चाळीस"

[ अंतरांकित प्रश्न संख्या 36-(क्र. 936) के भाग (क) की जानकारी ]

[ अंतरांकित प्रश्न संख्या 36-(क्र. 936) के भाग (क) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से जून-2019 तक कृषि पंप हेतु विद्युत कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं उन पर कृत कार्यवाही की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	दिनांक 1 अप्रैल 2016 के पूर्व से स्वीकृति हेतु लंबित आवेदन	दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2019 तक की अवधि में प्राप्त आवेदन	30 जून तक कनेक्शन हेतु लंबित कुल आवेदन	30 जून 2019 तक आवेदनों की संख्या जिनके कार्य पूर्ण किये गये।	विद्युत लाइन विस्तार हेतु लंबित आवेदन
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7
1	बेमेतरा	30	2,256	2,286	1,584	464
2	बेरला	14	5,764	5,778	4,308	1,580
3	धमधा	0	646	646	576	74
	योग	44	8,666	8,710	6,381	2,118

टीप- वर्ष 2016 के पूर्व लाइन विस्तार कार्य हेतु लंबित 331 आवेदनों में से भी कनेक्शन प्रदाय किये गए हैं

प्रपत्र "ब"

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई पंपों के लंबित आवेदनों के कारण एवं उनकी लंबित अवधि का विवरण

1. बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में विस्तार हेतु लंबित पम्प आवेदनों का अवधिवार विवरण

क्रमांक	अवधि	विकासखंड बेमेतरा	विकासखंड बेरला	विकासखंड धमधा	योग
1	स्वीकृति हेतु लंबित	80	1	0	81
2	औपचारिकता हेतु लंबित	0	5	0	5
3	विद्युत विस्तार हेतु लंबित	464	1580	74	2118
	योग	544	1586	74	2204

2. बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृति हेतु लंबित पम्प आवेदनों का अवधिवार विवरण

क्रमांक	अवधि	विकासखंड बेमेतरा	विकासखंड बेरला	विकासखंड धमधा	योग
1	0 से 3 माह तक	80	1	0	81
2	3 से 6 माह तक	0	0	0	0
3	6 से 1 वर्ष तक	0	0	0	0
	योग	80	1	0	81

3. बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में कृषकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने हेतु लंबित पम्प आवेदनों का अवधिवार विवरण

क्रमांक	अवधि	विकासखंड बेमेतरा	विकासखंड बेरला	विकासखंड धमधा	योग
1	0 से 3 माह तक	0	5	0	5
2	3 से 6 माह तक	0	0	0	0
3	6 से 1 वर्ष तक	0	0	0	0
	योग	0	5	0	5

4. बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में विद्युत लाइन विस्तार हेतु लंबित पम्प आवेदनों का अवधिवार विवरण

क्रमांक	अवधि	विकासखंड बेमेतरा	विकासखंड बेरला	विकासखंड धमधा	योग
1	0 से 3 माह तक	12	8	0	20
2	3 से 6 माह तक	378	614	62	1054
3	6 से 1 वर्ष तक	74	958	12	1044
	योग	464	1580	74	2118

## परिशिष्ट "इकचालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 941) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संचालित नलजल योजनाओं की ग्रामवार जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	योजना प्रारंभ की तिथि
1	रानीगांव	कोटा	14.07.87
2	सीस	कोटा	30.06.16
3	नवागांवकरा	कोटा	29.05.17
4	करा	कोटा	15.07.16
5	जाली	कोटा	16.01.07
6	कलमीटार	कोटा	29.05.17
7	बेलतरा	बिल्हा	04.06.08
8	सलखा	बिल्हा	17.10.07
9	नेवसा	बिल्हा	19.04.08
10	अकलतरी	बिल्हा	13.06.11
11	टेकर	बिल्हा	20.05.02
12	खैरखुण्डी	बिल्हा	10.06.83
13	गढवट	बिल्हा	05.06.85
14	बाम्हू	बिल्हा	30.05.17
15	सेलर	बिल्हा	29.06.10
16	मोहरा	बिल्हा	11.06.17
17	मटियारी	बिल्हा	08.06.09
18	डगनिया	बिल्हा	01.04.13
19	कछार	बिल्हा	10.06.93
20	लखराम	बिल्हा	17.04.98
21	सिघरी	बिल्हा	08.07.03
22	मदनपुर	बिल्हा	05.10.10
23	सैदरी	बिल्हा	24.05.90
24	सेमरताल	बिल्हा	14.12.99
25	पौसरा	बिल्हा	29.05.84
26	बिरकोना	बिल्हा	04.07.16
27	रमतला	बिल्हा	15.09.15
28	नगौई	बिल्हा	11.04.00
29	कोनी	बिल्हा	23.05.83
30	दैमा	बिल्हा	10.06.14
31	खमतराई	बिल्हा	20.03.17
32	मोपका	बिल्हा	11.06.13
33	चिल्हांटी	बिल्हा	24.08.16
34	भरारी	बिल्हा	30.07.16
35	लोफदी	बिल्हा	22.08.13
36	जलसो	बिल्हा	05.06.88
37	लिंगियाडीह	बिल्हा	01.08.06
38	लिम्हा	बिल्हा	12.09.06
39	बहताराई	बिल्हा	22.09.06
40	मंगला बि.	बिल्हा	04.08.08

19 जुलाई 2019 ]  
[ 0105 ]

A-106  
[ 501-A ]

प्रपत्र "ब"

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में 20 जून 2019 की स्थिति में स्थापित हैण्डपंपों की जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	ग्राम में स्थापित हैण्डपंप	क्रियाशील	अक्रियाशील	टिप्पणियाँ
1	रानीगांव	कोटा	8	5	3	-
2	सीस	कोटा	23	23	0	-
3	रमदई	कोटा	10	10	0	-
4	नवागांवकरा	कोटा	12	12	0	-
5	करा	कोटा	22	19	3	-
6	जाली	कोटा	22	22	0	-
7	मेलनाडीह	कोटा	9	9	0	-
8	खुटाडीह	कोटा	4	4	0	-
9	भरदेयाडीह	कोटा	0	0	0	1 सोलर एवं 1 सिंगल फेस चालू
10	जंजीराडीह	कोटा	0	0	0	1 सोलर एवं 1 सिंगल फेस चालू
11	कलमीटार	कोटा	14	10	4	-
12	बेलतरा	बिल्हा	54	50	4	-
13	बाका	बिल्हा	14	13	1	-
14	कोरबी	बिल्हा	19	18	1	-
15	पथरापाली	बिल्हा	9	9	0	-
16	लिम्हा	बिल्हा	44	42	2	-
17	सलखा	बिल्हा	23	21	2	-
18	धौरामूडा	बिल्हा	13	13	0	-
19	बरपाली	बिल्हा	6	6	0	-
20	नेवसा	बिल्हा	18	16	2	-
21	गिधौरी	बिल्हा	9	7	2	-
22	कडरी	बिल्हा	19	18	1	-
23	नगपुरा	बिल्हा	7	6	1	-
24	बसहा	बिल्हा	20	20	0	-
25	विटकुली उ.	बिल्हा	9	9	0	-
26	करमा	बिल्हा	19	18	1	-
27	मंजुरपहरी	बिल्हा	20	20	0	-
28	बम्हनीखुर्द	बिल्हा	6	6	0	-
29	अकलतरी	बिल्हा	19	19	0	-
30	टेकर	बिल्हा	12	9	3	-
31	खेरखुण्डी	बिल्हा	10	9	1	-
32	गढवट	बिल्हा	14	14	0	-
33	बाम्हू	बिल्हा	15	14	1	-
34	भिल्मी	बिल्हा	11	9	2	-
35	गोपालपुर	दिल्हा	5	3	2	-
36	सेतार	बिल्हा	28	27	1	-
37	पिपरा	बिल्हा	3	3	0	-
38	मोहरा	बिल्हा	21	19	2	प्रतिष्ठा 18
39	मटियारी	बिल्हा	27	24	3	प्रतिष्ठा 18

18

18

क्र.	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	ग्राम में स्थापित	क्रियाशील	अक्रियाशील	रिमार्क
	प्रिकासना वि.	गाँव	हेण्डपंप	पंप	पंप	
40	खैरा ड.	बिल्हा	11	11	0	-
41	डगनिया	बिल्हा	15	13	2	-
42	भाड़ी	बिल्हा	16	15	1	-
43	उच्चमट्टी	बिल्हा	11	11	0	-
44	निपनिया	बिल्हा	5	5	0	-
45	लखराम	बिल्हा	31	31	0	-
46	चोरहादेवरी	बिल्हा	11	11	0	-
47	भरवीडीह	बिल्हा	19	17	2	-
48	सिंघरी	बिल्हा	20	20	0	-
49	संमरा	बिल्हा	13	13	0	-
50	मदनपुर	बिल्हा	13	9	4	-
51	सैंदरी	बिल्हा	10	10	0	-
52	संमरताल	बिल्हा	15	13	2	-
53	भदौरियाखार	बिल्हा	6	6	0	-
54	पोंसरा	बिल्हा	8	8	0	-
55	परसदा से.	बिल्हा	8	7	1	-
56	परसौड़ी	बिल्हा	3	3	0	-
57	बिरकोना	बिल्हा	34	31	3	-
58	रमतला	बिल्हा	11	11	0	-
59	नगौई	बिल्हा	10	8	2	-
60	कोनी	बिल्हा	9	7	2	-
61	बैभा	बिल्हा	17	14	3	-
62	खमताराई	बिल्हा	25	22	3	-
63	मोपका	बिल्हा	24	22	2	-
64	बिल्हांटी	बिल्हा	10	9	1	-
65	फरहदा	बिल्हा	12	9	3	-
66	लगरा	बिल्हा	11	9	2	-
67	उर्तुम	बिल्हा	11	10	1	-
68	हरदीडीह	बिल्हा	3	3	0	-
69	खैरा ल.	बिल्हा	22	20	2	-
70	भरारी	बिल्हा	11	7	4	-
71	संमरी	बिल्हा	4	4	0	-
72	लोफंदी	बिल्हा	13	13	0	-
73	गोदईया	बिल्हा	12	10	2	-
74	पेण्डरवा उ.	बिल्हा	6	4	2	-
75	लक्षनपुर	बिल्हा	4	4	0	-
76	मोहतराई	बिल्हा	5	5	0	-
77	कछार	बिल्हा	10	10	0	-
78	अमतरा	बिल्हा	3	3	0	-
79	गतौरी	बिल्हा	11	9	2	-
80	जलसो	बिल्हा	14	14	0	-
81	गियाडीह	बिल्हा	13	12	1	-
82	बिजौर	बिल्हा	11	10	1	-
83	बहताराई	बिल्हा	15	11	4	-
84	मगला बि.	बिल्हा	10	8	2	-
85	सरवनदेवरी	बिल्हा	10	10	0	-

19 जुलाई, 2019 ]

A-108

संख्या 10/2019

क्र.	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	ग्राम में स्थापित हेण्डपंप	कियाशेल	अकियाशील	रिमाक
86	परसाही	बिल्हा	14	14	0	-
87	नवगंवा	बिल्हा	3	3	0	-
88	धूमकवा	बिल्हा	6	4	2	-
89	रामपुर	बिल्हा	5	5	0	-
योग :-			112	109	98	

परिशिष्ट "बियालीस"  
[ अतारंकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 945) की जानकारी ]

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र  
छत्तीसगढ़ राज्य केन्द्र  
मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर ( छ.ग. )

क्रमांक 101 /एन.आई.सी/स.जी.एस.सी./Transport/2019

दिनांक 08/07/2019

प्रति,

सहायक परिवहन आयुक्त,  
परिवहन आयुक्त कार्यालय,  
इन्द्रावती भवन, तृतीय तल,  
नया रायपुर ।

विषय: विधान सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 945 के संबंध में।

मन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक d/योजना/टीसी/2019 दिनांक 06/07/2019

वाहन एवं सारथी परियोजनाओं के तहत नागरिकों को प्रदाय किए जा रहे सेवाओं की सूची संलग्न है। सेवाओं के प्रारम्भ किए जानें के बाद डिलीवरी सिस्टम में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है और ना ही इस संबंध में जानकारी डेटाबेस में संधारित की जाती है।

वाय.वी.श्रीनिवास राव  
वैज्ञानिक-एफ (वरिष्ठ तकनीकी निदेशक)

वाहन 4.0 के माध्यम से ऑनलाइन नागरिक सेवा

1. कर भुगतान सेवा
2. अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन
3. फिटनेस आवेदन
4. डुप्लिकेट फिटनेस प्रमाणपत्र आवेदन
5. पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन
6. वाहन के रूपांतरण के लिए आवेदन
7. वाहन के परिवर्तन के लिए आवेदन
8. पंजीकरण प्रमाण पत्र विशेष रूप से जारी करना
9. पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए आवेदन
10. शेष शुल्क संग्रह
11. स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन
12. परिकल्पना जोड़, निरंतरता और समाप्ति के लिए आवेदन
13. पते में परिवर्तन के लिए आवेदन
14. डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
15. ऑनलाइन फैंसी नंबर बुकिंग
16. अन्य राज्य वाहन के कर का भुगतान
17. ऑनलाइन डीलर ट्रेड सर्टिफिकेट (नया / नवीनीकरण)
18. डीलर प्वाइंट वाहन पंजीकरण सेवा
19. वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) निर्माता मॉड्यूल
20. स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (एसएलडी) निर्माता मॉड्यूल
21. राष्ट्रीय परमिट आवेदन

सारथी 4.0 पर ऑनलाइन नागरिक सेवाएं

लर्निंग लाइसेंस पर सेवाएं

1. शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करना
  2. शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए अतिरिक्त समर्थन
  3. डुप्लीकेट शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करना
- ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएं
1. ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना
  2. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अतिरिक्त समर्थन
  3. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना
  4. ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण
  5. ड्राइविंग लाइसेंस में पते का परिवर्तन
  6. ड्राइविंग लाइसेंस में नाम बदलना
  7. ड्राइविंग लाइसेंस में बायोमेट्रिक्स का परिवर्तन
  8. ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन
  9. खतरनाक सामग्री को चलाने के लिए समर्थन
  10. समाप्त हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस का फिर से सत्यापन
  11. ड्राइविंग लाइसेंस में वाहनों के वर्ग का आत्मसमर्पण
  12. अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना
  13. ड्राइविंग लाइसेंस अर्क
  14. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना
  15. अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करना

ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस (DSL) पर सेवाएं

1. नया ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस (DSL)
2. ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस का नवीनीकरण
3. डुप्लीकेट ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस

कंडक्टर लाइसेंस पर सेवाएं (सीएल)

1. नया कंडक्टर लाइसेंस
2. कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण
3. डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस

वाहन 4 लाइव डेट

स.क.	आर.टी.ओ. / डी.टी.ओ. नाम	लास्ट डे फॉर एस.सी.एल. एप्लीकेशन	लास्ट वर्किंग डे ऑफ वाहन 2.0	गो लाईव ऑफ वाहन 4.0
1	बलौदाबाजार	16-09-2018	18-09-2018	20-09-2018
2	बेमेतरा	16-09-2018	18-09-2018	20-09-2018
3	कबीरधाम	16-09-2018	18-09-2018	20-09-2018
4	कांकेर	16-09-2018	19-09-2018	22-09-2018
5	कोण्डागांव	16-09-2019	19-09-2018	22-09-2018
6	रायपुर	20-09-2018	24-09-2018	28-09-2018
7	दुर्ग	22-09-2018	26-09-2018	01-10-2018
8	जगदलपुर	22-09-2018	26-09-2018	01-10-2018
9	महासमुंद	18-02-2018	20-02-2018	26-02-2018
10	बीजापुर	28-07-2018	31-07-2018	06-08-2018
11	नारायणपुर	28-07-2018	31-07-2018	06-08-2018
12	रायगढ़	16-08-2018	20-08-2018	24-08-2018
13	जांजगीर-चांपा	16-08-2018	20-08-2018	24-08-2018
14	कोरबा	16-08-2018	20-08-2018	24-08-2018
15	दत्तेवाड़ा	16-08-2018	20-08-2018	24-08-2018
16	राजनांदगांव	16-08-2018	21-08-2018	25-08-2018
17	बोलासपुर	16-08-2018	23-08-2018	28-08-2018
18	कोरिया	16-11-2018	18-11-2018	20-11-2018
19	सूरजपुर	16-11-2018	18-11-2018	20-11-2018
20	जशपुर	16-11-2018	19-11-2018	22-11-2018
21	बलरामपुर	16-11-2018	19-11-2018	22-11-2018
22	अंबिकापुर	16-11-2018	20-11-2018	24-11-2018
23	सुकमा	16-08-2018	20-08-2018	27-08-2018
24	धमतरी	22-08-2018	25-08-2018	31-08-2018
25	गरियाबंद	22-08-2018	27-08-2018	04-09-2018
26	बालोद	22-08-2018	27-08-2018	04-09-2018
27	मुंगेली	15-07-2018	23-07-2018	27-07-2018

सारथी 4 लाइव डेट

स.क्र.	आर.टी.सी. कोड	आर.टी.सी. स्थान का नाम	लाइव डेट	लाइव डेट	लाइव डेट
1	CG04	रायपुर	02/03/2018	05/03/2018	13/03/2018
2	CG05	धमतरी	20/11/2017	22/11/2017	01/12/2017
3	CG06	महासमुंद	05/05/2018	07/05/2018	14/05/2018
4	CG07	दुर्ग	06/02/2018	08/02/2018	15/02/2018
5	CG08	राजनांदगांव	01/02/2018	03/02/2018	08/02/2018
6	CG09	कडीरवा	19/02/2018	21/02/2018	26/02/2018
7	CG10	बिलासपुर	15/01/2018	17/01/2018	23/01/2018
8	CG11	सांखरी-बिपा	26/03/2018	28/03/2018	05/04/2018
9	CG12	कोरवा	11/02/2018	13/02/2018	21/02/2018
10	CG13	रावमंड	11/04/2018	13/04/2018	23/04/2018
11	CG14	जवापुर	16/04/2018	18/04/2018	26/04/2018
12	CG15	अधिकारपुर	22/03/2018	24/03/2018	02/04/2018
13	CG16	बैरठपुर	22/02/2018	24/02/2018	05/03/2018
14	CG17	जगदलपुर	05/04/2018	07/04/2018	16/04/2018
15	CG18	दत्तेवाड़ा	25/01/2018	27/01/2018	01/02/2018
16	CG19	काकोर	05/05/2018	08/05/2018	15/05/2018
17	CG20	बीजापुर	20/04/2018	23/04/2018	27/04/2018
18	CG21	नारायणपुर	09/04/2018	10/04/2018	19/04/2018
19	CG22	बड़ीवावाजार	21/04/2018	26/04/2018	02/05/2018
20	CG23	मरियाबाद	20/04/2018	23/04/2018	27/04/2018
21	CG24	बालोद	11/07/2018	13/07/2018	20/07/2018
22	CG25	बेनेतरा	19/03/2018	21/03/2018	26/03/2018
23	CG26	सुकमा	25/01/2018	27/01/2018	26/02/2018
24	CG27	काण्डागांव	17/05/2018	18/05/2018	25/05/2018
25	CG28	सुंगेली	21/04/2018	24/04/2018	01/05/2018
26	CG29	सुरजपुर	21/06/2018	23/06/2018	30/06/2018
27	CG30	बलरामपुर	14/03/2018	16/03/2018	22/03/2018

A-113

[ 19 जुलाई, 2019